हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

17 मार्च, 2006

खण्ड 2, अंक 1

अधिकृत विवरण

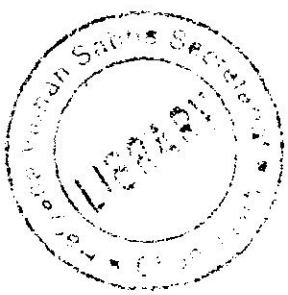

विषय सची

शुक्रवार, 17 मार्च, 2006

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	(2)1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)7
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(2)29
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)47
घोषणाएं	
(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा	
(i) सभापतियों की सूची	(2)59
(ii) अनुपस्थिति की अनुमति	(2)59
(ख) सचिव द्वारा	
राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी	(2)63
बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट	(2)64
नियम 121 के अधीन प्रस्ताव	(2)66
सदन की मेज पर रखे गए/पुन: रखे गए कागज-पत्र	(2)67
बाक आउट	(2)68
अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करना	(2)68
प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना	(2)69
वर्ष 2006-07 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना	(2)69

मूल्य :

110

HVS/Lib 6

Haryana Vidhan Sabha Secretariat * Chandigarh * LIBRARY

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 17 मार्च, 2006

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (डा० रघुवीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Chief Minister will make obituary references.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र और इस सत्र के अन्तराल में हमारे कई साथी हमें छोड़कर चले गए हैं। मैं सदन में उनके शोक प्रस्ताव रखता हूं।

सरदार लछमन सिंह, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री सरदार लछमन सिंह के 21 फरवरी, 2006 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है ।

उनका जन्म 10 जनवरी, 1922 को हुआ। वे 1967 में हरियाणा विधान सभा के लिए चुने गये और मंत्री रहे। वे 1977 और 1982 में पुन : हरियाणा विधान सभा के लिए चुने गये तथा 1978-83 के दौरान मंत्री रहे। वे 1996 में राज्य सभा के लिए भी चुने गये। उन्होंने सदैव आम आदमी के उत्थान के लिए कार्य किया। उन्होंने कई देशों की यात्राएं कीं।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन उन श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :

1. श्री हरद्वारी लाल, गांव खाड़ीवाना, जिला भिवानी।
2. श्री उत्तम चंद शरर, पानीपत।
3. श्री स्योराम, गांव चकरपुर, जिला गुड़गांव।

4. श्री मलखान सिंह, गांव खेड़ला, जिला गुड़गांव।

5. श्री चंद्रभान, रोहतक।

6. श्री फूलचंद, गांव किलाजफरगढ़, जिला जींद।

7. श्री रामकिशन, गांव ईगराह, जिला जींद।

8. श्री तुलसीराम, गांव दगड़ौली, जिला भिवानी।

9. श्री बलबीर सिंह, गांव सफेदा नगर, जिला गुड़गांव।

10. श्री श्योनारायण, गांव करीरा, जिला महेन्द्रगढ़।

11. श्री परशु राम, गांव डाडावास, जिला गुड़गांव।

12. श्री उदमीराम, गांव सुरपुरा खुर्द, जिला भिवानी।

13. श्री शिवलाल, गांव मुसैदपुर, जिला गुड़गांव।

14. श्री प्रभु सिंह, गांव राजली, जिला हिसार।

यह सदन इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों को शत-शत नमन करता है और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के शहीद

यह सदन उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने हमारी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

इन महान् वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं:

1. लेफ्टिनेंट कर्नल राजीव बख्शी, पंचकूला।

2. हवलदार रोहताश सिंह गांव दुजाना, जिला झज्जर।

3. हवलदार रूपचंद, गांव नंदगांव, जिला भिवानी।

4. लांस नायक विरेन्द्र, गांव भुआपुर, जिला फरीदाबाद।

5. नायक राम निवास, गांव अलिभुदीनपुर, जिला गुड़गांव।

6. सिपाही भक्तिपाल सिंह, गांव शहजादपुर, जिला अम्बाला।

7. सिपाही जय भगवान, गांव सिवाह, जिला जींद।

8. सिपाही सुरेन्द्र सिंह गांव चुलियाणा, जिला रोहतक।

9. सिपाही, भीष्म, गांव खरक पाण्डवां, जिला कैथल।

10. सिपाही सुनील कुमार, गांव दूधवा, जिला भिवानी।

यह सदन इन महान् वीरों की शहादत पर इन्हें शत-शत नमन करता है और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

वाराणसी बम विस्फोट में मारे गये लोग

यह सदन 7 मार्च, 2006 को वाराणसी में हुए बम विस्फोटों में मारे गये मासूमों के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन ऐसी जघन्य घटना की घोर निंदा करता है तथा दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

सामान्य

यह सदन मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के मामा के पोते श्री आशीष;

हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री दुड़ाराम के पिता, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री भजन लाल के भाई उप-मुख्यमंत्री श्री चन्द्रमोहन तथा सांसद श्री कुलदीप बिश्नोई के चाचा श्री मनफूल सिंह तथा संसदीय सचिव कुमारी शारदा राठौर के पिता श्री अमर सिंह के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

डा० सुशील इंदौरा (ऐलनाबाद एस०सी०) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने जो शोक प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है मैं उस शोक प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से गहरा शोक प्रकट करता हूं। सरदार लछमन सिंह, भूतपूर्व मंत्री के निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं। वे बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिज्ञ थे। मुझे उनके साथ राज्यसभा में काम करने का अवसर मिला था। राज्यसभा की एक कमेटी में हम दोनों एक साथ मैंबर थे। उस समय मैंने उनसे काफी कुछ सीखा। वे एक योग्य समाज सेवक थे और उन्होंने हर वर्ग के विकास में अहम भूमिका निभाई है। उनके निधन से मुझे गहरा दुख है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूं। इन महान

[डा० सुशील इंदौरा]

स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं: श्री हरद्वारी लाल, गांव डाढ़ीबाना, जिला भिवानी, श्री उत्तम चंद शरर, पानीपत, श्री श्योराम, गांव चकरपुर, जिला गुड़गांव, श्री मलखान सिंह, गांव खेड़ला, जिला गुड़गांव, श्री चंद्रभान, रोहतक, श्री फूलचंद, गांव किलाजफरगढ़, जिला जींद, श्री रामकिशन, गांव ईगराह, जिला जींद, श्री तुलसाराम, गांव दगड़ौली, जिला भिवानी, श्री बलबीर सिंह, गांव सफेदा नगर, जिला गुड़गांव, श्री श्योनारायण, गांव करीरा, जिला महेन्द्रगढ़, श्री परशु राम, गांव डाडावास, जिला गुड़गांव, श्री उदमीराम, गांव सुरपूरा खुर्द, जिला भिवानी, श्री शिवलाल, गांव मुसैदपुर, जिला गुड़गांव, और श्री प्रभु सिंह, गांव राजली, जिला हिसार। हमारी पार्टी इन सब स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करती है। अध्यक्ष महोदय, यह सदन स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम करता है, हम भी स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम करते हैं। हमारी सोच रही है कि हरियाणा प्रदेश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको मान सम्मान दिया जाये। उनके नाम पर हरियाणा में जो बड़ी-बड़ी संस्थाएं हैं, उनके नाम रखे जायें। पूरा सदन इस बात पर गौरव भी महसूस करेगा लेकिन बड़े दुख की बात है कि मौजूदा सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। पानीपत थर्मल प्लांट का नाम महान् स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय चौधरी देवी लाल के नाम से रखा हुआ था। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के महान् शहीदों को प्रणाम करता हूं क्योंकि इन वीर शहीदों ने हमारे देश की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी है। इसके अतिरिक्त मैं 7 मार्च, 2006 को वाराणसी में हुए बम विस्फोटों में मारे गये मासूम लोगों के दुःखद निधन पर भी अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से गहरा शोक प्रकट करता हूं। इसके अतिरिक्त मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के मामा के पोते श्री आशीष के निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से श्री मनफूल सिंह के निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूं। वे बहुत अच्छे समाज सेवी थे। वे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल के भाई ही नहीं थे बल्कि उनके अच्छे दोस्त के रूप में भी उनका साथ दिया था। वे मेरे साथी विधायक चौधरी दूडाराम जी के पिता श्री थे, हमारे उप-मुख्यमंत्री चौधरी चन्द्र मोहन जी और संसद सदस्य श्री कुलदीप बिश्नोई के चाचा थे। इससे पता चलता है कि वे एक राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए थे। वे अचानक हमें छोड़कर चले गये, उनके निधन पर मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से गहरा शोक प्रकट करता हूं। इसके अतिरिक्त हमारी संसदीय सचिव कुमारी शारदा राठौर के पिता श्री अमर सिंह के निधन पर भी मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से गहरा शोक प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तथा अपनी पार्टी के साथियों की तरफ से सभी दिवंगत लोगों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं तथा परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे इन दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे तथा उनके परिवारों को यह असीम दुःख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री राधेश्याम शर्मा अमर (नारनौल) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता आदरणीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की तरफ से जो शोक प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हमारे पूर्व मन्त्री सरदार लक्ष्मण सिंह सांसद भी रहे और बहुत ही अच्छे विधायक थे तथा बहुत ही बढ़िया सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। वे लोगों की मुसीबतों तथा दुःख दर्द को बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक सुनते थे। वे लोगों की समस्याओं का समाधान करने में गहरी रूचि रखते थे और

उन समस्याओं को हल करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया करते थे। एक बार मेरे गांव में भी उनका जाना हुआ था उनके वहां जाने पर आस पास के काफी लोग वहां पर एकत्रित हो गए थे और लोगों ने उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुना और वहां के लोगों ने उनकी बहुत ही प्रशंसा भी की । मैं उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे जो महान् स्वतन्त्रता सेनानी रहे हैं उन्हीं के बलिदानों के कारण तथा उनकी कुर्बानियों की वजह से ही आज हम यहां पर स्वतन्त्र रूप से बैठे हुए हैं। मैं प्रस्ताव में वर्णित स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। वे सैनिक जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए और इस देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगाई उनके निधन पर मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। इसके साथ ही वाराणसी के अन्दर जो भीषण बम विस्फोट हुए जिसके कारण अनेकों निर्दोष भाई बहन मारे गए और अनेकों घायल हुए, उनके प्रति भी मैं गहरा दुःख व्यक्त करता हूं तथा इन बम विस्फोटों की निन्दा करता हूं। वाराणसी में हिन्दु मुस्लिम लोगों को मैं अपनी बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वाराणसी में हिन्दू-मुस्लिम अथवा धार्मिक तनाव पैदा नहीं होने दिया और वातावरण को बहुत ही बढ़िया तथा सौहार्दपूर्ण बनाए रखा । हमारे सदन के नेता चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के मामा के पोते अशीष का असामयिक निधन हो गया है और सारे सदन ने उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। मैं भी उनके प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। इसी प्रकार से हमारे साथी विधायक श्री दुड़ा राम के पिता जी, हमारे आदरणीय उप-मुख्य मन्त्री श्री चन्द्र मोहन जी के चाचा जी तथा हमारे सांसद विश्नोई श्री कुलदीप सिंह के चाचा तथा चौधरी भजन लाल जी के छोटे भाई चौधरी मनफूल सिंह के निधन पर भी मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं। हमारी संसदीय सचिव माननीय कुमारी शारदा राठौर के पिता श्री अमर सिंह जी का असामयिक निधन हो गया है। सारे सदन के साथ मैं भी अपनी तरफ से उनके प्रति गहरा शोक व्यक्त करता हूं तथा परमपिता परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें तथा उनके परिवारों को यह असीम दुःख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। धन्यवाद।

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य मन्त्री जी ने जो शोक प्रस्ताव रखा है मैं अपने आप को इस प्रस्ताव के साथ जोड़ता हूं। सरदार लछमन सिंह जी हमारे बहुत ही पुराने राजनेता थे। उन्होंने 1967 में पहली बार कालका से चुनाव लड़ा था और मैंने भी 1967 में ही पहली बार छछरौली हल्के से चुनाव लड़ा था, तब से लेकर उनके निधन तक उनके साथ मेरे बहुत ही मधुर सम्बन्ध रहे। वे बहुत ही जिन्दादिल व्यक्ति थे। सरदार लछमन सिंह जी से जब भी पूछते थे कि आपकी आयु कितनी है तो वे कहा करते थे कि गुलामी का जो समय था मैं उसको अपनी उम्र में नहीं गिनता और दूसरे जब जब हमारी सरकार नहीं रही उसको भी मैं अपनी उम्र में नहीं गिनता बाकी आप लगा लीजिए कि मेरी उम्र कितनी होगी और अगर सारी उम्र गिने तो मेरी उम्र करीब 20-25 साल ही हुई है। अध्यक्ष महोदय, वे बहुत ही खुशदिल और जवांदिल व्यक्ति थे। वे बाथरूम से नहा कर निकले और बाथरूम के बाहर ही वहां पर गिर गए। विधि का विधान देखिए:

जमाना बड़े शौक से सुन रहा था दास्तां अपनी, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते।

अध्यक्ष महोदय, 1982 में वे मेरे साथ ही मन्त्री थे और 1983 में हमें इकट्ठे ही मन्त्रिमण्डल से बर्खास्त किया गया था। हमारे उनके साथ बहुत ही मधुर सम्बन्ध थे। मुझे उनके निधन पर गहरा दुःख हुआ है। इसी प्रकार सदन के नेता ने स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर,

[श्री फूल चन्द मुलाना]

हरियाणा के शहीदों के निधन पर और वाराणसी बम्ब विस्फोट में कई निर्दोष लोगों के निधन के बारे में भी शोक प्रस्ताव रखा है। मैं इस पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। स्पीकर महोदय, स्वतन्त्रता सेनानियों के सहारे ही हम आज यहां पर बैठे हुए हैं। यहां पर उनके लिए यह कहना सही होगा कि "शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बांकी निशां होगा।" तो हम सब का फर्ज है कि हम उनको नमन करें। इसी प्रकार से यह जो आतंकवाद में लोग मारे गए हैं यह बहुत ही दु:खद घटना है। आज सारे देश में आतंकवाद के खिलाफ बहुत जोर-शोर से लड़ाई लड़ी जा रही है लेकिन बहुत सारे अंश ऐसे हैं जिनका इन्सानियत से कोई तालुक नहीं है। यह आतंकवादी इन्सानियत के खिलाफ हैं। इनके खिलाफ हम सभी को मिलकर जंग लड़नी होगी। इसी के साथ सदन के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के मामा के पोते श्री आशीष का दु:खद निधन हो गया है, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री दुड़ाराम के पिता श्री मनफूल जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और बहुत ही शरीफ आदमी थे, वे भी यह दुनिया छोड़कर के चले गए हैं उनके प्रति भी मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। हमारी सदन की सदस्या कुमारी शारदा राठौर के पिता श्री अमर सिंह जी भी बहुत ही अच्छे आदमी थे। कुमारी शारदा राठौर जी बता रही थीं कि उनके पिता ही उनको राजनीति में लेकर आए थे। उनके प्रति भी मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव सदन में रखा है मैं भी अपने आपको उसके साथ जोड़ता हूं और दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव सदन में रखा है और दिवंगत आदमियों के प्रति माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार प्रकट करे हैं, मैं भी अपनी भावनाएं उनके साथ जोड़ता हूं। पिछले सैशन के समाप्त होने के पश्चात् और इस सैशन के आरम्भ होने के बीच में हमारे बीच में से कई महान् विभूतियां इस दुनिया को छोड़ कर चली गई हैं। सबसे पहले मैं सरदार लछमन सिंह, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका निधन हृदय गति रुक जाने की वजह से हुआ है। वे बहुत ही अनुभवी विधायक थे। वे 1967, 1977 और 1982 में विधान सभा के चुनाव लड़कर आए थे। उन्होंने खासकर कालका क्षेत्र की जी-जान से सेवा की थी। उन्होंने 1978 से लेकर 1983 तक मंत्री रहते हुए कई कार्यालयों का कार्य-भार सम्भाला था। आज वे हमारे बीच में नहीं रहे हैं इसका हमें बेहद दु:ख है। इसके साथ ही मैं स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर जिनका नाम मुख्यमंत्री जी ने शोक प्रस्ताव में दिया है, गहरा शोक प्रकट करता हूं। आज स्वतन्त्रता सेनानियों के बलिदानों का नतीजा है कि आज हम आजाद देश में बैठे हुए हैं। आज हमें उनके बलिदान से प्रेरणा लेनी चाहिए और सच्चे मन से तन से और धन से देश की सेवा करनी चाहिए। मैं उन सभी शहीदों को शत-शत नमन करता हूं जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है। मैं उन शहीदों के प्रति गहरा शोक प्रकट करता हूं। इसके साथ ही वाराणसी बम विस्फोट में कई मासूमों का भी निधन हुआ है, उसकी भी मैं निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के मामा के पोते श्री आशीष जी के दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। हमारे हरियाणा के विधायक श्री दुड़ा राम जी के पिता और हमारे उप-मुख्यमंत्री के चाचा और हरियाणा विधान सभा के सदस्य चौधरी भजन लाल जी के छोटे भाई श्री मनफूल सिंह तथा संसदीय सचिव कुमारी शारदा राठौर के पिता श्री अमर सिंह के दु:खद निधन पर भी मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं दिवंगतों के शोक

संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। मैं परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। उन शोक संतप्त परिवारों तक इस सदन की संवेदना पहुंचा दी जाएगी। अब मैं दिवंगत आत्माओं के सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए सदन के सभी सदस्यों से खड़ा होने के लिए अनुरोध करता हूं।

(इस समय सदन ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर उनकी आत्मा की शान्ति के लिए दो मिनट का मौन धारण किया।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

Damage caused to the Mustard Crop

***389. Sh. Radhey Shyam Sharma :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the mustard crop in Southern Haryana has been damaged due to severe cold during this year; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide financial assistance to the affected farmers of the said area ?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

श्री राधेश्याम शर्मा अमर : स्पीकर साहब, यह सरकार किसानों की सरकार है और किसानों का हित करने वाली सरकार है। अगर राज्य सरकार किसी कानून के कारण मुआवजा नहीं दे सकती तो क्या माननीय मंत्री महोदय कोई और विकल्प ढूंढकर उन किसानों को जिनकी सरसों की फसल पहले तो सर्दी के कारण समाप्त हो गयी और अब जो वर्षा हुई, उससे उनकी सरसों की सारी खड़ी फसल के दाने झड़ गये, किसानों को कुछ नहीं मिला, उनको मुआवजा दिलवाने की कृपा करेंगे ? क्या माननीय मंत्री महोदय और कोई विकल्प ढूंढकर किसानों की सहायता करने में समर्थ नहीं हैं ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो सरसों की फसल के बारे में मुद्दा उठाया है तो यह बात सही है कि इस बार जीरो डिग्री से कम तापमान चला गया था। लेकिन जो क्लैमिटी रिलीफ फंडज 12वें फाईनेंस कमीशन द्वारा बनाया गया था उसमें पाला कवर्ड नहीं है। इसके तहत साइक्लोन, ड्राउट, हेल स्टोर्म, अर्थ-क्वेक, फायर, फ्लड और सुनामी जैसी कई किस्म कि बातें कवर्ड हैं। जो क्लैमिटी रिलीफ फंडज है इसमें 75 परसैंट पैसा सैंट्रल गवर्नमैंट का और 25 परसैंट पैसा हमारा होता है। मुख्यमंत्री जी ने शरद पवार जी को भी 25-1-2006 को सरसों

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

की फसल के बारे में लिखा है कि जो पाला है उसको भी कलैमिटी रिलीफ फंडज के तहत कवर्ड किया जाए। स्वयं भी मुख्यमंत्री महोदय इस बारे में उनसे मिले हैं और इसके बाद उन्होंने फाईनैंस मिनिस्टर को भी एक चिट्ठी लिखी है। इसके इलावा उन्होंने एक चिट्ठी पाटिल साहब को भी लिखी है लेकिन इसमें समस्या यह है कि सी०आर०एफ० की जो परिभाषा है उसमें पाला कवर नहीं होता है। फिर भी मैं इनको बताना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर पहली बार अपनी नैशनल इंश्योरैन्स स्कीम इस बारे में चलायी गयी है। इस स्कीम में 13 जिलों के अंदर 73 ब्लाक्स हैं। इस स्कीम के तहत हिसार, फतेहाबाद, सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, सिरसा, भिवानी, झज्जर, जींद, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी और मेवात जिलों को कवर्ड किया गया है। स्पीकर सर, इससे पहले किसी भी सरकार ने मस्टर्ड क्राप को इंश्योरैन्स स्कीम के तहत कवर नहीं किया है लेकिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय के प्रयासों से पहली बार मस्टर्ड और ग्राम की क्राप्स को इस स्कीम के तहत लाया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली स्टेट गवर्नमैंट ने जनवरी, 2002 में सैन्ट्रल गवर्नमैंट को लैटर लिखा, उस समय सैंटर में एन०डी०ए० की सरकार थी और श्री ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उनकी उस रिक्वैस्ट को भी इन्होंने टर्न डाउन कर दिया था। नैशनल इंश्योरैन्स स्कीम के तहत अगर 20 परसैंट से ज्यादा किसी भी फसल का नुकसान होता है तो उसको इंश्योरैंस स्कीम के तहत कवर किया जाएगा। इस इंश्योरैंस स्कीम में कोल्ड फ्रोस्ट को भी इन्क्लयूड किया गया है। टोटल 48833 किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी क्राप को इंश्योर्ड करवा रखा है, जिसके तहत उनकी फसल का नुकसान होने पर उन्हें रिलीफ मिल सकता है। लेकिन जब तक ये सी०आर०एफ० में इन्क्लयूड नहीं किया जाता तब तक सरकार अपनी तरफ से पैसा दे सकती है क्योंकि इसमें 75 परसैंट कंट्रीब्यूशन सैन्ट्रल गवर्नमैंट का है।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हरियाणा का पूरा जोन हेल स्टोर्म जोन है। यह सर्वविदित है, एग्रीकल्चरिस्ट जानते हैं और रेवैन्यू वाले भी जानते हैं। पूरा हरियाणा ओला वृष्टि के जोन में है। कोई साल ऐसा नहीं जाता कि जब जनवरी फरवरी में कहीं न कहीं ओले न पड़ते हों। इसी तरह हर साल सर्दियों में पाला पड़ता है। सरसों की क्राप कमजोर क्राप है इसलिए पाले को सरसों की फसल बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या मुख्यमंत्री महोदय सैंट्रल गवर्नमैंट से दोबारा बात करेंगे कि पाला और ओला वृष्टि इन दोनों को भी एन०सी०आर०एफ०के अंदर शामिल किया जाए नहीं तो हरियाणा का किसान इसी तरह से सालों साल मरता रहेगा? जहां तक मंत्री महोदय ने इंश्योरैंस स्कीम की बात की है तो मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान स्थिति में आज जो इंश्योरैंस स्कीम है वह केवल कोपरेटिव बैंक्स के जो लोनीज है यानि जो मैम्बर्ज हैं, उनके ऊपर लागू है जो कि बहुत कम लोग हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि तहसील या ब्लाक ही उसका एरिया हैं, पूरे गांव या पूरे इलाके इसमें कवर्ड नहीं होते । जब तक इस इंश्योरैंस स्कीम को अमैंड करके इसको इंडीविज्यूअल लैवल पर नहीं लाएंगे और इसका स्कोप वाइड नहीं करेंगे तब तक इसका पूरा फायदा आम आदमी को नहीं हो पाएगा इसलिए स्कोप वाइड करना चाहिए। इसके साथ-साथ मेरी अर्ज है कि ओला वृष्टि और पाले को एन०सी०आर०एफ० में शामिल करवाया जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने विस्तार से इस स्कीम के बारे में बताया है कि मुख्यमंत्री महोदय ने इसके लिए खूब प्रयास किए हैं और उन्होंने सैंट्रल गवर्नमैंट को लैटर भी

लिखे हैं। जहां तक इन्होंने सवाल उठाया है कि पाले को भी एन०सी०आर०एफ० में इन्क्लयूड किया जाए तो इस बारे में हमारी कोशिश अभी भी जारी है। जहां तक इन्होंने इंश्योरैंस स्कीम के बारे में बात की है तो इसमें जो नॉन लोनीज हैं वे भी अपनी क्राप को इंश्योर करवा सकते हैं। सरकार इस बारे में पूरा प्रयास कर रही है कि इसका पूरा प्रचार किया जाए। केवल 20 प्रतिशत जो किसान को देना पड़ता है उसमें से 10 प्रतिशत प्रीमियम सबसिडी स्टेट गवर्नमैंट देती है इसलिए सरकार की तरफ से इसमें सबसिडी का भी प्रावधान है और हर प्रकार की सुविधा है लेकिन आने वाले समय में सरकार इसका थोड़ा प्रचार और करेगी ताकि आम व्यक्ति अपनी क्राप को इंश्योर करवा सके। मैं समझता हूं कि इसका पता आम व्यक्ति को होना जरूरी है।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने विस्तार से इस स्कीम के बारे में बताते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री महोदय ने लैटर्ज लिखे हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, गोदबलावा और अटेली के कुछ ऐसे ब्लाक हैं जिनके अंदर 6 महीनों से पानी की एक बूंद भी नहीं गई जिसके कारण उनकी सरसों की फसल भी बर्बाद हो गई। बैंकों के अधिकारी अपनी जीप और गाडियां लेकर अभी भी किसानों को परेशान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय सदन में मौजूद हैं क्या वे बताएंगे कि किसानों के ऋण की अदायगी की मांग जो बैंक वाले कर रहे हैं उन पर कोई रोक लगाएंगे और उनकी ब्याज की राशि को माफ करने का काम करेंगे क्योंकि यह राहत उन्हें केवल सरकार दे सकती है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कोओपरेटिव बैंक के अधिकारियों को किसानों को अरैस्ट करने की जो हिदायतें दे रखी थीं, उन पर अब रोक लगाने के लिए कहा है और हरियाणा पहला प्रदेश है जहां इस प्रकार का इंतजाम किया गया है। जहां तक महेन्द्रगढ़ की बात इन्होंने की है तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि महेन्द्रगढ़ में 29,211 ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपनी क्राप इंश्योर करवा रखी है। मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक फसल का सवाल है, फसल आज के दिन बहुत अच्छी है। यह बात ठीक है कि फसल को कुछ नुक्सान हुआ है। जहां तक पानी टेल तक पहुंचाने की बात है, पानी टेल तक पहुंचा है और कुछ एरियाज में टेल तक पानी पहुंचाने के लिए काम चल रहा है, वहां भी पानी टेल तक पहुंचेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने हैफेड के जरिये पिछले साल तीन लाख छः हजार टन सरसों किसानों से खरीदी है जो कि पहली बार हुआ है जबकि पिछली सरकार के समय में 75 हजार टन सरसों ही खरीदी गई थी। विपक्ष के साथी तो अपने आपको किसान हितैषी कहते थे लेकिन इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किसानों का एक दाना नहीं खरीदा।

डा० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि केन्द्र सरकार फसल पर पाले की मार को नैचूरल क्लेमिटी रिलीफ फंड में शामिल नहीं करती। हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और अनाज के मामले में केन्द्रीय पूल में अच्छा योगदान हरियाणा प्रदेश का होता है। जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसानों का 1600 करोड़ रुपये का बिजली का बिल माफ किया है उसी आधार पर जिन किसानों की फसलों को पाले के कारण नुक्सान हुआ है क्या उनको मुआवजा देने का कोई प्रावधान सरकार की तरफ से बजट में किया जायेगा ? दूसरी

[डा0 सुशील इंदौरा]
बात मैं यह कहना चाहता हूं कि फसल खराब होने के कारण किसान आबयाना नहीं भर सकते क्या उनका आबयाना माफ किया जायेगा ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जिस समय इनकी सरकार हरियाणा में थी और केन्द्र में एन०डी०ए० की सरकार थी जिसमें ये भाई भी शामिल थे, उस समय इन्होंने भी इस बारे में केन्द्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी लेकिन केन्द्र सरकार ने पाले की मार को नैचूरल क्लेमिटी रिलीफ फंड में नहीं माना । मैं अपने साथी को बताना चाहूंगा कि जब तक इसको केन्द्र सरकार नैचूरल क्लेमिटी रिलीफ फंड के दायरे में नहीं लेगी तब तक हमारी सरकार पैसा नहीं दे सकती। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जो मेरे साथियों ने चर्चा की है उस बारे में कहना चाहूंगा कि जहां तक हरियाणा सरकार का सवाल है, हरियाणा सरकार किसान हितैषी सरकार है। जो पहले वाली सरकार थी वह सिर्फ किसानों का नाम-नाम लिया करती थी लेकिन किसानों के हितार्थ कोई कार्य नहीं किया। जहां तक सरसों की फसल का सवाल है आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि पिछले साल हमारी सरकार ने तीन लाख मीट्रिक टन सरसों किसानों की खरीदी थी जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है। अब की बार भी हमारी सरकार सरसों की फसल और दूसरी फसलों की खरीददारी करेगी। अब की बार अनुमानित 4 से 5 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद हमारी सरकार करेगी। इसके अतिरिक्त दो-तीन सवाल और उठे हैं। एक सवाल तो चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने उठाया था। मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि हैल स्टोर्म तो पहले से ही एन०सी०आर०एफ० में कवर है। पिछली सरकार के समय में हैल स्टोर्म से फसलों को जो नुक्सान हुआ था उसका मुआवजा भी हमारी सरकार ने आने के बाद किसानों को दिया है। इसके अतिरिक्त इंश्योरैंस की बात कही गई। यह बात ठीक है कि इस समय ब्लाक यूनिट चल रहे हैं और फसल को कितना नुक्सान हुआ है इसका आंकलन फसल आने के बाद ही हो सकता है कि कितने प्रतिशत फसल कम हुई है। अध्यक्ष महोदय, फसल इन्श्योरैंस स्कीम सभी किसानों के लिए ओपन है जिसमें 10 प्रतिशत पैसा सरकार देती है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपनी फसल का बीमा नहीं करवाया है। इनकी यह बात ठीक है कि ब्लाक लैवल की यूनिट न बनाकर विलेज लेवल पर यूनिट बनाई जायें। इस पर हम विचार करेंगे और इन्श्योरैंस कंपनी वालों से भी बात करेंगे। मैं सदन को यह जानकारी भी देना चाहूंगा कि पिछले साल जब सरसों की खरीद चल रही थी तो कुछ मण्डियों में समस्या हुई थी। किसानों को लम्बी लाईन लगाकर खड़ा होना पड़ा था और कई-कई दिन उनको इन्तजार करना पड़ा था। नैफेड सरसों की खरीद कर रहा था और नैफेड ने यह कहा कि सिर्फ सोसाईटीज़ के थ्रू हैफेड सरसों खरीदेगा। हमने भी प्रयास किया और व्यापारियों और आढ़तियों के थ्रू भी हमने सरसों की खरीद की। अब की बार हमने यह फैसला किया है कि नैफेड, हैफेड के थ्रू सरसों खरीदेगा। लेकिन जो आढ़ती हैं वे भी खरीदेंगे ताकि किसानों को सुविधा हो और समय पर उनकी सरसों की खरीद हो जाए। जो सरसों आढ़तियों के थ्रू आएगा उसको साफ करने के लिए 10.70 रुपये हैफेड अपनी कमीशन में से देगा ताकि जल्दी से जल्दी उसका निपटारा हो सके।

Desilting of Canals

***393. Dr. Sita Ram :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether the desilting and repair work of the canals has been done in the State during the year 2005; if so, the district-wise details of the amounts spent thereon; and

(b) if the reply to part (a) above be in negative, whether there is any proposal under consideration of the Government to desilt the canals during the year 2006 ?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a) & (b) Sir, a statement is laid on the Table of the House.

Statement

Against a budget provision of Rs. 45.54 Crores during 2005-06 for the purpose, an expenditure, of Rs. 31.71 Crores has been reported upto 31.1.2006. District-wise details are as under:—

(Rs. in lacs)

Sr. No.	Name of District	Amount Spent
1.	Ambala	51.74
2.	Bhiwani	495.01
3.	Faridabad	52.00
4.	Fatehabad	223.20
5.	Gurgaon	40.50
6.	Hissar	323.50
7.	Jhajjar	101.40
8.	Jind	238.30
9.	Kaithal	132.00
10.	Karnal	108.92
11.	Kurukshetra	94.95
12.	Mahendergarh	240.42
13.	Panipat	106.00
14.	Rewari	163.50
15.	Rohtak	260.56
16.	Sirsa	266.00
17.	Sonepat	182.00
18.	Yamuna Nagar	91.20
Total		3171.20
		Say Rs. 31.71 Crores

Desilting and repair of Canals is an annual feature and a provision would be made in the Annual Budget of 2006-07 also.

डा०सीता राम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने अपनी रिप्लाई में कहा है कि वर्ष 2005-06 के अन्दर नहरों की गाद निकालने एवं मरम्मत के लिए 45.54 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया है और खर्च सिर्फ 31.71 करोड़ रुपये हुए है । मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जितनी हमारी नहरें और खालें हैं तथा जो माईनर्ज हैं क्या उनकी डिसिल्टिंग की गई है, क्या गाद निकालने का काम पूरे प्रदेश में किया गया है ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अभी भी कुछ नहरें और ड्रेनेज ऐसी हैं जिनकी गाद निकालने का काम अधूरा रह गया है ? इसके साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि किस एजैंसी के माध्यम से नहरों की गाद निकालने का काम किया गया है?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि जो टोटल प्रावधान किया था वह 45.54 करोड़ रुपये का किया गया था जिसमें से 10 मार्च तक हमने 34.90 करोड रुपये इस कार्य पर खर्च कर दिये हैं । इसके साथ ही मैं इनको यह भी बताना चाहूंगा कि टोटल 29.11 करोड़ रुपये वर्ष 2004-05 में डि-सिल्टिंग के कार्य पर खर्च किए गए थे और उससे पहले वर्ष 2003-04 में 23 करोड रुपये इस काम पर खर्च हुए थे, वर्ष 2002-03 में 15.78 करोड़ रुपये और वर्ष 2001-02 के अन्दर 22.95 करोड रुपये खर्च हुए थे। इस साल हमने 34.94 करोड़ रुपये डि-सिल्टिंग के काम के लिए खर्च कर दिए हैं। मैं समझता हूं अभी भी हमारे पास समय और भी पड़ा हुआ है लेकिन जो हम डि-सिल्टिंग करवा रहे हैं उसमें ट्रांसपिरैंसी लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से हमने एस०डी०एम० के अण्डर एक कमेटी बनाई है। अब पेमैंट का ऐसा सिस्टम नहीं है कि मन में आया जिस किसी को पेमैंट कर दी। अब सिस्टम यह है कि जब तक एस०डी०एम० इन्डोर्स नहीं करेगा कि डि-सिल्टिंग का काम अच्छी तरह से हो गया है तब तक उसकी पेमैंट नहीं होगी । यह जो टैंडर सिस्टम किया है उसमें अलग-अलग एजैंसीज़ हैं जो अपने तौर पर अपने लैवल पर टैंडर सबमिट करती हैं और सारा कार्य उनके द्वारा किया गया है। उसमें पेमैंट बाकायदा तभी की जाती हैं जब एस०डी०एम० उसको इन्डोर्स करता है। उस कमेटी में हमने नॉन ऑफिशियल मैम्बर्ज बनाने का प्रावधान भी किया है। जो गाद निकाली जाती है उसको हम चैक करवा रहे हैं और अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई गलती पाई जाती है तो हम उनके खिलाफ कार्यवाही करते हैं।

डा० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि डि-सिल्टिंग का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। हम भी लोगों के बीच में घूमते फिरते हैं लेकिन हमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि पूरे प्रदेश में डि-सिल्टिंग का काम चल रहा है, नहरों और माईनर्ज की सफाई का काम चल रहा है (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: डॉक्टर साहब, अगर कोई स्पैसिफिक माईनर है तो उसके बारे में आप बताईये।

डा० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, डबवाली माईनर है, चौटाला माईनर है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, चौटाला माईनर नहीं है वे तो मेजर हैं।

डा० सीता राम: अध्यक्ष महोदय, डबवाली डिस्ट्रिब्यूटरी है, वहां पर जाने के बाद मैंने देखा है कि वहां पर कोई काम नहीं हुआ है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, प्रोपर सिरसा जिला के अन्दर इनकी सरकार के समय में 293.17 लाख रुपये खर्च किए गए थे। अभी 31 मार्च दूर है लेकिन हमने अब तक 269.50 लाख रुपये खर्च कर दिए हैं। इनके समय में रिवाड़ी में केवल 75 लाख रुपये खर्च किए गए थे जब कि हमारे समय में 185 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि इनकी सरकार की तरह हमने किसी भी कांस्टीच्यूएंसी में भेदभाव की नीति नहीं अपनाई। इनके समय में पूरे हरियाणा प्रदेश के अन्दर केवल एक ही टैंडर हुआ करता था जबकि हमारी सरकार के समय में इस प्रकार की बात नहीं है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Yadav ji, what is your supplementary ?

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में डिल्सिटिंग का पैसा तो लग रहा है लेकिन जो मोस्ट इफैक्टिव एरिया नांगल चौधरी और अटेली है, वहां पर पानी की बहुत दिक्कत है। क्या किसी एक माईनर का नाम ये बताएंगे जहां पर सफाई पर कार्य किया जा रहा है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं महेन्द्रगढ़ के बारे में बता रहा था। वहां पर पिछले साल 96.4 लाख रुपए खर्च हुए हैं।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि ये मुझे सिर्फ नांगल चौधरी और अटेली की किसी एक माईनर का नाम बता दें, कि इस इस माईनर पर काम हो रहा है या हुआ है।

Mr. Speaker : Yadav ji, you ask separate question.

कैप्टन अजय सिंह यादव : नरेश जी, आपको तो यह कहना चाहिए कि काम हो रहा है। आप तो उल्टा गल्तियां निकालने का काम कर रहे हो।

चौ0 धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से सवाल है कि डिसिल्टिंग का क्या पीरियड निर्धारित किया हुआ है कि कब-कब और कहां-कहां पर डिसिल्टिंग की जाएगी ? स्पीकर सर, डिस्लिटिंग का जितना फंड है उसका मिसयूज होता है। जब बरसातें आती हैं तो नहरें चलने लग जाती है लेकिन उसके थोड़े दिन पहले ही वहां पर यह काम किया जाता है जिसका कोई फायदा नहीं होता है. मैं कैप्टन साहब की उस बात को एप्रीशिएट करता हूं कि जो इन्होंने कहा है कि डिसिल्टिंग के लिए एक कमेटी बनाई हुई है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि रबी, खरीफ और पैडी की फसल की बोआई से पहले नहरों की सफाई करवाते हैं। अध्यक्ष महोदय, सभी नहरें डिफरैंट डिफरैंट पीरियड्ज में चलती हैं, उनके बंद होने पर हम उनकी सफाई करवाते हैं। हम साल में पांच बार सफाई का काम शुरू करवाते हैं। जहां पर जिस वक्त सफाई की जरूरत होती है वहां पर हम उसी हिसाब से काम करवाते हैं।

Irregularity committed in the Appointment of Class-IV

*343. **Sh. Karan Singh Dalal** : Will the Minister for Education be pleased to state :

(a) whether the State Government has received any complaint with affidavit in regard to the irregularities committed in the regularization/ appointment of class IV employees in the schools of district Mahendergarh during the year 2004 and 2005;

(b) whether any enquiry has been conducted in this regard, if so, the action taken thereon; and

(c) whether any responsibility has been fixed for the lapses; if so, details thereof and action taken against them ?

Education Minister (Sh. Phool Chand Mullana) :

(a) Yes, Sir. A complaint was received from Sh. Rajesh Kumar, JBT teacher, Govt. Primary School, Bass Khudana (Mahendergarh) in regard to the irregularities committed in the regularization/appointment of Class IV employees.

(b) Yes, Sir. An enquiry was conducted into the matter by Sh. Anil Sharma, HCS, Joint Director, Administration (Primary). On the basis of this enquiry report, show-cause notices were issued to the concerned employees who were irregular employed. Thereafter, these employees filed a CWP No. 6241 of 2005 in the Hon'ble High Court and the Hon'ble High Court has quashed the orders of show-cause notices in its decision dated 25-4-2005. After further consideration, the Haryana Govt., has ordered a Vigilance Inquiry into the matter vide its memo No. 63/64/2004-Vig. (II) dated 17.1-06. The inquiry report is still awaited.

(c) Yes Sir. On the basis of the departmental enquiry, 2 District Education Officers, 1 District Primary Education Officer, 6 Sub-Divisional Education Officers, 22 Block Education Officers, 3 Principals and 14 Headmasters were found responsible for such irregularities. Before further action could be taken against these persons, the same complainant Sh. Rajesh Kumar, JBT teacher, Govt. Primary School, Bass Khudana (Mahendergarh) filed a fresh Public Interest Litigation through CWP No. 1562 of 2005 in the Hon'ble High court and prayed for fresh enquiry. Accordingly, the Department has again ordered a fresh inquiry into the matter, by appointing Sh. Shish Pal Yadav, Joint Director O/o Commissioner & Director General School Education, Haryana, as Enquiry Officer. In the meanwhile, the Haryana Govt., Vigilance Department vide its memo No. 63/64/2004-Vig. (II) dated 17-1-06 has also ordered Vigilance Inquiry into the matter. Action would be taken after receipt of the Inquiry report (s).

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो जानकारी इन्होंने सदन के पटल पर रखी है वह साफ तौर पर यह दर्शाती है कि क्लास IV के इम्पलाईज की भर्ती पर 1996 में पाबन्दी होने के बावजूद गैर कानूनी तरीके से भर्ती की गई थी। मंत्री जी ने अपने जवाब में भी माना है कि कई अधिकारी इसमें शामिल हैं जिन्होंने प्रदेश के खजाने को नुक्सान पहुंचाने के लिए गैर काबिल लोगों को भर्ती करने की एक साजिश की थी। इसमें डी०ई०ओज०, बी०ई०ओज० और एस०डी०ई०ओज० शामिल हैं। उन्होंने पिछली सरकार के राजतंत्र की मिलीभगत से यह काम किया है। उनकी मिलीभगत के बगैर यह काम हो नहीं सकता था। मैं शिक्षा मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि जो भी बड़े अधिकारी उसमें शामिल थे और राजतंत्र से जुड़े हुए लोग थे, क्या उनको कानूनी तौर पर ये सजा दिलवाएंगे?

श्री फूलचंद मुलाना : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैंने पिछले सत्र में एक सवाल के जवाब में भी बताया था। अध्यक्ष महोदय, उनका तो यही हिसाब है कि एक बार एक ताई बोली, रमलू तनै रोल्यू। तो रमलू बोला ताई ईंबे क्या तूं आगे आगे देखी जा और तूं रोई जा। स्पीकर सर, जहां पर भी कोई गड़बड़ी सामने आती है तो यह सारी भर्ती उन ओम प्रकाश चौटाला के राज की ही है। चाहे आपराधिक मामले वाले अध्यापकों की बात हो या चाहे फोर्थ क्लास कर्मचारियों की भर्ती की बात हो, यह सब उन्हीं के समय की हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड की बात है। हमारे पास लिखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, की सरकार ने जांच के आदेश दिए और जांच के बाद कई सारे लोग दोषी पाए गए। वे हाई कोर्ट में चले गये। हाई कोर्ट ने वह नोटिस क्वैश कर दिया और कहा कि इसको दोबारा सुना जाए। जब दोबारा सुनवाई की गयी तो फिर एक बार रिट पैटीशन हाई कोर्ट में हो गई और हाई कोर्ट ने फिर कहा कि इसकी दोबारा जांच की जाए। अध्यक्ष महोदय, दोबारा जांच हो रही है और जांच में जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें दोषी और भी हो सकते हैं लेकिन जांच के दौरान जो कोई भी यदि दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक और आश्वासन लेना चाहता हूं। जिस शिकायतकर्ता ने इस बारे में ऐफेडेविट दिया था वह इनके विभाग में एक अध्यापक है। उसकी सुरक्षा के लिए या उसको कोई नुक्सान न हो तो क्या ये इस बारे में भी गौर करेंगे ?

श्री फूलचन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, जो भी शिकायतकर्ता है उसकी शिकायत पर ही यह सारी कार्रवाई हो रही है इसलिए उसको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

Replacement of Electricity old wires and conductors

***352. Maj. Nirpender Singh Sangwan:** Will the Minister for Power be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to replace the obsolete electricity wires & conductors of the villages of Dadri constituency; and

(b) if so, by what time the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

Power Minister (Sh. Vinod Kumar Sharma) :

(a) Yes Sir, the obsolete and worn out electricity conductors are being regularly removed and replaced with new conductors as and when required. The Scheme for replacement/ augmentation of Conductors of 5 No. of feeders in Dadri Area have been prepared.

(b) The replacement of obsolete conductors of 5 No. 11kv feeders will be completed by December-2006.

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, बिजली के कंडक्टर्ज के बारे में मंत्री जी ने यह बताया कि the obsolete and worn out electricity conductors are being regularily removed and replaced with new conductors. यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि यह काम पन्द्रह साल या दस साल से शुरू किया गया है। इनकी हालत बहुत खराब हैं। गावों में कई जगहों पर बिजली की तारें लटकी हुई हैं जिसकी वजह से ऐक्सीडैंटस होते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी आपके यह बात नोटिस में है कि डिपार्टमैंट ने एक रेडीक्यूलेटिव तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन एक बड़ा अजीब सा फैसला ले रखा है कि जब ट्रांसफार्मर जल जाएगा तो ही उसको रिप्लेस करेंगे? जलने से पहले अगर उनसे कहते हैं कि वह ट्रासफार्मर 100 के०वी०ए० का है और उस पर 150 या 200 के०वी०ए० लोड है इसलिए उसको 200 के०वी०ए० का कर दें तो वह यह बात जानते हुए भी कह देते हैं कि हम मजबूर हैं ऊपर से हुक्म है हम इसको जलने ही देंगे और जलने के बाद ही इसको बदलेंगे तथा हम इसको जिन्दा रिप्लेस नहीं कर सकते। यह बड़ी गलत नीति है क्या मंत्री जी इसको चेंज करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, जो ओवर लोडेड ट्रांसफार्मर्ज हैं क्या मंत्री जी उनको रिप्लेस करवाएंगे?

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति कहीं-कहीं हो सकती है कि जहां पर ओवर लोडिंग होती हो। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी साधन नहीं है जो हमें बता सके कि कौन से ट्रांसफार्मर पर कब ओवर लोडिंग हो जाएगी। कौन-कौन से लोग बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहां कहां पर कितनी ओवर लोडिंग है इसका कोई अन्दाजा पहले से नहीं लगाया जाता। अध्यक्ष महोदय, जितनी जरूरत होती है तो जरूरत के हिसाब से ही हम ट्रांसफार्मर लाईन पर लगाते हैं। अगर कहीं पर शिकायत है या अगर कहीं पर हमें पता चले कि रैगुलर बेसिज पर ओवर लोडिंग हो रही है तो वहां पर ट्रांसफार्मर्ज की रिप्लेसिंग की जाती है।

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि कंडक्टर्ज 40 सालों से भी ज्यादा पुराने हैं और मेरे हल्के के सभी गांवों में कंडक्टर्ज लूज हैंग हो रहे हैं जिससे रोजाना कोई न कोई हादसा हो जाता है। कभी ये तारें किसी ट्रैक्टर के आगे अड़ जाते हैं तो कभी किसी और गाड़ी के आगे अड़ जाते हैं। खेतों में जो कंडक्टर्ज लगे हुए हैं वहां पर भी कोई न कोई हादसा हो जाता है। खड़ी फसलें जल जाती हैं। या कहीं कोई मवेशी मर जाते हैं। मैं चाहूंगा कि इन कंडक्टर्ज को जल्दी से जल्दी कार्यवाही करके बदला जाए। अगर इनको जल्दी नहीं बदला गया तो ये हादसे रोजाना होते रहेंगे। जहां तक कम्पनसेशन की बात है तो वह भी इनको नहीं मिलता, इसके लिए सालों साल उनके केस बिजली के महकमें से चलते रहते हैं। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ट्रांसफार्मर्ज पर कहीं भी ऑफ एण्ड आन

स्विच नहीं लगे हुए हैं। तारें भी बहुत कमजोर हो चुकी हैं। महकमें वाले इनको टाइट करने की कोशिश करते हैं तो वे टूट जाती हैं। ये तारें किसी के घर की छत पर, सड़क या गली में आकर गिरती है जिससे नुक्सान होने का खतरा रहता है।

श्री अध्यक्ष : मेजर साहब, आप सप्लीमैंटरी पूछें।

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि जब तक हर ट्रांसफार्मर पर आफ एण्ड आन स्विच नहीं लगाए जाएंगें तब तक ये हादसे बन्द नहीं होंगें। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ट्रांसफार्मर पर आफ एण्ड आन स्विच कब तक लगाएं जाएंगें ?

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब के शुरू में ही बताया है कि दिसम्बर, 2006 तक सभी कंडक्टर्ज रिप्लेस कर दिए जाएंगें। जहां तक माननीय साथी ने आफ एण्ड आन स्विच की बात की है तो मेरी समझ में तो ऐसा कोई स्विच नहीं है। ट्रिपिंग की बात तो समझ में आती है।

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जहां से बिजली आगे जा रही है वहीं से बन्द कर दी जाये।

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी से पूछना चाहता हूं कि ये हाई टैंशन लाईन्स की बात कर रहे हैं या लो टैंशन लाईन्स की बात कर रहे हैं। या 33 के०वी० सब स्टेशन की बात कर रहे हैं, ये बताने का कष्ट करें ?

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मैं लो टैंशन लाईन्स की बात कर रहा हूं जिससे बिजली सप्लाई हो रही है।

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा स्विच नहीं है जिससे चलती तार को कहीं भी किसी वक्त आफ या आन किया जा सके।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, यहां बार-बार 700 करोड़ रुपये की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना का जिक्र आता है कि 700 करोड़ रुपये से इन तारों को बदला जाएगा। क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है कि पूरे राज्य की लाईनों को बदलने की कॉस्ट को आंका जा सके? देहातों में तारों की हालत बहुत बुरी है । बिजली विभाग के किसी एक्स०इ०एन०या एस०इ० या किसी और अधिकारी को कहते हैं कि इस गांव में यह हादसा हो गया है इसलिए ये तारें बदल दी जायें तो वे अपनी लाचारी का जिक्र करते हैं और इसी 700 करोड़ रुपये का जिक्र करते हैं कि 700 करोड़ रुपये की स्कीम आने वाली है इसलिए मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि बेहतर यह होगा कि आप सारे जिले की तारों की कीमत को आंककर बाकी के पैसे के लिए किस मंत्री महोदय से कहें क्योंकि उन्होंने हरियाणा स्टेट के लिए बिजली के लिए बहुत पैसा रखा है।

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी की बात से सहमत हूं। जहां तक कन्डक्टर्स को बदलने की बात है तो हमने 2004-2005 में 1700 कि०मी० के कन्डक्टर्स बदले हैं और 2005-2006 में 2345 कि०मी० के कन्डक्टर्स बदले गये हैं। इस प्रकार हमने पिछले साल के मुकाबले आलमोस्ट 33 प्रतिशत ज्यादा कन्डक्टर्स बदले हैं और आने वाले समय में और भी ज्यादा कन्डक्टर्स को बदलने की कोशिश करेंगे।

श्री शादी लाल बत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि कन्डक्टर्स और ट्रांसफार्मर्स जो फील्ड में लगे हुए हैं उनकी नार्मल लाईफ कितनी है और अगर उनकी नार्मल लाईफ पूरी हो गई है तो उनको बदलने की सरकार की क्या योजना है ?

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि सारे कन्डक्टर्स के बारे में तो जवाब देना बहुत मुश्किल है लेकिन पता करा लेंगे कि कितने हजार किलोमीटर कन्डक्टर्स लगे हुए हैं और उनमें से कितने पुराने हैं और कितने बदलने वाले हैं इसका विश्लेषण करवा लिया जायेगा।

श्री दूड़ा राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या खेतों और ढाणियों में बिजली के कनैक्शन देने के बारे में सरकार की कोई योजना है ?

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि अगर कनैक्शन के लिए हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन आयेगी तो उस पर विचार किया जाएगा।

चौ०अर्जन सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिन किसानों ने ट्यूबवैल के कनैक्शन लेने के लिए 15-20 साल पहले सिक्योरिटी भरी थी उनको कनैक्शन नहीं दिए गए, उनकी सिक्योरिटी कैंसिल कर दी गई और नई स्कीम के तहत पैसे लेकर ट्यूबवैल के कनैक्शन दिए जा रहे हैं। जो गरीब किसान हैं वे इतना अधिक पैसा नहीं दे सकते। क्या उन किसानों को जिन्होंने 15-20 साल पहले सिक्योरिटी भरी थी उनको बिना पैसे जमा करवाये पिछली सीनियोरिटी के आधार पर ट्यूबवैल के कनैक्शन दिए जायेंगे ? इसके साथ-साथ मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि मेरे हल्के में बिजली की तारें बहुत लूज हैं जिसके कारण बीचपुड़ी, लाकड़मथ प्रतापपुर, खदरी टप्पू माजरी आदि कई गांवों के फूस के मकानों में आग लग गई। इसके कारण ही कई पशु जल गये। एक औरत इतनी अधिक मात्रा में जल गई कि उसे पी०जी०आई०, चण्डीगढ़ में भर्ती करवाना पड़ा और आज भी वह वहीं भर्ती है। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे हल्के में जो बिजली की तारें लूज हैं उनको कब तक बदला जायेगा। ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में कई माननीय सदस्यों ने सवाल उठाये हैं। मैं पूरे सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा कि हम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के अंतर्गत 700 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू कर रहे हैं जिसमें 84 करोड़ रुपये की मंजूरी हो भी गई है। आने वाले पांच साल तक यह योजना पूरी की जायेगी। उसके बाद बिजली के क्षेत्र में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी।

Releasing of Electricity Connections to Tubewells

*396. **Sh. Naresh Yadav :** Will the Minister for Power be pleased to state

(a) the total number of electricity connections to tubewells for agricultural sector released in district Mahendergarh during the

period for 2004 to 2005 togetherwith the details of total number of applications for such electricity connections lying pending at present in the said district; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to formulate any new and simple policy to release the electricity tubewell connections for agricultural sectors; if so, the details thereof ?

Power Minister (Sh. Vinod Kumar Sharma) :

(a) Sir, during the financial year 2004-05 and 2005-06 (upto 02/2006) in Mahendergarh district 460 and 491 tubewell connections respectively were released. 934 No. tubewell connections are lying pending for release as on 28-2-2006.

(b) As per policy, the work of release of tubewell connections is being got done on turn-key basis, for which all the material except Transformers is being supplied by the contractor. It is expected that the pendency of Tubewells as on 28-2-2006 will be cleared by 30-9-2006.

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों ने अपने ट्यूबवैल्ज के लिए बिजली के कनैक्शन लेने के लिए एक डेढ़ साल से पैसे भरे हुए हैं। जिन किसानों को इतना समय पैसे भरे हुए हो गया और जिनको अब तक कनैक्शन नहीं मिले हैं क्या सरकार उनको जो पैसा उन्होंने भरा है, उस पर ब्याज देगी ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अब ठेकेदारों द्वारा बिजली के कनैक्शन दिए जाते हैं। पहले विभागीय जे०ई० आदि कनैक्शन देने के लिए रिश्वत लेते थे, अब ठेकेदारों के लोगों को किसान पहले अपना नम्बर लगवाने के लिए पैसे देते हैं। अगर उनको पैसे नहीं दिए जाते तो वे कनैक्शन देने में ढिले कर देते हैं। क्या उन पर सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे साथी ठेकेदारों द्वारा पहले कनैक्शन देने की बात कह रहे हैं इस बारे में मैं मेरे साथी को बताना चाहूंगा कि ठेकेदारों को विभाग की तरफ से नम्बरिंग दी जाती है उसी हिसाब से वे कनैक्शन करते हैं। अपने हिसाब से वे कनैक्शन पहले या बाद में नहीं कर सकते। जहां तक पैसे जमा करवाने की बात है एक डिमांड नोटिस के अगेन्सट 20 हजार रुपये जमा करवाये जाते हैं और पर स्पैन के हिसाब से अलग पैसे जमा करवाये जाते हैं। महेन्द्रगढ़ जिले में अब तक जो ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन दिए गए हैं उनकी जानकारी मैं अपने माननीय साथी को दे देता हूं। नारनौल में 10446 डिमांड नोटिस ईशू हुए थे। जिसमें से 6926 लोगों ने 20 हजार रुपये जमा करवाये थे। इनमें से 4837 लोगों ने आगे की रिक्वायर्ड अमाउंट जमा करवाई थी। इसलिए इसमें से 4090 कनैक्शन रिलीज हो गये हैं और 547 कनैक्शन अभी पैंडिंग हैं।

श्री रामकिशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि हमारी सरकार ने ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन के रेट कम किए हैं। लेकिन अब भी ऐसे-ऐसे छोटे किसान हैं जिनके पास एक या दो

[श्री रामकिशन फौजी]

एकड़ जमीन ही है और वे अब भी टयूबवैल के कनैक्शन के पैसे नहीं भर सकते। क्या ऐसे छोटे किसानों को सरकार कोई राहत देगी ताकि वे भी अपने टयूबवैल लगा सकें ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने बताया कि राजीव गांधी जी के नाम से बिजली की योजना चलाई जायेगी जिसके तहत किसानों को टयूबवैल के कनैक्शन भी दिए जायेंगे। उसके तहत विभाग वाले कहते हैं कि 6 या 7 खम्बों से ज्यादा का एस्टीमेट नहीं बनाया जायेगा और एक गांव की एक ढाणी में ही इस योजना का लाभ दिया जायेगा। लेकिन कई जगह तो एक गांव की दस-दस या पचास-पचास ढाणिया होती हैं। क्या हर ढाणी में इस योजना के तहत कनैक्शन देने का प्रावधान किया जायेगा ?

15.00 बजे **श्री विनोद कुमार शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि आज किसान को कनैक्शन देने के लिए पैसे देने पड़ते हैं लेकिन यह भी सही है कि बिजली हमें बाहर के प्रदेशों से भी खरीदनी पड़ती है। जितनी बिजली हम बनाते हैं उससे कहीं ज्यादा बिजली की खपत हमारे प्रदेश में है। सरकार की कोशिश यह है कि किसान को बिजली की किल्लत महसूस न हो और फसल को बनाने के लिए जितनी बिजली की जरूरत है उतनी बिजली उसको मिलती रहे इस तरफ सरकार का हमेशा से प्रयास रहा है। अगर हम यह सोचें कि किसी और ऐरिया में बिजली कम दे कर किसानों की बिजली की पूर्ति करें तो मैं समझता हूं कि यह सम्भव नहीं है।

श्री सोमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि टयूबवैल के जो कनैक्शन्ज़ दिये जाते हैं उनमें ट्रांसफार्मर्ज लगाए जाते हैं और ट्रांसफार्मर्ज में जी०ए० स्विच चेंज ऑफ स्विच लगता है उसके लिए किसान से पैसे भी लिये जाते हैं। पिछले पांच साल में जिनको बिजली के टयूबवैल के कनैक्शन्ज मिले हैं उनसे पैसे ले लिये गए हैं लेकिन जी०ए० स्विच नहीं लगाए गए हैं। जमींदार बार-बार चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन उनको जी०ए० स्विच नहीं मिलते हैं। महीने में एस०डी०ओ० हैड क्वार्टर पर दो तीन जी०ए०स्विच आते हैं। लेकिन जो कर्मचारी हैं वे अपनी मर्जी चलाते हैं और जहां चाहे लगा देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे कोई टाईम लिमिट तय करेंगे कि वे जी०ए० स्विच कब तक पूरे लगवा देंगे ?

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच साल की बात तो हमारे सामने बैठने वालों के शासनकाल की बात है। अगर इनके समक्ष ऐसी कोई बात है तथा खास तौर पर अगर ये यह बता सकेंगे कि पैसा लेने के बाद कहां पर इस प्रकार के स्विच नहीं लगे हैं तो उस पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री सोमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मेरी अपनी कांस्टीच्यूएंसी की बात है। मैं लोहारू की बात कह रहा हूं। मेरे लोहारू सब-डिवीजन में, ढिगावा सब-डिवीजन तथा बहल सब-डिवीजन में आधे से ज्यादा टयूबवैल्ज ऐसे हैं जहां पर चेंज ऑफ स्विच नहीं लगे हैं।

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि अगर वे लिखकर भिजवा देंगे कि कहां पर ये स्विच नहीं लगे हैं तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। (विघ्न)

श्री राधे श्याम शर्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने बताया है कि महेन्द्रगढ़ जिले में 934 ट्यूबवैल के कनैक्शन्ज़ पैंडिंग हैं और लगभग तीन-तीन साल से यह पैंडिंग चल रहे हैं। बिजली की कमी तो मजबूरी है लेकिन जो कनैक्शन्ज़ नहीं मिल रहे हैं यह सामान की कमी की वजह से नहीं मिल रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वहां पर बिजली के पोल्ज तथा ट्रांसफार्मर्ज नहीं है क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर पोल्ज तथा ट्रांसफार्मर्ज कब तक अवेलेबल करवा देंगे ? बिजली न मिलने के कारण तीन-तीन साल से जिन किसानों की फसलें खराब हो रही हैं क्या उन किसानों का भला किया जाएगा तथा सरकार उनके बारे में क्या सोच रही है ?

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैंने इस प्रश्न के उत्तर में बताया था कि दिनांक 30-9-2006 तक महेन्द्रगढ़ जिले में जो पैंडिंग कनैक्शन्ज़ हैं उनको पूरा कर दिया जाएगा।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बहुत ही अच्छी योजना के तहत 1600 करोड़ रुपये बिजली के बिलों की माफी दी थी और उसमें किसानों और मजदूरों को बड़ा भारी लाभ हुआ था। मैं आपके माध्यम से माननीय पावर मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि अभी भी इस बारे में कुछेक रिक्वैस्ट्स आती रहती हैं क्या डेट एक्सटैंड करने के बारे में कोई विचार सरकार कर रही है ?

Shri Vinod Kumar Sharma : The date has been extended upto 31st March, 2006.

Prof. Chhattar Pal Singh : Thank you very much.

Memorial in the name of Kargil Heroes

*434. **Sh. Dharampal Singh Malik :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to establish any memorial in the name of Kargil Heroes in the State ?

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : A State Level War Memorial exists at Rohtak where names of War Heroes of all the Wars, including Kargil War, are being engraved. In addition, War Memorial at district level would be set up where the names of all War Heroes of that particular district shall be engraved. At present 14 district level War Memorials exist in Haryana.

(इस समय कई माननीय सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर बोलने लगे)

Mr. Speaker : Mr. Indora, maintain the decorum of the House. (Noises and interruptions) इन्दौरा साहब, आप बहुत ही सुलझे हुए और तजुर्बेकार व्यक्ति हैं। अभी सभी लोग अपनी सीटों पर बैठें तथा हाउस में डैकोरम को बनाए रखें ! (विघ्न एवं शोर) Malik Sahib, please ask your supplementary.

चौ०धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, जो लोग कारगिल में शहीद हुए हैं उनके नाम अंकित करने के बारे में जवाब मिला है। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार की कोई ऐसी पालिसी है जिसके तहत उन शहीदों के नाम से सड़कों, स्कूलों कालेजों और अस्पतालों के नाम रखें जा सकें ? जैसे शहीद होशियार सिंह के नाम से एक दस जमा दो स्कूल का नाम रखा गया है। अगर सरकार ऐसा करती है तो आने वाले समय में हमारे बच्चे उन शहीदों को जान सकेंगे। जैसे आपरेशन विजय में हमारे हरियाणा के बहुत से लड़के शहीद हुए हैं। क्या उनके लिए ऐसे मैमोरियल बनाने का सरकार का कोई विचार है?

Sh. Randeep Singh Surjewala : Sir, this is a separate question. इस बारे में माननीय साथी जी अलग से लिख कर दे दें। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार की जांच तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ सी०बी०आई० कर रही है। इस बारे में सारा हरियाणा जानता है। यह तो वही बात हो गई कि खिसयानी बिल्ली खम्बा नोचे।

Mr. Speaker : Malik Sahib, please ask your supplementary.

चौ०धर्मपाल सिंह मलिक : स्पीकर सर, मैंने मंत्री जी से यही पूछा है कि कारगिल के हीरों के नामों से हास्पिटल्ज के नाम, स्कूलों के नाम, कालेजों के नाम या सड़कों के नाम रखने का विचार सरकार का है कि नहीं है ? मैंने सिर्फ यही पूछा था। इसके जवाब में मंत्री जी के कह दिया कि सैप्रेट प्रश्न पूछें। इसके लिए सैप्रेट प्रश्न देने की कोई जरूरत नहीं है। मंत्री जी सिर्फ यही बता दें कि क्या ऐसा कोई विचार सरकार के विचाराधीन है कि नहीं है ?

Shortage of Electricity

***360. Dr. Sushil Indora :** Will the Minister for Power be pleased to state—

(a) whether it has been decided by the Government to purchase the electricity from other States during the current financial year to meet out the shortage of electricity; if so, the name of the States and the quantum of electricity to be purchased from each State; and

(b) will the requirement of electricity of the State be met out from purchasing of electricity ?

Power Minister (Sh.Vinod Kumar Sharma) :

(a) Yes Sir, a statement is laid on the Table of the House.

(b) No. Sir.

Statement

The details regarding quantum of electricity purchased from other States along with the names of each State are as given below :—

Details of Bilateral Arrangement for Short term Power Purchased from licensed Traders & Surplus Power States for the Year 2005-2006 (Upto Feb. 06).

Sr. No.	Name of Traders/ Suppliers	Project/ source of power	Quantum & type of power	From	To	Quantum of power received (Lus)
1.	Tata power Trading co Ltd.	Hindustan Zinc Ltd. (Rajasthan)	35 MW (Round the Clock)	1-6-05	30-9-05	68.05
2.	Uttranchal Power Co-op Ltd.	Uttranchal	75 MW off peak (20 Hrs) to bank June-Sept. 05 & Banked out at 105% from Nov 05-March 06	11-6-05	31-3-06	Banking
3.	Govt.of Himachal Pradesh	Nathpa Jhakri Power Project	9% of energy generated (Ex-bus) at NJHPS.	1-7-05	31-10-05	654.73
4.	PTC India Ltd.,	Gujarat Power	100MW off Peak 18 hrs	1-7-05	10-9-05	820.08
5.	PTC India Ltd.	Gujarat Power	200MW Peak 6 hrs 300 MW Off peak 18 hrs (As & when available power)	1-7-05	10-9-05	11.00
6.	Adani Exports Ltd.	WBSEB Power	150 MW off Peak 6 hrs (11.00-17.00)	22-6-05	30-6-05	77.044
7.	PTC India Ltd.	AP Power	135 MW off Peak 3 hrs (00-0300 hrs)	5-6-05	8-6-05	15.70
8.	NVVN Ltd.	(i) Kerala (ii) Department of Nagaland (iii) Andhra Pradesh	(i) 100 MW Off Peak 19 hrs (ii) 20 MW Off Peak 18 hrs (iii) 200 MW Peak 6 hrs	(i) 1-8-05 (ii) 1-8-05 (iii) 2-8-05	(i) 30-9-05 (ii) 30-9-05 (iii) 31-8-05	(i) 566.50 (ii) 54.30 (iii) 342.41
9.	Reliance Energy Trading Ltd.	AP Power	100 MW Peak 6 hrs	5-8-05	31-8-05	146.89
10.	NVVN Ltd.	AP Power	100 MW Peak 6 hrs	1-9-05	30-9-05	160.30
11.	NVVN Ltd.	AP Power	100 MW Off Peak 11 hrs	31-8-05	31-8-05	8.70
12.	PTC India Ltd.	AP Power	100 MW Peak 6 hrs	5-8-05	31-8-05	146.89
13.	PTC India Ltd.	AP Power	100 MW Peak 6 hrs	1-9-05	30-9-05	161.76
14.	Adani Exports Ltd.	DVC & Sikkim Power	(i) 80 MW Off Peak 18 hrs (ii) 80 MW Peak 6 hrs	9-8-05	30-9-05	(i) 191.44 (ii) 33.64
15.	Adani Exports Ltd.	DVC Power	50 MW Peak 6 hrs	4-8-05	8-8-05	9.14
16.	Reliance Energy Trading Ltd.	AP Power	100 MW Peak 6 hrs	1-9-05	30-9-05	165.9

1	2	3	4	5	6	7
17.	Tata Power Trading Co. Ltd.	Jindal Power Karnataka	40-175 MW Round Clock	12-8-05	30-8-05	83.72
18.	Tata Power Trading Co. Ltd.	Mizoram Power	(i) 28 MW off Peak (18 hrs) (ii) 20 MW Peak 6 hrs	1-6-05	30-9-05	(i) 78.29 (ii) 30.84
19.	Tata power Trading Co. Ltd.	Maharashtra SEB Power	150 MW Night off Peak (1.30-5.00 hrs.)	19-8-05	31-8-05	7.69
20.	Reliance Energy Trading Ltd.	CPP in Orissa	(i) 10 MW RTC (i) 28-8-05 (ii) 20 MW RTC	(ii) 1-9-05	(i) 31-8-05 (ii) 30-9-05	(i) 8.20 (ii) 51.76
21.	NVVN Ltd.	(i) Tripura (ii) -do- (iii) Nagaland	(i) 25 MW Peak 6 hrs (ii) 35 MW off Peak 18 hrs (iii) 20 MW off Peak 18 hrs	1-10-05	31-10-05	(i) 35.42 (ii) 155.75 (iii) 91.54
22.	NVVN Ltd.	Kerala SEB	100 MW Off Peak 19 hrs	1-10-05	31-10-05	120.74
23.	NVVN Ltd.	Andhra Pradesh Power	130 MW Peak 6 hrs	4-10-05	31-10-05	183.38
24.	Tata Power Trading Co. Ltd.	Hindustan Zinc Ltd. (Rajasthan)	15 MW RTC	1-10-05	31-10-05	68.29
25.	PTC India Ltd.	WBSEB Power	100 MW Off Peak 17 hrs.	1-10-05	31-10-05	524.84
26.	Adani Exports Ltd.	Andhra Pradesh Power	25 MW Peak 6 hrs	12.10-05	31-10-05	12.16
27.	Adani Exports Ltd.	WBSEB Power	50 MW off peak 16 hrs	12-10-05	31-10-05	6.55
28.	PTC India Ltd.	Gridco Power	75 MW Peak 6 hrs	1-11-05	30-11-05	123.75
29.	Reliance Energy Trading	WBSEB Power	99 MW off Peak (as & when available)	1-11-05	31-12-05	1.99
30.	NVVN Ltd.	(i) Tripura & Meghalya Power (ii) Gridco Power	(i) a. 50 MW Peak 6 hrs b. 25 MW Peak 6 hrs c. Addl. 10 MW Peak (ii) 50 MW Peak 6 hrs	(i) a & b 1-11-05 c. 7-12-05 (ii) 1-11-05	(i) a & b 31-12-05 c.31-12-05 (ii) 31-12-05	(i) 265.11 (ii) 151.61
31.	PTC India Ltd.	PSEB Power	300 MW RTC	12-11-05	31-12-05	809.00
32.	Delhi Transco Ltd.	DTL Power	Barter Agreement for purchase of 200 MW 00.00 to 0600 & to return 100 MW 0700 to 1100 hrs.	28-11-05	28-2-06	744.00
33.	NVVN Ltd.	Andhra Pradesh Power	67 MW Peak	2-12-05	31-12-05	49.08
34.	Adani Exports Ltd.	(i) DVC Power (ii) Tamil Nadu Power	(i) 100 MW off Peak 18 hrs (ii) 200 MW Night off peak 00 to 0600 hrs	8-12-05	31-12-05	(i) 17.73 (ii) 15.84
35.	PTC India Ltd.	Gujarat Power	300 MW Night off Peak 6 hrs (0000 to 0600)	15-12-05	31-12-05	22.42
36.	Adani Exports Ltd.	Gujarat Power	(i) 100 MW Peak (ii) 100 MW Peak	(i) 14-12-05 (ii) 17-12-05	(i) 14-12-05 (ii) 31-12-05	127.50

1	2	3	4	5	6	7
			(iii) additional 100 MW Peak (iv) additional 150 MW Peak	(iii) 22-12-05 (iv) 25-12-05	(iii) 31-12-05 (iv) 31-12-05	
37.	Adani Exports Ltd.	WBSEB Power	100 MW off Peak (18 hrs)	1-1-06	28-2-06	740.40
38.	NVVN Ltd.	NTPC Ramgundam Un-Requisitioned Surplus power in Southern Region	100-150 MW RTC	15-12-05	31-1-06	0.21
39.	Tata Power Trading Co.Ltd.	WBSEB Power	100 MW Peak	1-1-06	31-1-06	85.11
40.	NVVN Ltd.	Tripura & Meghalya Power	(i) 20 MW Peak (Tripura)&50MW Peak (Meghalya) (ii) 25 MW Peak (Tripura) & 20 MW Peak (Meghalya)	(i) 1-1-06 (ii) 1-2-06	(i) 31-1-06 (ii) 28-2-06	89.09
41.	PTC	Gujarat Power	(i) 200MW Peak 6 hrs (ii) 300 MW night Power (as & when available basis)	1-1-06	31-1-06	170.21
42.	PTC	Jindal Power Karnataka	100 MW night off peak 6 hrs (00 to 0600 hrs.) (as & when available basis)	1-1-06	31-1-06	8.64
43.	Adani Exports Ltd.	WBSEB Power	(i) 150 MW Peak (1700 to 2300 hrs). (ii) 200 MW off peak (0000 to 1700 hrs) (iii) 200 MW Peak (2100 to 2400 hrs).	1-1-06	31-1-06	186.62
44.	Tata Power Trading co. Ltd.	WBSEB Power	30 MW off Peak 6hrs. (0000 to 0600 hrs)	7-1-06	31-1-06	40.62
45.	PTC	Bihar Power	Upto 63 MW of Peak (in different time slot) as and when available basis	1-1-06	28-2-06	1.52

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल पूछा है उसके बारे में मंत्री जी ने स्टेटमैंट सदन के पटल पर रखी है। इसमें काफी विस्तार से बताया है कि इन्होंने किस-किस प्रदेश से कब-कब, कितनी-कितनी बिजली किस-किस रेट पर खरीदी है। मैं इस बारे में मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए बिजली की आपूर्ति करने के लिए क्या सरकार ने कोई लॉंग टर्म इन्तजाम किया है ? अगर किया है तो किस रेट से किया है और कब तक का किया है ? इसके साथ ही मंत्री जी यह भी बताएं कि हरियाणा के लोगों को कितनी बिजली की जरूरत है और उसकी पूर्ति करने के लिए सरकार ने क्या इन्तजाम किया है ?

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को बताना चाहूंगा कि हम अपने प्रदेश में जो बिजली पैदा करते हैं उसके अलावा हम दूसरे सोर्सेज जैसे बी०बी०एम०बी०, एन०एन०पी०सी०, एन०टी०पी०सी०, एन०पी०सी०, आई०पी०, वैगनम आदि से

बिजली लेते हैं वह 4 हजार 33 मैगावाट है। जबकि हमारी बिजली की खपत इससे भी कहीं ज्यादा है। उस खपत को पूरा करने के लिए हम समय-समय पर दूसरे सोर्सिज से बिजली खरीदते रहते हैं। पिछले 15 महीनों में यह देखा गया है कि प्रदेश में जब बिजली की कमी महसूस हुई तो वह हरियाणा में ही नहीं हुई है बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और दूसरे कई प्रदेशों में भी कमी महसूस हुई है। स्पीकर साहब, बिजली खरीदने के लिए जहां भी बिजली अवेलेबल है, हम वहां से बिजली लेने की कोशिश करते हैं। कई बार पीक सीज़न्ज में बिजली महंगे रेट्स पर भी खरीदनी पड़ती है। मेरे माननीय साथी का जो सवाल है कि हम आगे आने वाले समय के लिए क्या कर रहे हैं ताकि बिजली की कमी की पूर्ति की जा सके। अध्यक्ष महोदय, हमने लौंग टर्म और शोर्ट टर्म दोनों मैथड़ अपनाये हैं। अपने प्रदेश में बिजली की पैदावार बढ़ायी जा सके उसको देखते हुए बहुत से प्रोजैक्ट टेकअप किए गए हैं जैसे यमुनानगर में हमारा जो पॉवर जैनरेशन का प्रोजैक्ट चल रहा है वह शायद दो ढाई साल में पूरा हो जाएगा, इसके अलावा हिसार में और फरीदाबाद में भी हमने दूसरे पॉवर प्रोजेक्ट्स रखे हैं जिनसे हम चार हजार मेगावाट बिजली आने वाले चार पांच साल में पैदा करने की क्षमता रखेंगे। हम यह नहीं कह सकते कि कितनी बिजली हमें दूसरे प्रदेशों से मुतवातर मिलती रहेगी क्योंकि जितनी बिजली की डिमांड्ज हैं हम उसके हिसाब से ही बिजली को खरीदते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, जितनी बिजली हमें दूसरे प्रदेशों से उपलब्ध होगी उतनी बिजली हम अपने किसानों के लिए, अपने हरियाणा के निवासियों के लिए खरीदने की कोशिश करते रहेंगे।

डा० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष जी, यमुनानगर के पॉवर थर्मल प्लांट के बारे में इन्होंने कहा कि इस पर काम चल रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके अलावा पूरे हरियाणा प्रदेश में क्या आज के दिन किसी और जैनरेशन पॉवर प्लांट पर काम चल रहा है ?

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हिसार के पॉवर प्लांट की प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। यह प्लांट एक हजार से लेकर 1200 मैगावाट का होगा। दिसम्बर तक हम यह प्रोजैक्ट रिपोर्ट कम्पलीट कर लेंगे और आर्डर प्लेस कर देंगे। इसके तीस महीने के बाद यह प्लांट अपनी क्षमता के मुताबिक प्रोडक्शन में आ जाएगा।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, बिजली की समस्या आज के दिन हरियाणा के लिए सबसे प्राथमिकता देने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिजली की कमी है जिसके कारण हरियाणा के लोग परेशान हैं। लेकिन यह तथ्य है और यह कहते हुए मुझे बड़ा अफसोस भी होता है कि चालीस साल हरियाणा बने हुए हो गये हैं लेकिन हरियाणा की बिजली क्षमता केवल चार हजार मेगावाट ही है। कई-कई साल लोग शासन में रहे हैं लेकिन किसी ने भी बिजली के लिए लौंग टर्म प्लानिंग की तरफ नहीं सोचा है। आज कुल क्षमता चार हजार मेगावाट ही है जबकि मांग नौ हजार मेगावाट के करीब है। इस तरह से बड़ा भारी गैप है और इसी कारण हमें अलग-अलग जगहों से बहुत महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, जब से यह सरकार आयी है तब से इस सरकार ने इस तरफ बहुत ध्यान दिया है। जितनी बिजली क्षमता चालीस साल से हैं हम अपनी योजना के अनुसार उतनी ही बिजली की क्षमता आने वाले चार साल में हरियाणा में पैदा करेंगे। इसमें 600 मेगावाट यमुनानगर में, 1065 मेगावाट फरीदाबाद में, एक हजार मेगावाट हिसार में और पांच सौ मेगावाट पैटेको से पानीपत में होगी। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया भी है कि हमारी पाईप लाईन में और भी क्षमता है। मैं भी

बड़ी ईमानदारी से कहता हूं कि हमारे लिए यह बड़ी तकलीफ वाली बात है कि पिछले चालीस साल से आज तक केवल चार हजार मैगावाट बिजली पैदा करने की ही क्षमता हरियाणा की है। इस बात को सबको देखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हर साल महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। पिछले साल भी बिजली की दिक्कत हुई थी इसलिए हमने पिछले साल भी बिजली खरीदी थी । हमने पिछले साल भी उससे पिछले साल से ज्यादा बिजली खरीदकर लोगों को दी। लेकिन मांग लगातार बढ रही है और आगे यह और भी बढ़ेगी। इस स्थिति को देखते हुए हमारा बिजली की क्षमता बढ़ाने का पूरा प्रयास है लेकिन हमें आप सबके सहयोग की जरूरत है।

Draining out of Rainy Water

***354. Shri Ranbir Singh Mahendra :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state:—

(a) what are the number of regular drains to drain out the rainy water area of Dhanana, Talu, Mundhal Khurd, Mundhal Kalan, Sukhpura, Jatai, Badesara, Ghuskani, Mitathal, Gujrani, Chang, Baund Kalan, Unn, Nimri, Sankror and Ranila villages of district Bhiwani ; and

(b) whether these drains were desilted internally in the year 2005-06; if so, in which month these were desilted togetherwith the steps taken or proposed to be taken to save the said villages from flood ?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, the information is placed on Table of the House.

Information

(a) Sir, at present there are 36 no. regular drains in use for draining out rain/flood water from the area of villages of district Bhiwani in question.

(b) Yes, Sir. All 36 no. drains were internally cleared during the period from May, 2005 to August, 2005. Apart from this, construction of Mundal Talu link, Jatai drain, Tigrana link drain, Prem Nagar drain increasing capacity of Dhanana drain no.–II and extension of Gujrani drain are in progress which shall provide relief to the affected area. The schemes are estimated to cost about Rs. 925 lacs and are likely to be completed before the coming rainy season.

In addition, schemes for Mitathal drain no. 2, Baund drain, Unn drain, Hindal drain, Kharak drain extension and remodelling of Keylanga drain no. 2, Linking Bhaini Jatan drain, Ditch drain along Kunger minor, Thakran link drain, Siwana link drain and procurement of additional pumping sets are proposed to be implemented.

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इन ड्रेन्स के होते हुए भी पिछले साल बाढ़ से काफी बुरी हालत हो गयी थी इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या कोई नई ड्रेन्स बनाने का प्रोविजन भी किया गया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इनके एरिया में टोटल 36 रेगुलर ड्रेनें हैं, इसके अलावा चार नई ड्रेनें हैं जिन पर काम चल रहा है जिनमें से पहली ड्रेन है मुण्डाल तालू लिंक ड्रेन जिस पर 560.19 लाख रुपये लगेंगे। दूसरी जलैई ड्रेन है जिस पर 103.7 लाख रुपयें लगेंगे । तीसरी तिगड़ाना लिंक ड्रेन है जिस पर 87.86 लाख रुपये लगेंगे। इससे तिगड़ाना और घूसखानी गावों को लाभ होगा। चौथी प्रेम नगर ड्रेन है जिस पर 57.40 लाख रुपये लगेंगे । इन चारों ड्रेनों पर काम चल रहा है। दो ड्रेनें और हैं जिन पर काम चल रहा है। एक धनाणा ड्रेन है जिस पर तकरीबन 96.63 लाख रुपये खर्च होगा और दूसरी गुजरानी ड्रेन है जिस पर 16.36 लाख रुपये लगेंगे। इस प्रकार 924.73 लाख रुपये का आलरेडी काम चल रहा है। इसके अलावा अभी हाल ही में जो स्टेट फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें हमने 10 ड्रेनें और ली हैं जिनमें से एक तो मिथातल ड्रेन है जिस पर 25.70 लाख रुपये खर्च होंगे और दूसरी बौंद ड्रेन है, जिस पर 235 लाख रुपये होंगे और उन ड्रेन पर 88.49 लाख रुपये लगेंगे। टोटल 10 ड्रेनों पर 1204 लाख रुपये लगेंगे जिसका जिक्र मैं अपने जवाब में पहले ही कर चुका हूं। मैं समझता हूं कि इन ड्रेनों के बनने के बाद इनके यहां फल्ड की समस्या का काफी समाधान हो जायेगा।

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह ड्रेनें कब तक तैयार हो जायेंगी ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये ड्रेनें जून के महीने तक तैयार हो जायें। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये जून के महीने तक तैयार हो जायेंगी। फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि बरसात के होने से पहले-पहले इन ड्रेनों का जितना काम पूरा हो सके, करवा दिया जाये।

Opening of Government College at Bawani Khera

***386. Sh. Ram Kishan Fauji :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government College at Bawani Khera ?

Education Minister (Sh. Phool Chand Mullana) : No, Sir.

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी होती अगर मंत्री महोदय मेरे प्रश्न का जवाब हां सर में देते । इनको जवाब हां में देना चाहिए था क्योंकि हमारी सरकार का शिक्षा की तरफ काफी ध्यान है। अध्यक्ष महोदय, हमारे बवानी खेड़ा हल्का में ब्लाक और तहसील में तीस-बत्तीस बड़े गांव है। यहां पर कालेज न होने से वहां के बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। हमारे यहां कालेज की मांग काफी समय से है। मुख्यमंत्री जी जब विपक्ष में थे तो उस समय हमने बवानी खेड़ा में रैली भी की थी और उस रैली में भी लोगों ने कालेज की मांग की थी। हुड्डा जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी हमने इनके सामने कालेज की मांग रखी थी कि हमारे एरिये बवानी खेड़ा में कालेज खुलना चाहिए जिसके लिए 15 एकड़, 20 एकड़ या 30 एकड़ जमीन हमारी नगरपालिका के

देगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी हां कर दें और उस कॉलेज की मांग को मंजूर किया जाये क्योंकि हमारे यहां के बच्चों को पढ़ने के लिए दूर-दूर जाना पड़ता है।

श्री फूल चंद मुलाना : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि सरकार का शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान है और यही कारण है कि मौजूदा सरकार ने चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में शिक्षा को प्राथमिकता के आधार पर लिया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि बवानी खेड़ा भिवानी जिले में है और भिवानी जिले में पहले से ही 14 कालेज हैं। बवानी खेड़ा भिवानी और हांसी इन दोनों शहरों से 20 कि०मी० की दूरी पर पड़ता है और आज के दिन यातायात के साधन भी उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से 15 मिनट में बवानी खेड़ा से इन शहरों तक पहुंचा जा सकता है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावना की कद्र करता हूं लेकिन इन्होंने कहा कि मैं बवानी खेड़ा में कालेज बनाने का वायदा करके आया था, इस बारे में मैं मेरे साथी को बताना चाहूंगा कि मैं बाल्मीकि जयंती पर वहां गया जरूरत था लेकिन इस तरह का कोई वायदा नहीं करके आया था ।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, वहां के लोगों ने वहां कालेज बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी से मांग रखी थी।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, Questions Hour is over.

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Sale of Tehsil Land, Karnal

***374. Sh. Tejendra Pal Singh Mann :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether the State Government has instituted any enquiry in regard to the sale of Tehsil (old) land in Karnal Town during the regime of the previous Government ; and

(b) if so, whether some officers have been questioned in this regard?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Providing of Compensation

***405. Shri Somvir Singh :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether it is a fact that more than 25 years have passed for the construction of Madhogarh Branch and the minors emanating therefrom on the Mahendergarh Canal System in Loharu constituency but the compensation of the land acquired for the purpose has not been given so far, if so, the names of the canals and minors in respect of which compensation has not been given so far togetherwith the time limit by which the compensation will be given; and

(b) whether the compensation of the land will be given at present prevailing rate ?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) हां, श्रीमान् जी। सरकार के समक्ष यह तथ्य आया है कि सुरेहटी माइनर की भूमि का मुआवजा अभी तक भूमि मालिकों को प्रदान नहीं किया गया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है और 6 माह के अन्दर मुआवजा दिए जाने की सम्भावना है।

(ख) भूमि का मुआवजा भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा तय की गई दर के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

Construction of a Bus Stand

***448. Sh. Mahender Partap Singh :** Will the Minister for Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Bus-stand in sector-12, Faridabad, if so, upto what time the said proposed Bus-stand is likely to be constructed ?

परिवहन मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : नहीं, श्रीमान् जी।

Development of Sector in Karnal

***442. Sh. Jai Singh Rana :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any land was acquired by the Government for developing of Sector 32 and 33 by Haryana Urban Development Authority in Karnal during last five years; if so, the progress so far made in this regard; and

(b) whether any coloniser has been granted licence for the development of the land referred to in part (a) above; if so, the details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) जी हां, श्रीमान्। करनाल में रिहायशी सैक्टर-32 तथा 33 विकसित करने के लिए हुडा द्वारा लगभग 659 एकड़ भूमि दिनांक 21/12/2004 को अधिगृहित की गई।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

Construction of Roads

***457. Shri Bachan Singh Arya :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration for the Government to construct the following roads of the Safidon Constituency:—

(i) Bhuslana to Goli (It has been sanctioned by the Marketing Board, Haryana) ;

(ii) Nimnabad to Malikpur;

(iii) Rodh to Muwana;

(iv) Khera Khemawati to Rampura;

(v) Rajana Khurd to Kalwa;

(vi) Milkpur village to Dera Wadhawa Singh;

(vii) Aftabgarh to Rodh;

(viii) Aftabgarh to Pajukalan; and

(ix) Todi Kheri to Sahanpur road ; and

(b) if so, upto what time these roads are likely to be constructed?

कृषि मंत्री (सरदार एवंएस० चट्ठा) :

(क) श्रीमान् जी, भुसलाना से गोली तक सम्पर्क सड़क पहले ही मण्डी बोर्ड द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। शेष आठ सड़कों बारे में विचार किया जा रहा है।

(ख) सम्पर्क सड़क भुसलाना से गोली का निर्माण वित्तीय वर्ष 2006-07 तक पूरा होने की सम्भावना है। यद्यपि शेष सड़कों के निर्माण बारे कोई समय अवधि नहीं बताई जा सकती।

Number of Culprits Killed in Police Encounter

***413. Prof. Chattar Pal Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state the number of culprits killed in police encounter in the State after the formation of present Government togetherwith the detail of criminal records thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

क्रमांक	नाम व पता दोषियान जो पुलिस मुठभेड़ में मारे गए	मरने वाले दोषी का आपराधिक रिकार्ड
1	2	3
1.	युद्धवीर पुत्र ईश्वर सिंह वासी फरमान, जिला रोहतक जो दिनांक 12-5-2005 को पुलिस मुठभेड़ में जिला रोहतक में मारा गया।	1. मु०नं० 532 दिनांक 12-9-96 धारा 307 भा०द०स० थाना शहर सोनीपत। 2. मु०नं० 131 दिनांक 24-3-99 धारा 307 भा०द०स० थाना शहर सोनीपत। 3. मु०नं० 393 दिनांक 24-3-2000 धारा 379/406 भा०द०स० थाना शहर सोनीपत। 4. मु०नं० 49 दिनांक 24-8-2000 धारा शस्त्र अधिनियम थाना शहर सोनीपत। 5. मु०नं० 491 दिनांक 13-11-2000 धारा 307 /452/506/34 भा०द०स० एवं शस्त्र अधिनियम थाना शहर सोनीपत। 6. मु०नं० 262 दिनांक 14-9-2001 धारा 323/506 भा०द०स० थाना शहर सोनीपत। 7. मु०नं० 311 दिनांक 18-10-2001 धारा 307/506/34 भा०द०स० एवं शस्त्र अधिनियम थाना शहर सोनीपत। 8. मु०नं० 29 दिनांक 21-2-2001 धारा 302/34भा०द०स० थाना सिविल लाईन सोनीपत। 9. मु०नं० 520 दिनांक 12-8-2001 धारा 506/507/385 भा०द०स० थाना शहर रोहतक। 10. मु०नं० 206 दिनांक 19-4-2001 धारा 302/307/120-बी०/109/34 भा०द०स० थाना शहर रोहतक। 11. मु०नं० 280 दिनांक 31-5-2001 धारा 506 भा०द०स० थाना सिविल लाईन रोहतक। 12. मु०नं० 610 दिनांक 9-11-2001 धारा 25/54/59 शस्त्र अधिनियम थाना नजफगढ़ दिल्ली। 13. मु०नं० 155 दिनांक 6-5-2002 धारा 307/120-बी०/34 भा०द०स० एवं शस्त्र अधिनियम थाना शहर सोनीपत।

1	2	3
		14. मु०नं० 159 दिनांक 6-6-2002 धारा 307/120-बी०/34 भा०द०स० थाना शहर सोनीपत।
		15. मु०नं० 321 दिनांक 31-12-2003 धारा 323/506/120-बी०/34 भा०द०स० थाना शहर सोनीपत।
		16. मु०नं० 70 दिनांक 15-5-2004 धारा 8/9 जेल अधिनियम भा०द०स० थाना खरखौदा, सोनीपत।
		17. मु०नं० 84 दिनांक 1-4-2004 धारा 387 भा०द०स० थाना शहर सोनीपत।
		18. मु०नं० 208 दिनांक 4-9-2004 धारा 384/387/506 भा०द०स० थाना शहर सोनीपत।
		19. मु०नं० 83/2005 धारा 392 भा०द०स० थाना सदर बहादुरगढ, झज्जर।
		20. मु०नं० 138 दिनांक 12-5-2005 धारा 186/332/353/307 भा०द०स० एवं शस्त्र अधिनियम थाना सदर शहर बहादुरगढ़, झज्जर।
		21. मु०नं० 383 दिनांक 19-6-2001 धारा 302/307/34 भा०द०स० एवं शस्त्र अधिनियम थाना शहर रोहतक।
		22. मु०नं० 177 दिनांक 19-7-2001 धारा 302/307/392/34 भा०द०स० एवं शस्त्र अधिनियम थाना सांपला, रोहतक।
		23. मु०नं० 206 दिनांक 19-4-2001 धारा 302/307/449/34 भा०द०स० एवं शस्त्र अधिनियम थाना सिविल लाईन रोहतक।
2. अशोक मलिक पुत्र धर्मपाल बासी नरेला, दिल्ली जो दिनांक 26-5-2005 को जिला रोहतक में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया।		1. मु०नं० 153 दिनांक 12-9-2003 धारा 392 भा०द०स० थाना सिविल लाईन रोहतक।
		2. मु०नं० 56 दिनांक 20-3-2005 धारा 302/34 भा०द०स० थाना राई, सोनीपत।
		3. मु०नं० 47 दिनांक 4-4-2005 धारा 392/397/342 भा०द०स० एवं शस्त्र अधिनियम थाना कुण्डली, सोनीपत।

1	2	3
		4. मु०नं० 56/2002 धारा 365 भा०द०स० थाना अलीपुर, दिल्ली।
		5. मु०नं० 475/2002 धारा 302 भा०द०स० एवं शस्त्र अधिनियम थाना अलीपुर, दिल्ली।
		6. मु०नं० 200/2004 धारा 223/224 भा०द०स० थाना सब्जी मण्डी, दिल्ली।
		7. मु०नं० 212/2004 धारा 387/506 भा०द०स० एवं थाना रूपनगर, दिल्ली।
		8. मु०नं० 228 दिनांक 19-6-2000 धारा 302/201/395/396 भा०द०स० थाना असंध, करनाल।
		9. मु०नं० 44/2004 धारा 399/402 भा०द०स० थाना इसराना, पानीपत।
		10. मु०नं० 222 दिनांक 27-8-2004 धारा 392/394 भा०द०स० एवं शस्त्र अधिनियम थाना समालखा, सोनीपत।
		11. मु०नं० 89 दिनांक 11-8-2004 धारा 395/397 भा०द०स० थाना इसराना, पानीपत।
		12. मु०नं० 114 दिनांक 21-9-2004 धारा 399/402 भा०द०स० थाना इसराना, पानीपत।
		13. मु०नं० 324/2004 धारा 392/34 भा०द०स० थाना सदर बहादुरगढ, झज्जर।
		14. मु०नं० 55 /2005 धारा 392/34 भा०द०स० एवं शस्त्र अधिनियम थाना एम०आई०टी०, फरीदाबाद।
		15. मु०नं० 211 /1999 धारा 308/506/365/34 भा०द०स० थाना अलीपुर, दिल्ली।
		16. मु०नं० 472/2002 धारा 302 भा०द०स० थाना अलीपुर दिल्ली।
		17. मु०नं० 103 धारा 302 भा०द०स० थाना अलीपुर, दिल्ली।
		18. मु०नं० 111 दिनांक 26-5-2005 धारा 307/353/186/427/379/34 भा०द०स० एवं शस्त्र अधिनियम थाना महम, रोहतक।

1	2	3
3.	अनूप पुत्र जय भगवान वासी राजपूरा कलां, नई दिल्ली जो दिनांक 26-5-2005 को पुलिस मुठभेड़ में जिला रोहतक में मारा गया।	1. मु०नं० 111 दिनांक 26-5-2005 धारा 307/353/186/427/379/34 भा०द०स० एवं शस्त्र अधिनियम थाना महम रोहतक। 2. मु०नं० 184 दिनांक 26-5-2005 धारा 323/341/34 भा०द०स० थाना अलीपुर, दिल्ली।
4.	सुनील पुत्र रामभज वासी खन्दराई, थाना गोहाना, जिला सोनीपत जो कि दिनांक 7-6-2005 को पुलिस मुठभेड़ में जिला सोनीपत में मारा गया।	1. मु०नं० 399/1996 धारा 148/149/323/325/452 भा०द०स० थाना गोहाना, सोनीपत। 2. मु०नं० 68 दिनांक 6-6-2000 धारा 148/149/302 भा०द०स० थाना गोहाना जिला सोनीपत। 3. मु०नं० 62 दिनांक 7-6-2000 धारा 332/353/भा०द०स० थाना गोहाना, सोनीपत। 4. मु०नं० 127 दिनांक 21-5-2001 धारा 392/120-बी० भा०द०स० एवं शस्त्र अधिनियम थाना महम, रोहतक। 5. मु०नं० 34 दिनांक 7-3-2001 धारा 395/397 भा०द०स० थाना सिविल लाईन रोहतक। 6. मु०नं० 26 दिनांक 13-2-2001 धारा 392/397/भा०द०स० थाना गन्नौर, सोनीपत। 7. मु०नं० 26 दिनांक 29-1-2001 धारा 392/397/भा०द०स० थाना गोहाना, रोहतक। 8. मु०नं० 49 दिनांक 11-4-2002 धारा 379 भा०द०स० थाना खरखौदा, जिला सोनीपत। 9. मु०नं० 233 दिनांक 20-12-2002 धारा 307/120-बी० भा०द०स० थाना खरखौदा, जिला सोनीपत। 10. मु०नं० 135/2002 धारा 302/34 भा०द०स० एवं शस्त्र अधिनियम थाना सदर जीन्द। 11. मु०नं० 172 दिनांक 26-11-2003 धारा 223/224/120-बी० भा०द०स० थाना गोहाना, सोनीपत। 12. मु०नं० 142 दिनांक 18-12-2004 धारा 302/34 भा०द०स० एवं शस्त्र अधिनियम थाना बरौदा, सोनीपत।

1	2	3
		13. मु०नं० 71 दिनांक 20-6-2004 धारा 307/34/120-बी० भा०द०स० एवं शस्त्र अधिनियम थाना गोहाना, जिला सोनीपत।
		14. मु०नं० 104 दिनांक 7-6-2005 धारा 332/307/353 भा०द०स० एवं शस्त्र अधिनियम थाना शहर गोहाना, सोनीपत।
5. जोगिन्द्र सिंह पुत्र रत्न सिंह वासी कलीरावना जिला सिरसा जोकि दिनांक 21-6-2005 को पुलिस मुठभेड़ में जिला हिसार में मारा गया।		1. मु०नं० 47 दिनांक 23-2-2003 धारा शस्त्र अधिनियम थाना अग्रोहा, हिसार।
		2. मु०नं० 146/03 धारा 457/380 भा०द०स० थाना अग्रोहा, हिसार।
		3. मु०नं० 147/03 धारा 457/380 भा०द०स० थाना अग्रोहा, हिसार।
		4. मु०नं० 110/03 धारा 392/394 भा०द०स० शस्त्र अधिनियम थाना बरवाला, हिसार।
		6. मु०नं० 388/03 धारा 379 भा०द०स० थाना शहर हिसार।
		7. मु०नं० 72/05 धारा 307/452/379/34 भा०द०स० थाना अग्रोहा, हिसार।
		8. मु०नं० 76/04 धारा 307/352/34 भा०द०स० थाना अग्रोहा, हिसार।
		9. मु०नं० 316/05 धारा 304/394/307/120-बी० भा०द०स० थाना शहर सिरसा।
		10. मु०नं० 114/05 धारा 307/34 भा०द०स० थाना अग्रोहा, हिसार।
6. विनोद उर्फ सोनू पुत्र राम कुमार वासी कलीरावना जिला सिरसा जोकि दिनांक 21-6-2005 को पुलिस मुठभेड़ में मारा		1. मु०नं० 327/03 धारा 160 भा०द०स० थाना शहर, हिसार।
		2. मु०नं० 146/03 धारा 457/380 भा०द०स० थाना अग्रोहा, हिसार।
		3. मु०नं० 147/03 धारा 457/380 भा०द०स० थाना अग्रोहा, हिसार।
		4. मु०नं० 110/03 धारा 392/394 भा०द०स० शस्त्र अधिनियम थाना बरवाला, हिसार।

1	2	3
		5. मु०नं० 72/05 धारा 307/452/379/34 भा०द०स० थाना अग्रोहा, हिसार।
		6. मु०नं० 76/04 धारा 307/352/34 भा०द०स० थाना अग्रोहा, हिसार।
		7. मु०नं० 316/05 धारा 304/394/307/120-बी० भा०द०स० थाना शहर सिरसा।
		8. मु०नं० 114/05 धारा 307/34 भा०द०स० थाना अग्रोहा, हिसार।
7.	रोहताश पुत्र लाल चन्द वासी थैड मौहल्ला सिरसा जो कि दिनांक 21-6-2005 को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया।	1. मु०नं० 72/05 धारा 307/452/379/34 भा०द०स० थाना अग्रोहा, हिसार।
		2. मु०नं० 76/04 धारा 307/352/34 भा०द०स० थाना अग्रोहा, हिसार।
		3. मु०नं० 316/05 धारा 304/394/307/120-बी० भा०द०स० थाना शहर सिरसा।
		4. मु०नं० 114/05 धारा 307/34 भा०द०स० थाना अग्रोहा, हिसार।
8.	जगबीर उर्फ कुन्ती पुत्र प्रताप सिंह वासी दनौदाकलां, जीन्द जो कि दिनांक 24-6-2005 पुलिस मुठभेड़ में मारा गया।	1. मु०नं० 28/05 धारा 392 भा०द०स० थाना बरवाला, हिसार।
		2. मु०नं० 32/02 धारा 302/34 भा०द०स० थाना सदर नरवाना जीन्द।
		3. मु०नं० 92/03 धारा 392 भा०द०स० थाना बरवाला हिसार।
		4. मु०नं० 67/03 धारा 302 भा०द०स० थाना नरवाना जीन्द।
		5. मु०नं० 109/03 धारा 399/402 भा०द०स० थाना बरवाला हिसार।
		6. मु०नं० 96/03 धारा 398/401 भा०द०स० थाना उचाना, जीन्द।
		7. मु०नं० 74/04 धारा 15/61/85 मादक द्रव्य अधिनियम थाना नरवाना जीन्द।
		8. मु०नं० 8/05 धारा 302/307/148/149/34 भा०द०स० थाना शहर नरवाना जीन्द।
		9. मु०नं० 129/03 धारा 307/353/332 भा०द०स० थाना उकलाना, जीन्द।

1	2	3
9.	रविन्द्र पुत्र रमेश वासी नेहरा थाना कुण्डली, सोनीपत जो कि पुलिस मुठभेड़ में दिनांक 4-7-2005 को मारा गया।	1. मु०नं० 378/05 धारा 379 भा०द०स० थाना मंगोलपुरी दिल्ली। 2. मु०नं० 659/05 धारा 379 भा०द०स० थाना रोहिनी, दिल्ली। 3. मु०नं० 181/05 धारा 392/397 भा०द०स० थाना सोनीपत। 4. मु०नं० 293/05 धारा 392/397 भा०द०स० थाना, नरेला दिल्ली। 5. मु०नं० 115/05 धारा 394/397 भा०द०स० थाना, नरेला दिल्ली। 6. मु०नं० 119/05 धारा 307/186/353/34 भा०द०स० थाना गन्नौर, सोनीपत।
10.	उमेश पुत्र होशियार सिंह वासी जाहिदपुर, थाना कोसली, रिवाड़ी जो कि दिनांक 14-7-2005 को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया।	1. मु०नं० 534/05 धारा 148/149/307/323/506 भा०द०स० थाना कोसली, रिवाड़ी। 2. मु०नं० 48/05 धारा 332/353/333/186/307/34 भा०द०स० थाना जाटूसाना, रिवाड़ी।
11.	शदर कुमार पुत्र ओमप्रकाश वासी देव स्तान मोहल्ला नारनौल जो कि दिनांक 5-8-2005 को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया।	1. मु०नं० 389/05 धारा 363/364/ भा०द०स० थाना सदर, गुडगावां । 2. मु०नं० 519/05 धारा 307/353/34 भा०द०स० थाना डी०ए०एफ०, गुड़गावां ।
12.	कृष्ण पुत्र ओमप्रकाश वासी देव स्तान मोहल्ला, नारनौल जो कि दिनांक 5-8-2005 को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया।	1. मु०नं० 389/05 धारा 363/364/ भा०द०स० थाना सदर, गुड़गावां । 2. मु०नं० 519/05 धारा 307/353/34 भा०द०स० थाना डी०एल०एफ०, गुडगावां।
13.	लीला उर्फ सुरेन्द्र पुत्र धर्मपाल वासी सिसाय, हिसार जो कि दिनांक 10-8-2005 को जिला भिवानी में मारा गया।	1. मु०नं० 109/97 धारा 323/325/34 भा०द०स० थाना शहर हांसी, हिसार। 2. मु०नं० 591/97 धारा अ० अधिनियम थाना शहर हांसी, हिसार। 3. मु०नं० 50/98 धारा 354 भा०द०स० थाना शहर हांसी, हिसार। 4. मु०नं० 241/93 धारा 148/149/307/302 भा०द०स० थाना शहर हांसी, हिसार।

1	2	3

5. मु०नं० 218/98 धारा 324 भा०द०स० थाना शहर हांसी, हिसार।
6. मु०नं० 236/99 धारा 454/506 भा०द०स० थाना शहर हांसी, हिसार।
7. मु०नं० 84/2000 धारा 386/506/34 भा०द०स० थाना शहर हांसी, हिसार।
8. मु०नं० 462/98 धारा 324/323/506 भा०द०स० थाना शहर हांसी, हिसार।
9. मु०नं० 67/98 धारा 392/411 भा०द०स० थाना अलेवा, हिसार।
10. मु०नं० 171/01 धारा 386 भा०द०स० थाना हांसी, हिसार।
11. मु०नं० 131/99 धारा 392/398 भा०द०स० थाना बवानी खेड़ा, भिवानी।
12. मु०नं० 235/99 धारा 395 भा०द०स० थाना बरवाला, हिसार।
13. मु०नं० 516/01 धारा 332/353/307 भा०द०स० थाना शहर हांसी, हिसार।
14. मु०नं० 517/01 धारा 332/353/307/34 भा०द०स० थाना शहर हांसी, हिसार।
15. मु०नं० 658/01 धारा 353/186/452/294 भा०द०स० थाना सि०ल० हिसार।
16. मु०नं० 151/02 धारा 302/120-बी० भा०द०स० थाना शहर हांसी, हिसार।
17. मु०नं० 215/03 धारा 323/353 भा०द०स० थाना शहर हांसी, हिसार।
18. मु०नं० 120/98 धारा 452/325/506/34 भा०द०स० थाना शहर हांसी, हिसार।
19. मु०नं० 474/04 धारा 302 भा०द०स० थाना शहर हांसी, हिसार।

1	2	3
		20. मु०नं० 48/05 धारा 302/120-बी० भा०द०स० थाना शहर हांसी, हिसार। 21. मु०नं० 11/05 धारा 302/34 भा०द०स० थाना सि०ला०, हिसार। 22. मु०नं० 384/04 धारा 384/511 भा०द०स० थाना शहर हांसी, हिसार। 23. मु०नं० 419/04 धारा 302/201/34/379 भा०द०स० थाना फतेहाबाद। 24. मु०नं० 193/04 धारा 307/34 भा०द०स० थाना सि0ला0, भिवानी। 25. मु०नं० 136/05 धारा 307/120-बी० भा०द०स० थाना सि०ला०, भिवानी।
14.	पुनीत वासी डीसी कालोनी भिवानी जो कि दिनांक 10-8-2005 को पुलिस मुठभेड़ में क्र0 सं0 13 पर अंकित दोषी के साथ मारा गया।	1. मु०नं० 136/05 धारा 307/120-बी० भा०द०स० थाना सि०ला०, भिवानी।
15.	संदीप पुत्र महेन्द्र सिंह वासी कामी जो कि दिनांक 18-11-2005 को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया।	1. मु०नं० 323/05 धारा 392 भा०द०स० थाना समालखा पानीपत। 2. मु०नं० 357/05 धारा 395/397 भा०द०स० थाना समालखा, पानीपत। 3. मु०नं० 258/05 धारा 307/353/ भा०द०स० थाना समालखा, पानीपत। 4. मु०नं० 190/05 धारा 302/34 भा०द०स० थाना सदर, सोनीपत। 5. मु०नं० 160/05 धारा 379 भा०द०स० थाना मुरथल, सोनीपत। 6. मु०नं० 216/05 धारा 392 भा०द०स० थाना गन्नौर, सोनीपत। 7. मु०नं० 344/05 धारा 397 भा०द०स० थाना शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र। 8. मु०नं० 262/05 धारा 392/34 भा०द०स० थाना अशोक विहार, दिल्ली।

1	2	3
16.	हेमन्त पुत्र रामनाराण वासी नजफगढ़ दिल्ली जो कि दिनांक 7-3-2005 को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया।	1. मु०नं० 186/98 धारा 307/302/34 भा०द०स० थाना नजफगढ, दिल्ली। 2. मु०नं० 16/99 धारा 392/34 भा०द०स० थाना शहर, गुडगावां। 3. मु०नं० 5/2000 धारा 452/307/394/397/34 भा०द०स० थाना करौल बाग, दिल्ली। 4. मु०नं० 18/2000 धारा 379/411 भा०द०स० थाना सि०ला०, रोहतक। 5. मु०नं० 197/2000 धारा 392/34 भा०द०स० थाना, यमुनानगर। 6. मु०नं० 240/2000 धारा 394 भा०द०स० थाना डिफैन्स कालोनी, दिल्ली। 7. मु०नं० 179/01 धारा 397/34 भा०द०स० थाना हॉसखास, दिल्ली। 8. मु०नं० 191/01 धारा 392/397 भा०द०स० थाना शालीमारबाग, दिल्ली। 9. मु०नं० 29/02 धारा 392/34 भा०द०स० थाना शामली (यू०पी०)। 10. मु०नं० 72/02 धारा 392/397/342/506 भा०द०स० थाना सुल्तानपुरी, दिल्ली। 11. मु०नं० 653/01 धारा 402 भा०द०स० थाना मालवीय नगर, दिल्ली। 12. मु०नं० 60/02 धारा 379 भा०द०स० थाना माधुरी, दिल्ली। 13. मु०नं० 173/02 धारा 392 भा०द०स० थाना डी०एल०एफ०, गुडगांवा। 14. मु०नं० 193/02 धारा 392 भा०द०स० थाना डी०एल०एफ०, गुड़गावां। 15. मु०नं० 150/02 धारा 379 भा०द०स० थाना बसन्त विहार, दिल्ली। 16. मु०नं० 220/02 धारा 397/397/34 भा०द०स० थाना तीमारपुर, दिल्ली।

1	2	3
		17. मु०नं० 262/02 धारा 397/392 भा०द०स० थाना सदर पलवल, फरीदाबाद।
		18. मु०नं० 476/02 धारा 394/397 भा०द०स० थाना मालवीय नगर, दिल्ली।
		19. मु०नं० 250/04 धारा 307/37 भा०द०स० थाना महरौली, दिल्ली।
		20. मु०नं० 6/05 धारा 392 भा०द०स० थाना शामली (यू०पी०)।
		21. मु०नं० 20/05 धारा 307/34 भा०द०स० थाना महरौली, दिल्ली।
		22. मु०नं० 242/05 धारा 302/120-बी०/34 भा०द०स० थाना शहर बहादुरगढ़, झज्जर।
		23. मु०नं० 652/05 धारा 302/34 भा०द०स० थाना नजफगढ़, दिल्ली।
		24. मु०नं० 441/05 धारा 302/34 भा०द०स० थाना शहर गुड़गावां।
		25. मु०नं० 52/06 धारा 302/34 भा०द०स० थाना शहर गुड़गावां।
		26. मु०नं० 129/06 धारा 302/34 भा०द०स० थाना शहर गुड़गावां।
17. जसवन्त पुत्र जगदीश वासी नजफगढ़, दिल्ली जो कि दिनांक 7-3-2006 को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया।		1. मु०नं० 237/2000 धारा 341/323/34 भा०द०स० थाना नजफगढ़, दिल्ली।
		2. मु०नं० 497/01 धारा 341/323/379/34 भा०द०स० थाना नजफगढ़, दिल्ली।
		3. मु०नं० 650/01 धारा 394/379 भा०द०स० थाना नजफगढ़, दिल्ली।
		4. मु०नं० 291/01 धारा 392/397/365/34 भा०द०स० थाना द्वारिकापुरी, दिल्ली।
		5. मु०नं० 593/01 धारा 392/342 भा०द०स० थाना सदर गुड़गावां।
		6. मु०नं० 338/01 धारा 392/34 भा०द०स० थाना सदर बहादुरगढ़, झज्जर।

1	2	3
		7. मु०नं० 392/03 धारा 392/34 भा०द०स० थाना उत्तम नगर, दिल्ली।
		8. मु०नं० 661/03 धारा 399/402/411/473/34 भा०द०स० थाना उत्तम नगर, दिल्ली।
		9. मु०नं० 227/05 धारा 406/506 भा०द०स० थाना नजफगढ़, दिल्ली।
		10. मु०नं० 123/06 धारा 307/387/34 भा०द०स० थाना नजफगढ़, दिल्ली।
		11. मु०नं० 441/06 धारा 341/323/379/34 भा०द०स० थाना नजफगढ़ दिल्ली।
		12. मु०नं० 52/06 धारा 302/34 भा०द०स० थाना शहर गुड़गावां।
		13. मु०नं० 129/06 धारा 302/34 भा०द०स० थाना शहर गुड़गावां।
18.	जयप्रकाश पुत्र भूप सिंह वासी नजफगढ़ जो कि दिनांक 7-3-2006 को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया।	1. मु०नं० 441/05 धारा 302/34 भा०द०स० थाना शहर गुड़गावां।
		2. मु०नं० 52/06 धारा 302/34 भा०द०स० थाना शहर गुड़गावां।
		3. मु०नं० 129/06 धारा 302/34 भा०द०स० थाना शहर गुड़गावां।
		4. मु०नं० 650/01 धारा 394/397 भा०द०स० थाना नजफगढ़, दिल्ली।
		5. मु०नं० 1065/99 धारा 379 भा०द०स० थाना नजफगढ़, दिल्ली।
		6. मु०नं० 766/99 धारा 379/397/411 भा०द०स० थाना रोहिनी, दिल्ली।
		7. मु०नं० 12/03 धारा 452/394/397 भा०द०स० थाना नजफगढ़, दिल्ली।
		8. मु०नं० 556/98 धारा 379/452/341 भा०द०स० थाना नजफगढ़, दिल्ली।
		9. मु०नं० 123/06 धारा 307/387 भा०द०स० थाना नजफगढ़, दिल्ली।

PERSONS LIVING BELOW POVERTY

*422. **Sh. Rakesh Kamboj :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to conduct a fresh survey in the State to identify the people living below poverty line; and

(b) if so, upto what time the survey is to be conducted ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) तथा (ख) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में नया सर्वेक्षण पहले ही करवाया जा चुका है।

Removing of Encroachments

*418. **Sh. Ram Kumar Gautam :** Will the Minister of State for Urban Development be pleased to state—

(a) whether Government is aware of the fact that there are large scale encroachments on the Municipal Land of Narnaund city; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to remove the encroachment at-least from the cremation ground and the passage leading to 'BUDHI MATA' Shrine of the aforesaid City ?

शहरी विकास राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिंदल) :

(क) जी हां, नगरपालिका नारनौंद ने सूचित किया है कि पालिका भूमि पर लगभग 500 मकानों का निर्माण किया हुआ है।

(ख) जी हां, उपायुक्त हिसार ने सूचित किया है कि बुढ़ी माता स्थल को जाने वाले रास्ते पर किये गये अस्थाई कब्जों को हटा दिया गया है। शमशान घाट पर हुए नाजायज कब्जों को हटाने के लिए कार्रवाई शुरु की जा चुकी है।

Trees planted on Bayal Panchayat Land

*399. **Shri Radhey Shyam Sharma :** Will the Minister of State for Forests be pleased to state—

(a) whether it is a fact that all the trees of Forest Department planted on the Bayal Panchayat Land in Narnaul Constituency have been sold by an officer during the last six years after cutting them; if so, the name of the said officer alongwith action taken or to be taken against him;

(b) whether any enquiry was got conducted in the said matter ;

(c) if so, whether the enquiry was found satisfactory;

(d) if the reply to in part (c) above is in negative; whether any action has been taken or proposed to be taken against the enquiry officer who has given the wrong report ; and

(e) whether there is any proposal under consideration of the Government to conduct any fresh enquiry in the matter referred to in part (a) above ?

वन राज्य मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) : इस सम्बन्ध में वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

(अ) नहीं, श्रीमान जी। बायल पंचायत भूमि पर वृक्षों की नाजायज कटाई की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। वन विभाग का कोई भी कर्मचारी नाजायज कटाई में संलिप्त नहीं था।

(ब) हां, श्रीमान जी । बायल ग्रामवासियों (ढाणी रावता) द्वारा 30-7-2004 को वन मण्डल अधिकारी, महेन्द्रगढ़ को शिकायत की गई जिसमें यह आरोप लगाया गया कि बायल पंचायत भूमि से वृक्षों की अवैध कटान करके बेचे गये। वन मण्डल अधिकारी महेन्द्रगढ़ द्वारा इसकी जांच करवाई गई। श्री राम राज, वन खण्ड अधिकारी, जांच अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट वन राजिक अधिकारी, नारनौल के माध्यम से व०म०अ० महेन्द्रगढ़ को पत्रांक दिनांक 17-9-2004 द्वारा भेजी गई। जांचकर्ता ने यह पाया कि पेड़ काटे गए थे। वन विभाग के कर्मचारियों ने दोषियों को पकड़ा तथा उन पर 2300 रु० का जुर्माना लगाया। 60 क्विंटल लकड़ी जुर्मकर्ताओं से बरामद की गई । इस अवैध कटाई व बिक्री में वन विभाग के किसी कर्मचारी का संलिप्त होना नहीं पाया गया था।

(स) जांच रिपोर्ट संतोषजनक पाई गई।

(द) चूंकि जांच रिपोर्ट संतोषजनक पाई गई अत: जांच अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

(ई) श्री लाल सिंह, भूतपूर्व सरपंच, बायल ग्राम, द्वारा पुन: दूसरी शिकायत दर्ज कराई गई, जिसकी जांच वन मण्डल अधिकारी, महेन्द्रगढ़ द्वारा की गई। जांच में किसी अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया।

Compensation Provided to Farmers

***394. Dr. Sita Ram :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the loss of life, property, crops and live stock was caused in the State due to storm on 9th June, 2005; if so, the kind of relief alongwith the total amount provided by the Government to the affected persons;

(b) whether it is also a fact that the loss was caused to many Gaushalas of State due to storm referred to in part (a) above;

(c) whether any kind of financial assistance has been provided to the said Gaushalas; if so, the names of such Gaushalas alongwith amount provided to them; and

(d) if the reply to part (c) above is in negative, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide financial assistance to the said Gaushalas ?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) दिनांक 9/10-6-2005 की रात को आए तूफान के कारण राज्य में 25 व्यक्तियों व 97 पशुओं की मृत्यु हुई, 700 बिजली के खम्बें तथा 20 ट्रांसफार्मर एवं 1110 वृक्षों के गिरने का नुक्सान हुआ था। राज्य सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों के लिये 38.84 लाख रुपये की राहत राशि स्वीकृत की गई थी।

(ख) जी हां। उपायुक्त, सिरसा ने सूचित किया है कि उनके जिले में तीन गौशालाओं को लगभग 7,46,400/- रुपये की राशि का नुक्सान हुआ था। यद्यपि दिनांक 9/10-6-2005 को आये तूफान के कारण इन गौशालाओं में किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

Irregularities Committed in Selection/Recruitment in Haryana Public Service Commission

***344. Sh. Karan Singh Dalal :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the State Government has received any complaint in regard to the irregularities committed in the selection/recruitments made to the posts of different categories of various departments/boards and corporations of Haryana Government, on the recommendations of the Haryana Public Service Commission during the last six years (since 1999-2000 till date); if so, the details thereof together with the action taken thereon ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : सूची सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूची

हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों/बोर्डों तथा निगमों के विभिन्न पदों पर किये गये चयन/भर्ती सम्बन्धी अनियमितताओं के आरोपों बारे शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों के आधार पर हरियाणा सरकार द्वारा राज्य चौकसी ब्यरो को यह निर्देश दिये गये कि वह मामले की छानबीन करे। तदानुसार राज्य चौकसी ब्यरो द्वारा पांच जांचें शुरू की हैं।

इन पांच जांचों की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :--

1. जांच क्रमांक 3/2005, चण्डीगढ़ प्रथम अधिसूचना 20/2005 हिसार के विरुद्ध श्री के०सी० बांगड, भूतपूर्व अध्यक्ष, हरियाणा लोक सेवा आयोग और श्री ओम प्रकाश चौटाला, भूतपूर्व मुख्य मंत्री, हरियाणा (i) हरियाणा सिविल सेवाएं (कार्यकारी शाखा) तथा अन्य समवर्गी सेवाएं वर्ष 2004 के चयन में अनियमितताएं। (ii) वर्ष 2001 में विभिन्न विषयों के प्राध्यापक (महाविद्यालय वर्ग) के चयन में की गई अनियमितताएं। (iii) चौधरी देवी लाल मैमोरियल कालेज आफ इंजीनियरिंग, पानीवाला मोटा (सिरसा) में वर्ष 2003 के प्राध्यापकों के पदों पर चयन में की गई अनियमितताएं। (iv) गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार के प्राध्यापकों के पदों के चयन में की गई अनियमितताएं। (v) कृषि विभाग के श्रेणी । व ।। के पदों के चयन में की गई अनियमितताएं, जांच प्रगति पर है। हरियाणा लोक सेवा आयोग से रिकार्ड प्राप्त होने पर चौकसी विभाग द्वारा जांच पूर्ण कर ली जायेगी।

2. जांच क्रमांक 5/2005, चण्डीगढ़, केस नं० 15/2005, रोहतक के विरुद्ध श्री के०सी०बांगड, भूतपूर्व अध्यक्ष, हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2004 में औषधि निरीक्षक के पद पर किये गये गलत चयन बारे। श्री के०सी०बांगड, भूतपूर्व अध्यक्ष को इस केस में अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्योंकि उस द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु आपराधिक एस०एल०पी० दायर की गई है, इस केस में अगली सुनवाई की तिथि 20-3-2006 निश्चित है। उनकी गिरफ्तारी पर अग्रिम रोक प्रदान की गई है।

3. जांच क्रमांक 4/2005, चण्डीगढ़, विरुद्ध हरियाणा लोक सेवा आयोग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वर्ष 2004 में पर्यावरण इंजीनियरों के चयन में की गई अनियमितताएं। मामले में जांच रिपोर्ट अभी अपेक्षित है।

4. जांच क्रमांक 1/2005 (गोपनीय), विरुद्ध श्री हरदीप सिंह, एच०सी०एस० भूतपूर्व सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग, वर्ष 2003 में हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं में लाखों रुपये की रिश्वत लेने बारे। जांच रिपोर्ट अभी अपेक्षित है।

5. जांच क्रमांक 1/2006, चण्डीगढ़ वर्ष 2004 में तहसीलदार/आबकारी एवं कराधान अधिकारी/उप अधीक्षक पुलिस के पदों पर किये गये चयन में अनियमितताएं। जांच रिपोर्ट अभी अपेक्षित है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Upliftment of Downtrodden

26. Dr. Sushil Indora : Will the Minister for Welfare of Scheduled Castes & Backward Classes be pleased to state what steps were taken by the Government for the social justice and upliftment of the people belonging to downtrodden classes during the year 2004-2005 ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहन करतार देवी) : श्री मान जी, दलित वर्गों के सामाजिक न्याय तथा उत्थान के लिये विभाग की चालू योजनाओं के अन्तर्गत 50.45 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई थी।

Development of Food Park

34. **Dr. Sita Ram :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to develop new food parks in the State during the financial year, 2005-06; and

(b) whether the sanction has been accorded to develop the food park in Dabwali in district Sirsa; if so, the extent to which the work has been completed on the said project togetherwith the time by which it is likely to be completed ?

उद्योग मंत्री (श्री लछमन दास अरोड़ा) :

(क) वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान राज्य में नए फूड पार्क विकसित करने का ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है,

(ख) नहीं, श्रीमान।

Upgradation of 132 KV Sub-station, Kirmach

29. **Shri Jai Singh Rana :** Will the Minister for Power be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade 132KV Sub-station, Kirmach, district Kurukshetra; and

(b) if so, by what time it is likely to be upgraded ?

बिजली मन्त्री (श्री विनोद कुमार शर्मा) :

(क) जिला कुरुक्षेत्र में 33 के०वी० उपकेन्द्र किरमिच का दर्जा बढ़ाकर 132 के०वी० करने के प्रस्ताव की तकनीकी औचित्यता की जांच की जा रही है।

(ख) 33 के०वी० उपकेन्द्र किरमिच का दर्जा बढ़ाना, नीलोखेड़ी में एक 220 के०वी० फीडिंग उपकेन्द्र स्थापित करने के साथ सम्बन्धित है, जिसका निर्माण वित्तीय वर्ष 2007-08 के अन्त तक किया जाना सम्भावित है।

Number of Senior Secondary Schools in the State

27. **Shri Karan Singh Dalal :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the district-wise number of Senior Secondary Schools with faculty-wise, in rural and urban separately in the State as on 31st December, 2005;

(b) the number of Senior Secondary Schools referred to in part (a) above where are regular Principals on the above Stated dated; and

(c) the number of Senior Secondary Schools referred to inpart (a) above in which Lecturers of all the subjects were imposition as on 31st December, 2005 ?

शिक्षा मंत्री (श्री फूलचन्द मुलाना) :

(क) 31-12-2005 की स्थितिनुसार जिला वाईज/फैक्लटी वाईज, शहरी व ग्रामीण वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार से है :—

	कला	विज्ञान	कॉमर्स	
अम्बाला	49	11	25	
ग्रामीण	38	3	14	
शहरी	11	8	11	
भिवानी	122	17	32	
ग्रामीण	114	11	26	
शहरी	8	6	6	
फरीदाबाद	67	32	43	
ग्रामीण	53	19	30	
शहरी	14	13	13	
फतेहाबाद	36	4	8	
ग्रामीण	30	4	5	
शहरी	6		3	
गुड़गांव	69	21	28	
ग्रामीण	58	14	20	
शहरी	11	7	8	
हिसार	88	15	26	
ग्रामीण	77	7	18	
शहरी	11	8	8	
झज्जर	70	9	20	
ग्रमीण	64	4	15	

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

	कला		विज्ञान		कॉमर्स	
शहरी	6		5		5	
जींद		59				11
ग्रामीण	52		2		5	
शहरी	7		5		6	
कैथल		51		3		6
ग्रामीण	45		1		3	
शहरी	6		2		5	
करनाल		60		15		26
ग्रामीण	48		6		15	
शहरी	12		9		11	
कुरुक्षेत्र		34		9		16
ग्रामीण	28		4		11	
शहरी	6		5		5	
महेन्द्रगढ़		60		12		28
ग्रामीण	56		9		24	
शहरी	4		3		4	
पंचकूला		23		11		13
ग्रामीण	17		5		8	
शहरी	6		6		5	
पानीपत		36		8		10
ग्रामीण	31		4		6	
शहरी	5		4		4	
रेवाड़ी		48		15		27
ग्रामीण	44		12		23	
शहरी	4		3		4	
रोहतक		52		10		20
ग्रामीण	43		4		13	
शहरी	9		6		7	
सिरसा		51		7		11
ग्रामीण	41		1		4	
शहरी	10		6		7	
सोनीपत	81	90		15		22
ग्रामीण	9		9		17	
शहरी			6		5	

	कला	विज्ञान	कॉमर्स
यमुनानगर	34	11	19
ग्रामीण	28	7	13
शहरी	6	4	6
	1099	**232**	**393**

(ख) जिलावार वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या/सूचना जिनमें नियमित प्राचार्य कार्यरत हैं (31-12-2005 की स्थिति अनुसार) :-

क्रमांक	जिले का नाम	कुल	ग्रामीण	शहरी
1.	अम्बाला	22	14	08
2.	भिवानी	63	58	05
3.	फरीदाबाद	39	29	10
4.	फतेहाबाद	22	20	02
5.	गुड़गांव	33	30	03
6.	हिसार	67	60	07
7.	झज्जर	39	37	02
8.	जीन्द	37	33	04
9.	कैथल	25	22	03
10.	करनाल	36	28	08
11.	कुरुक्षेत्र	21	16	05
12.	महेन्द्रगढ़	26	22	04
13.	पंचकूला	11	07	04
14.	पानीपत	07	04	03
15.	रेवाड़ी	25	24	01
16.	रोहतक	43	34	09
17.	सिरसा	34	30	04
18.	सोनीपत	24	21	03
19.	यमुनानगर	12	11	01
	कुल योग	**586**	**500 (पांच सौ)**	**86 (छयासी)**

(ग) जिलावार वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या/सूचना जिन में सभी विषयों के प्राध्यापक कार्यरत हैं। (31-12-95 की स्थिति अनुसार)

राज्य में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या

जिले का नाम		ग्रामीण	शहरी
1		2	3
अम्बाला	कला	16	8
	कामर्स	9	7
	विज्ञान	2	7
	कुल	27	22
सोनीपत	कला	27	6
	कामर्स	12	5
	विज्ञान	6	6
	कुल	45	17
कैथल	कला	24	4
	कामर्स	3	3
	विज्ञान	-	2
	कुल	27	9
रोहतक	कला	27	7
	कामर्स	9	7
	विज्ञान	6	7
	कुल	42	20
रेवाड़ी	कला	23	3
	कामर्स	13	3
	विज्ञान	11	3
	कुल	47	9
यमुनानगर	कला	10	6
	कामर्स	7	6
	विज्ञान	5	3
	कुल	22	15
भिवानी	कला	27	6
	कामर्स	10	5
	विज्ञान	3	6
	कुल	40	17
करनाल	कला	12	11
	कामर्स	4	9
	विज्ञान	2	7
	कुल	18	27

1		2	3
झज्जर	कला	17	4
	कामर्स	7	4
	विज्ञान	3	4
	कुल	27	12
सिरसा	कला	10	3
	कामर्स	2	3
	विज्ञान	3	3
	कुल	13	9
जींद	कला	17	7
	कामर्स	1	4
	विज्ञान	1	5
	कुल	19	16
पानीपत	कला	5	3
	कामर्स	3	3
	विज्ञान	1	3
	कुल	11	9
फरीदाबाद	कला	15	15
	कामर्स	11	13
	विज्ञान	5	12
	कुल	31	40
फतेहाबाद	कला	4	5
	कामर्स	-	4
	विज्ञान	-	4
	कुल	4	13
हिसार	कला	29	8
	कामर्स	7	8
	विज्ञान	4	7
	कुल	40	23
गुड़गांव	कला	18	3
	कामर्स	9	2
	विज्ञान	7	2
	कुल	34	7

1		2	3
नारनौल	कला	27	4
	कॉमर्स	14	4
	विज्ञान	3	3
	कुल	44	11
कुरुक्षेत्र	कला	17	3
	कॉमर्स	6	3
	विज्ञान	6	3
	कुल	29	9
पंचकूला	कला	6	6
	कॉमर्स	4	6
	विज्ञान	1	6
	कुल	11	18
कुल जोड :--	834	531	303

Providing of Incentives

30. Sh. Dharampal Singh Malik: Will the Minister for Finance be pleased to state whether there is any proposal under consideration of State Government to give some incentives to the Government employees to be posted in rural areas in the State ?

वित्त मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : जी नहीं।

Kundli-Manesar-Palwal Express Highway

39. Dr. Sushil Indora : Will the Minister for PWD (B&R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Kundli-Manesar-Palwal Express Highway; if so, the detail thereof ?

उद्योग मंत्री (श्री लछमन दास अरोड़ा) : हां, श्रीमान्। कुण्डली-मानेसर-पलवल एक्सप्रैसहाईवे बनाने की परियोजना सरकार के विचाराधीन है। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम इस परियोजना की कार्यकारिणी संस्था है। 135 किलों मीटर लम्बी यह एक्सप्रैसहाईवे कुण्डली (सोनीपत) में राष्ट्रीय मार्ग 1 से शुरू होकर झज्जर, बहादुरगढ़ (राष्ट्रीय राजमार्ग-10) मानेसर, गुड़गांव राष्ट्रीय राजमार्ग-8 से होता हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को पलवल (फरीदाबाद) से मिलेगा। करीब 1200 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाली यह चार लेनों में विभाजित सड़क परियोजना बी०ओ०टी० के आधार पर क्रियान्वित की जायेगी। राज्य सरकार ने एच०एस०आई०डी०सी० के

लिए इस परियोजना के लिए 900 एकड़ भूमि अधिग्रहण कर ली है और इसके अतिरिक्त 2400 एकड़ और भूमि अधिग्रहण की जा रही है। एच०एस०आई०डी०सी० ने इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए मैसर्ज के०एम०पी० एक्सप्रैस वे लिमिटेड को स्वीकृति पत्र जारी किया है। इस परियोजना पर जुलाई, 2006 में कार्य शुरू होने की सम्भावना है। इस एक्सप्रैसहाईवे के आस पास औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुत से आर्थिक क्षेत्र विकसित किये जायेंगे।

Cut Imposed on Supply of Electricity

35. Dr. Sita Ram : Will the Minister for Power be pleased to state the month-wise detail of the declared and undeclared hours of cuts imposed on rural and Urban feeders during the period from January, 2004 to 31st December, 2004 and March, 2005 to 31st December, 2005 separately in the State together-with the number of hours the electricity was supplied for 3 phase and 2 phase in 24 hours to each feeder during the above-said period ?

विद्युत मन्त्री (श्री विनोद कुमार शर्मा) : श्रीमान् इस प्रश्न का पूर्ण उत्तर देने के लिये कई लाख आंकड़ों का संकलन करना जरूरी है। वांछित सूचना इकट्ठी करने में अत्याधिक समय तथा साधन जुटाने पड़ेंगे, जिनकी तुलना में इस प्रश्न का उत्तर देना लाभप्रद नहीं होगा।

Transfer of Teachers

36. Dr. Sita Ram : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the number of teachers transferred by the Education Department in the Primary, Secondary and Senior Secondary Schools during the year 2005;

(b) whether the said transfers were made according to the Government policy; and

(c) the financial burden borne by the department on the transfer referred to in part (a) above ?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना) :

(क) वर्ष 2005 के दौरान प्राथमिक, माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा विभाग द्वारा 11167 अध्यापकों के स्थानान्तरण किए गए।

(ख) हां, श्रीमान जी, ये सभी स्थानान्तरण सरकार की नीति के अनुसार किए गए हैं, केवल 36 अध्यापकों के स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किये गये हैं।

(ग) इन स्थानान्तरणों के कारण विभाग द्वारा 176491/- रुपये का वित्तीय बोझ वहन करना पड़ा है।

Violation of Rules

28. Sh. Karan Singh Dalal : Will the Minister for Industries be pleased to state details of prohibited activities/projects which have come up on the lands specified in the table appended to the Aravali Notification dated 7-5-1992 of Ministry of Environment and Forest, Government of India in District Gurgaon since the commencement of notification till date together-with the action taken against the violators and the officers who allowed the violation ?

उद्योग मन्त्री (श्री लछमन दास अरोड़ा) : निर्धारित अरावली क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण हेतु कुछ गतिविधियों को वर्जित करने हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना नं० एस०ओ० 319 (ई) दिनांक 7 मई, 1992 द्वारा जिला गुडगावां हरियाणा एवं जिला अलवर राजस्थान में कुछेक प्रक्रियाओं और गतिविधियों को बिना पूर्व अनुमति के स्थापित करने को वर्जित किया है। इन गतिविधियों में खनन, रिहायशी इकाईयों का निर्माण, फार्महाऊस और निर्माण से संबंधित अन्य गतिविधियां इत्यादि सम्मिलित हैं। निर्धारित क्षेत्र में गैर मुमकिन पहाड़ वन क्षेत्र आदि सम्मिलित हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 29-11-1999 (4-1-2000 को संचारित) के द्वारा अधिसूचना 7-5-1992 से सम्बन्धित शक्तियां राज्य सरकार को प्रदान की गई हैं। इन प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत निर्धारित क्षेत्र में प्रस्तावित प्रोजैक्ट एवं गतिविधियों के क्लीयरैंस की सिफारिश करने हेतु एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया जिस अनुसार प्रस्तावित प्रोजेक्ट एवं आवेदनकर्ता द्वारा 1992 की अधिसूचना में दी गई विधि के अनुसार आवेदन पत्र देना अपेक्षित है। राज्य सरकार ने अरावली अधिसूचना के अन्तर्गत अरावली क्षेत्र में अब तक 84 गतिविधियों एवं प्रोजैक्टों की स्थापना हेतु पर्यावरण क्लीयरैंस दिया है। इन प्रोजक्टों/ गतिविधियों में मुख्य रूप से माईनिंग प्रोजैक्टस और स्टोन क्रशर इकाईयां सड़क निर्माण, भूमिगत पाईपलाईन, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, फील्ड फायरिंग रेंज आदि सम्मिलित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत सभी उल्लिखित माईनिंग गतिविधियों / प्रोजैक्टों को 2002 से बन्द कर दिया गया है। जहां तक अरावली अधिनियम की उल्लंघना करने वालों की पहचान का प्रश्न है। (जिन्होंने समक्ष प्राधिकरण के पूर्व क्लीयरैंस के बिना उन प्रोजैक्ट/गतिविधियां/निर्माण जो अधिसूचना में दिये गये हैं को आरम्भ किया है) मई-जून, 2005 से बोर्ड के गुड़गावां स्थित क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण विभाग के अधिकारी, वन एवं खनन विभाग के अधिकारियों तथा उपायुक्त द्वारा प्रतिनियुक्त राजस्व विभाग के अधिकारियों को सम्मिलित करके सर्वेक्षण किया गया । इन सर्वेक्षणों में अब तक 863 उल्लंघन-कर्ता प्रकाश में आये हैं जिनमें फार्महाऊस, रिहायशी कम्पलैक्स, अन्य संस्थान आदि आते हैं जो मुख्य रूप से पूर्ण एवं आंशिक रूप से अरावली अधिसूचना के क्लीयरैंस के बगैर निर्मित किये गये प्रतीत होते हैं। शेष को ढूढने की प्रक्रिया जारी है।

अरावली अधिसूचना के उद्देश्य की पालना करते हुए 561 उल्लंघनकर्ताओं को पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस जारी किये गये हैं कि उनके खिलाफ उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों न की जाये। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को मध्य नजर रखते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किये गये हैं। अब तक 166 उल्लंघन कर्ताओं ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया है। उनके जवाब एवं दिये गये उत्तरों का पुनर्विचार करने हेतु

अधिकारियों की एक उप-समिति का गठन किया गया है। सर्वेक्षण एवं अध्ययन से अब तक यह साबित हुआ है कि 61 फार्महाऊस बनाये गये हैं और 11 आंशिक रूप से निर्मित हैं। क्षेत्रीय अधिकारी, गुड़गावां द्वारा इन उल्लंघनकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। यह निर्णय लिया गया है कि इन प्रोजैक्टों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के नियम 15 के तहत विशेष पर्यावरण न्यायालय में प्रोसिक्यूशन करने के इरादे से शिकायत दायर की जाये।

दो डवैल्परस/बिल्डरस और एक कोओपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी को प्रोसिक्यूशन करने के लिए कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत कारण बताओ नोटिस देना या शेष अन्यों में उचित कार्यवाही करने हेतु विधिवत रूप से सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जैसे कि मालिकों की पहचान, संचार पत्राचार आदि की कार्यवाही की जा रही है।

यह विभाग का उद्देश्य है कि अरावली अधिसूचना को लागू करने में दृढ़ एवं कानूनी कार्यवाही की जाए। उल्लंघन कर्ताओं को कारण बताओ नोटिस दिये गये हैं और दिये जा रहे हैं और आगे कार्यवाही उचित विधि का अनुसरण करके ही की जायेगी। यह भी ध्यान में लाया जाता है कि पर्यावरण विभाग/हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अरावली अधिसूचना व इसको लागू करने हेतु दिनांक 17-7-2005 और 6-2-2006 को मुख्य समाचार-पत्रों में नोटिस देकर आम जनता को आगाह एवं सूचित किया है। पर्यावरण विभाग ने विशेष रूप से नगर एवं शहरी योजना विभाग सहित सभी सम्बन्धित विभागों को अरावली अधिसूचना के अधीन निर्धारित क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को रोकने के लिए सूचित किया है। आम जनता की जागरूकता हेतु पर्यावरण विभाग/ हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गुड़गावां में तीन मुख्य स्थानों पर सचेत होर्डिंग लगवा दिये हैं। अरावली क्षेत्र में पड़ने वाली पंचायतों को विशेष तौर पर सतर्क रहने के लिए विदित कर दिया है। समाचार-पत्र एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया अरावली मुद्दों को शामिल करने के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन सभी उपायों के सहित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत भी प्राकृतिक रूप से कार्यवाही की जा रही है और उम्मीद की जाती है कि अरावली के साफ-सुथरे पर्यावरण के संरक्षण एवं बचाव के लिये आम जनता में जागरूकता पैदा करने से वांछित फल मिलेगा व सभी सम्बन्धित विभागों एवं आम जनता के सहयोग से अरावली अधिसूचना के उद्देश्यों की प्राप्ति होगी।

स्पष्ट रूप से अपर्याप्त चौकसी एवं जवाबदेही को मध्य नजर रखते हुए जिन्होंने अरावली के निर्धारित क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रोजैक्ट स्थापित करने की अनुमति दी उस सम्बन्धित समय के बोर्ड के चार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

Recruitment made in Haryana Police

32. Sh. Dharam Pal Singh Malik : Will the Chief Minister be pleased to state whether any recruitment of Police Constables, Sub-Inspectors and Inspectors has been made in Haryana Police during the period from 2000 to 2005; if so, the district-wise number thereof ?

मुख्यमन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा है।

[श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा]

विवरण

वर्ष 2000-2005 तक की गई भर्तियों का जिला अनुसार विवरण

वर्ष	पद	भर्ती की कुल संख्या	पंचकूला	अम्बाला	यमुनानगर	कुरुक्षेत्र	कैथल	गुड़गांव	फरीदाबाद	नारनौल	रिवाड़ी	मेवात	हिसार	सिरसा	भिवानी	जींद	फतेहाबाद	रोहतक	सोनीपत	करनाल	पानीपत	झज्जर	अन्य
2000	सिपाही	1915	16	085	67	075	123	105	146	71	78	-	125	129	147	126	49	152	128	093	73	119	08
	उप-नि०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	निरीक्षक	0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	001	-
2001	सिपाही	1979	27	081	68	086	110	069	089	063	079	-	143	109	176	146	97	1361	38	098	110	136	18
	उप-नि०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	निरीक्षक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	सिपाही	1014	04	033	34	038	053	037	024	039	030	-	080	069	121	113	39	065	067	052	037	062	17
	उप-नि०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	निरीक्षक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	सिपाही	3404	44	124	93	151	195	131	127	164	108	3	240	226	426	346	92	2122	13	152	129	191	36
	उप-नि०	0017	-	-	-	001	-	-	001	001	001	-	001	002	-	003	01	-	001	001	-	001	03
	निरीक्षक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2004	सिपाही	3419	15	130	85	151	178	149	140	148	128	-	288	231	413	428	117	1361	96	130	97	177	22
	उप-नि०	095	03	02	02	003	004	003	-	005	004	-	011	011	009	006	03	0050	07	-	003	003	11
	निरीक्षक	0002	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	001	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	सिपाही	0070	03	06	02	001	002	004	003	003	005	-	002	-	001	004	-	0060	11	002	004	009	03
	उप-नि०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	निरीक्षक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

घोषणाएं

(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा

(i) सभापतियों की सूची

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I, nominate the following members to serve on the panel of Chairpersons:-----

1. Shri Balbir Pal Shah, M.L.A.
2. Shri Anand Singh Dangi, M.L.A.
3. Shri Sher Singh, M.L.A.
4. Dr. Sushil Indora, M.L.A.

(ii) अनुपस्थिति की अनुमति

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a letter from Shri Om Prakash Chautala, M.L.A. which reads as under :-----

> 'I am to inform you that I shall be away to U.S.A. for my own treatment. Therefore, I may not attend the Haryana Vidhan Sabha Session commencing from 17-3-2006. Therefore, leave of absence may please be granted accordingly.'

श्री आनंद सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस लीव एप्लीकेशन का विरोध करता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ०सीता राम : अध्यक्ष महोदय, ये क्यों खड़े हो रहे हैं ? डाक्टर ने उनको मैडीकल सर्टीफिकेट दिया हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Anand Singh Dangi : I have a right to speak. (Interruptions)

Mr. Speaker : Please first know the sense of the House. (Interruptions) Please know the sense of the House. Application received by me has been putforth before the House. Please know the sense of the House. (Interruptions).

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुनिएं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Indora Ji, please take your seat. Let me know the comments of the Hon'ble Members ? Let him speak. (Interruptions)

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब सदन में कब आयेंगे ? क्या उनमें इस सदन को फेस करने की हिम्मत नहीं है ? (शोर एवं व्यवधान) वे कब स्वस्थ होंगे ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह डांगी (महम) : अध्यक्ष महोदय, ये मेरी बात सुनने की कोशिश तो करें। अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है और ये पहले ही शोर मचा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सदन को बने हुए एक साल से ज्यादा का समय हो गया है और इसका यह पांचवा सैशन चल रहा है। हर सैशन में एक एप्लीकेशन आ जाती है कि श्री ओम प्रकाश चौटाला सदन में उपस्थित नहीं हो सकते। अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख की बात है कि जो व्यक्ति जन सभाओं में, ब्याह शादियों में और वर्कर्स की मीटिंग्ज़ में जा सकता है वह आदमी इस सदन में नहीं आ सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति 4-4 घंटे किसी सभा में जाकर बैठ सकता है वह इस सदन में दो घंटे आकर जन भावनाओं को प्रकट क्यों नहीं कर सकता ? अध्यक्ष महोदय, मैं किसी राजनैतिक द्वेषता के कारण ऐसी बात नहीं कह रहा हूं, मैं किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहा हूं। मैं तो वही बात कह रहा हूं जो सही है, सच है। बीमार तो कभी भी कोई भी हो सकता है लेकिन जो आदमी सभाओं में जाये, उस समय उसकी बीमारी कहां चली जाती है ? जिस समय पहली बार उनकी एप्लीकेशन आई थी उस समय हमने भगवान से प्रार्थना की थी कि वह उनको जल्दी से स्वस्थ करें ताकि वे यहां सदन में आयें और पिछले पांच साल के दौरान उन्होंने जो गलत कार्य किया, उनको सुनें। अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला जी सदन में आने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने पांच साल के राज में हरियाणा की जनता के साथ जिस तरह का विश्वासघात किया, उसको जनता आज भी नहीं भूल पाई है। उन्होंने प्रदेश को हर तरह से बर्बाद करने की कोशिश की और झूठ बोलकर जनता को लूटने का काम किया था। यही कारण है कि आज वे सदन में आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश को जिस तरह से बर्बाद और तबाह करने की कोशिश की गई, जिस प्रकार से झूठ बोल कर इस प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया गया, आज वह व्यक्ति इस सदन में आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह तो होना ही था। (विघ्न एवं शोर)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, सैंस ऑफ हाउस में मैं एक बात कह रहा हूं । इनके नेता ने जिस प्रकार के कुकृत्य किए हैं उनकी बात सुन तो लीजिए। माननीय सदस्य ये बातें बताने लग रहे हैं। उनके कुकृत्यों का छोटा सा पिटारा है, डांगी साहब उसे खोलने का प्रयास कर रहे हैं। (विघ्न एवं शोर) (इस समय कई माननीय सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो कर बोलते रहे और शोर शराबा करते रहे)

Mr. Speaker : Indora Sahib, atleast I should obtain the sense of the House that the House wants to grant the leave of absence or not.

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, हर आदमी जो चुनकर आया है, वह अपनी बात हाउस में रखने का अधिकार रखता है। यह बात यहां पर रखी जाएगी और लिखित रूप में रखी जाएगी। (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब का मन करता है सदन में आने का लेकिन वे हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। (विघ्न एवं शोर)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इन लोगों से कहिए कि ये लोग पहले अपने कान बन्द कर लें फिर डांगी साहब अपनी बात कह लेंगे। उनकी कही हुई बात को सुनने का आपको कोई अधिकार और अख्तियार नहीं है। (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने कान बन्द नहीं किए हैं फिर इनके नेता इनको पार्टी से बाहर निकाल देंगे इसलिए इनको चाहिए कि ये अपने कान बन्द कर लें। ये लोग उनकी इन्स्ट्रक्शन्ज़ को पूरी तरह से लागू नहीं कर रहे हैं। (विघ्न

एवं शोर) वे इन लोगों को क्या कहेंगे ? (विघ्न एवं शोर) इन्दौरा साहब, आप लोग कान बन्द करके रखें नहीं तो उनको पता चल जाएगा। वे आपको वहीं से देख लेंगे। आलोचना न सुनने की उनकी आदत इतनी कम हो गई है कि धीरे धीरे आपके पूरे नम्बर लग जाएंगे, आप लोग अपने कान बन्द करके बैठ जाएं और उनकी बात सुनिए। (विघ्न एवं शोर)

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सारे ही शरीफ लोग हैं लेकिन इनको ऐसे ही आदेश देकर विधान सभा में भेजा जाता है कि सदन में ये लोग किसी भी आदमी को बोलने न दें और जब दूसरे लोग बोल रहे हों तो ये लोग बीच में इन्टरवीन करें। (विघ्न एवं शोर)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इनका कसूर नहीं है इन्होंने कान पकड़ कर माफी भी मांगी थी, एक बार ये लोग और कान पकड़ें तो डांगी साहब इनको माफ कर देंगे। ये लोग एक बार फिर कान पकड़ कर देखें। (विघ्न एवं शोर)

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो इस सदन में उनके न आने की असल वजह बता रहा हूं। (विघ्न एवं शोर) वह व्यक्ति सदन में आने से क्यों हिचकता है, हाउस में आने से क्यों डरता है क्योंकि ऐसी बातें सदन में कही गई हैं कि वह आज सदन में आकर इस सदन को फेस नहीं कर सकता। (विघ्न एवं शोर)

Mr. Speaker : Please maintain the decorum of the House. (Interruptions)

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, आप सब जानते हैं कि इसी विधान सभा में जब ओम प्रकाश चौटाला इस सदन के नेता थे और इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री होते थे तो ओम प्रकाश चौटाला जी खुले शब्दों में कहते थे कि जब तक जीऊंगा तब तक इस प्रदेश का मुख्य मन्त्री रहूंगा और इन लोगों की छाती पर मूंग दलूंगा। (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, इन लोगों को चाहिए कि यह सपना ही छोड़ दें। (विघ्न एवं शोर) आज किस मुंह से वह इस सदन में आ सकते हैं ? (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आज सत्ता में आ गई है और जो यह कहते थे कि भूपेन्द्र सिंह हुड्डा कभी मुख्य मन्त्री बन ही नहीं सकते वह आज देख लें। अध्यक्ष महोदय, आज हम बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं और हरियाणा प्रदेश की जनता को बार बार हम इस बात के लिए बधाई देते हैं कि उसने ऐसे घमण्डी व्यक्ति को सत्ता से निकाल फेंका और चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जैसे नेक इन्सान को हरियाणा प्रदेश की सत्ता हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सौंपी है। (विघ्न एवं शोर) स्पीकर सर, आप भी उस समय इस माननीय सदन के सदस्य थे। (विघ्न एवं शोर) आप विरोध भी उनका कर रहे थे कि यह मुख्यमंत्री सारी जिन्दगी रहेगा। लेकिन आज यहां पर उनकी बजाए चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा बैठे हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान) उस समय डा० रघुबीर सिंह कादियान को सदन में बोलने नहीं देते थे, सदन से बाहर कर देते थे लेकिन वे आज यहां पर स्पीकर के पद को सुशोभित कर रहे हैं। उस वक्त तो ओम प्रकाश चौटाला यह कहा करता था कि आनन्द सिंह डांगी को जिन्दगी भर विधान सभा में आने नहीं दूंगा, विधान सभा का मुंह नहीं देखने दूंगा। ये देखो आज मैं विधान सभा में बैठा हुआ हूं और मैं ओम प्रकाश चौटाला को चैलेंज करता हूं कि वे विधान सभा में हाजिर हों और तब हम देखेंगे कि वह किस तरह से विधान सभा में इस बात को डिफैंड करता है ? (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, चोरों को सभी चोर नजर आते हैं। दागी को सभी दागी नजर आते हैं। मैं तो यह कहता

[श्री आनन्द सिंह डांगी]

हूं कि ओम प्रकाश चौटाला जैसा चोर और ठग सारे हरियाणा में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। (शोर एवं व्यवधान) (इस समय इण्डियन नैशनल लोक दल के सदन में उपस्थित सभी सदस्य सदन की वैल में आ गए और नारे बाजी करने लगे) स्पीकर सर, मैं नहीं चाहता था कि इस तरह की बात की जाए लेकिन ये लोग मुझे ऐसा बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इनको यह सिखाएं कि जब माननीय सदस्य अपनी बात बोल रहे हों तो इनको इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। आप इनको अपनी सीटों पर बिठाएं। (शोर एव व्यवधान) ये सदन में ठीक तरह से बात करनी तो सीख लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, अब ये वाक-आउट करेंगे। (शोर एवं व्यवधान) अब इनके पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I should obtain the sense of the House whether the leave of absence be granted or not ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने लिखा है कि वे अस्वस्थ हैं और उन्होंने सैशन न अटैंड करने की एग्जम्पशन मांगी है। इस बारे में डांगी साहब ने चर्चा की है, हमारे दूसरे कई साथियों ने चर्चा की है। अध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र है, वे चुनकर आए हैं इसलिए वे सदन में चर्चा कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय, यह प्रजातन्त्र के हित में है और मैं भी चाहता हूं कि श्री ओम प्रकाश चौटाला जी सदन में आएं ताकि उनके जो एक्सपीरियंस हैं उनसे यह सदन और मैं भी कुछ लाभ उठा सकूं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, एक साल से वे सदन में नहीं आए हैं। अध्यक्ष महोदय, यह भी सत्य है कि जब पिछली दफा विधान सभा का सैशन था तो उससे पहले भी और उसके एकदम बाद भी वे पब्लिक मीटिंग अटैंड करते रहे हैं। लेकिन इस वक्त वे अस्वस्थ हैं और अपना इलाज करवाने के लिए विदेश में गए हुए हैं। अस्वस्थ कोई भी हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे आज भी वह समय याद है जब पिछली सरकार के वक्त आप बोलने के लिए खड़े होते थे तो आपको मुंह भी खोलने नहीं दिया जाता था और आपको मार्शल्ज़ के द्वारा उठाकर बाहर फैंक दिया जाता था । अध्यक्ष महोदय, हम प्रजातन्त्र में विश्वास रखते हैं और मैं आपके माध्यम से सदन में सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब ओम प्रकाश चौटाला जी यहां पर आएंगे तो हम वह काम नहीं करेंगे जो वे करवाया करते थे। मेरा अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की लीव ग्रान्ट की जाए।

Mr. Speaker : Question is—

> That permission for leave of absence for the current Session of Haryana Vidhan Sabha be granted .

Voices : Yes, yes.

The motion was carried.

(ख) सचिव द्वारा

राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी

Mr. Speaker : Now, the Secretary will make an announcement.

सचिव : माननीय महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने दिसम्बर, 2005 तथा जनवरी, 2006 में हुए सत्रों में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूं।

December Session, 2005

1. The Kurukshetra Shrine (Repeal) Bill, 2005.
2. The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2005.
3. The Haryana Industrial Promotion Bill, 2005.
4. The Haryana Special Economic Zone, Bill, 2005.
5. The Haryana Municipal (Second Amendment) Bill, 2005.
6. The Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 2005.
7. The Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 2005.
8. The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) 2nd Amendment Bill, 2005.
9. The Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill, 2005.
10. The Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2005.
11. The Haryana Murrah Buffalo and other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Amendment Bill, 2005.
12. The Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill, 2005.

January Session, 2006

1. The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2006.

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee.

"The Committee met at 11.00 A.M. on Friday, the 17th March, 2006 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly whilst in Session, shall meet on Monday at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. and on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday will meet at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M. without question being put.

However, on Friday, the 17th March, 2006, the Assembly shall meet at 2.00 P.M. and adjourn after the conclusion of business entered in the list of business for the day.

The Committee, after some discussion, further recommends that the business on 17th, 20th to 24th March, 2006 be transacted by the Sabha as under :—

Friday, the 17th March, 2006 (2.00 P.M.)	1. Obituary References. 2. Questions Hour. 3. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee. 4. Motion under Rule 121. 5. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House. 6. Presentation of Supplementary Estimates for the year 2005-2006 and the Report of the Estimates Committee thereon. 7. Presentation of Budget Estimates for the year 2006-2007.
Saturday, the 18th March, 2006	Holiday.
Sunday, the 19th March, 2006	Holiday.
Monday, the 20th March, 2006 (2.00 P.M.)	1. Questions Hour. 2. General Discussion on Budget Estimates for the year 2006-2007.
Tuesday, the 21st March, 2006 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Presentation of Reports of Assembly Committees. 3. Resumption of Discussion on Budget Estimates for the year 2006-2007.

Wednesday, the 22nd March, 2006 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Reply by the Finance Minister. 3. Discussion and Voting on Supplementary Estimates for the year 2005-2006. 4. Discussion and Voting on Demands for Grants on Budget Estimates for the year 2006-2007.
Thursday, the 23rd March, 2006 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Non-official Business.
Friday, the 24th March, 2006 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Presentation of Reports of Assembly Committees. 3. The Haryana Appropriation Bill in respect of Supplementary Estimates for the year 2005-2006. 4. The Haryana Appropriation Bill in respect of Budget Estimates for the year 2006-2007. 5. Legislative Business. 6. Any other Business."

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 121.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in so-far they relate to the constitution of the:—

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings, and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Backward Classes,

for the year 2006-2007 be suspended.

Sir, I also beg to move—

That this House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2006-2007, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in so-far they relate to the constitution of the:—

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings, and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Backward Classes,

for the year 2006-2007 be suspended.

And

That this House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2006-2007, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

Mr. Speaker : Question is—

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in so-far they relate to the constitution of the:—

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings, and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Backward Classes,

for the year 2006-2007 be suspended.

And

That this House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2006-2007, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए/पुन: रखे गए कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now, a Minister will lay/re-lay papers on the Table of the House.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to lay on the Table of the House.

The Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Ordinance, 2006 (Haryana Ordinance No. 1 of 2006).

Sir, I also beg to re-lay on the Table of the House—

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 3/Const./Art. 320/2005, dated the 15th June, 2005 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Amendment Regulations, 2005, as required under Article 320 (5) of the Constitution of India.

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 5/Const./Art. 320/2005, dated the 20th June, 2005, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Amendment Regulations, 2005, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 18/Const./Art. 320/ 2005, dated the 29th November, 2005 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Amendment Regulations, 2005, as required under Article 320 (5) of the Constitution of India.

Sir, I also beg to lay on the Table of the House—

The General Administration Department Notification No. S.O. 4/H.A. 9/ 1979/S.8/2006, dated the 13th January, 2006, regarding the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Rules, 2005, as required under section 8 (3) of the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979.

The Parliamentary Affairs Department Notification No. S.O. 5/H.A. 3/ 1970/S.9/2006, dated the 13th January, 2006 regarding the Haryana Ministers Allowances (Amendment) Rules, 2005, as required under section 9 (2) of the Haryana Salaries and Allowances of Ministers Act, 1970.

The Parliamentary Affairs Department Notification No. S.O. 30/H.A. 3/Ss.8 and 9/2006, dated the 27th Febuary, 2006 regarding the Haryana Ministers Allowances (Amendment) Rules, 2006, as required under section 9 (2) of the Haryana Salaries and Allowances of Ministers Act, 1970.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 1/H.A. 6/2003/S.60/2006, dated the 10th January, 2006 regarding the Haryana Value Added Tax (Amendment) Rules, 2006, as required under section 60 (4) of the Haryana Value Added Tax Act, 2003.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 2/P.A. 16/1955/S.3/2006, dated the 12th January, 2006, regarding the amendment in the Haryana Government, Prohibition, Excise and Taxation Department, Notification No. S.O. 89/P.A. 16/55/S.3/2001, dated the 29th June, 2001, reducing the rate of the duty as required under section 3 (4) of the Punjab Entertainments Duty Act, 1955.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2005 (Civil) Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Annual Report of Haryana Electricity Regulatory Commission for the year 2003-2004, as required under sections 104 (4) and 105(2) of the Electricity Act, 2003.

वाक-आउट

डॉ0 सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जीरो आवर के लिए नोटिस दिया है कि चौधरी देवी लाल थर्मल पॉवर प्लांट से उनके नाम हटाये जाने के बारे में सरकार स्टेटमैंट दे क्योंकि सदन स्वतंत्रता सैनानियों को नमन करता है और चौधरी देवी लाल जी स्वतंत्रता सैनानी रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Indora Ji, it is an old convention कि जिस दिन बजट पेश होता है उस दिन जीरो आवर नहीं होता। यह जनरल कन्वैंशन है। You know everything. You know parliamentary practices.

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, हमने कुछ मुद्दे हाउस में उठाने के लिए नियमानुसार नोटिस दिया है लेकिन यदि आप हमारी बात नहीं सुनते तो हम सदन से एज़ ए प्रोटैस्ट वॉक आउट करते हैं।

(इस समय इंडियन नैशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सभी सदस्य एज़ ए प्रोटैस्ट सदन से वॉक आउट कर गये)।

अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, the Hon'ble Finance Minister will present the Supplementary Estimates 2005-2006.

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Sir, I beg to present the Supplementary Estimates 2005-2006.

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, Sh. Karan Singh Dalal, Chairperson, Committee on Estimates will present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates 2005-2006.

Sh. Karan Singh Dalal (Chairperson, Committee on Estimates) : Sir, I beg ro present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates 2005-2006.

वर्ष 2006-2007 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will present the Budget Estimates for the year 2006-2007.

Finance Minister (Sh. Birender Singh) : Hon'ble Mr. Speaker, I rise to present before this august House the Budget Estimates for the year 2006-07.

2. This is the second budget of this Government which received people's mandate in the election 2005 with a landslide victory. It was a vote for change in favour of rule of law and for good governance. We acknowledge the silent but effective signals emanating from our enlightened electorate. Though one year is too short a time to fulfill all the expectations of the people and to boast much of concrete achievements; nevertheless the different steps taken by us so far have contributed substantially in bringing about qualitative change in the life of the people. There was a general erosion of authority visible during the regime of the previous Government which had demoralized the law enforcement machinery. In the last budget, I had promised our Government's commitment to provide clean & benevolent governance sans fear, intimidation and insecurity. We have successfully fulfilled this promise and restored the confidence of people in democratic process and the rule of law. The State of Haryana has now embarked upon a new and vigorous pace of developments. We have consolidated the gains of economic liberalization and strengthened the State's enconomic base. Our innovative and progressive policies have been duly endorsed by the people of the State as has been amply reflected in the recent by-elections of Rohtak Parliamentary Constituency, three Assembly Constituencies and the election to Panchayati Raj and Urban Local Bodies.

3. Indian National Congress party had fought the last election in the State with a set of proposals/ promises duly incorporated in our Election Manifesto. These proposals are comprehensive and involve every aspect of economy from agriculture to industry and from social sector to employment. It reflects the concern for common man. Our priorities are in conformity with the economic reforms started in 1991 by the then Union Finance Minister Dr. Manmohan Singh who is now Prime Minister of our country. The reforms have brought qualitative change in the country's economy. However to further accelerate the process, we need to address

[Sh. Birender Singh]
certain key challenges. It calls for integration of rural economy and the lower income urban population with the economic mainstream. The holistic development of both the agricultural and non-agricultural rural economy would be a key focus area of our Government.

4. The progressive and forward looking policies being followed by UPA Government at the Centre are likely to bring about profound changes in the functioning of the State economy. Considering the fact that majority of the people in the country reside in rural areas and poverty is most visible amongst them, the present Central Government has rightly focused their attention on bringing about radical changes in the rural set up. Lack of employment is a perennial problem in the rural area and to address that, the Central Government has launched a Rural Employment Guarantee Scheme to be substantially funded by them. Haryana is going to be benefited to the extent that two of its districts have been included out of the 200 districts identified at the national level in the first phase. The other flagship programme of Government of India is Bharat Nirman which is again focused on the infrastructure upgradation in the rural area and to unleash its growth potential. Haryana is likely to get substantial financial assistance in improvement of the rural roads under this programme. We are proud that most of the schemes envisaged under the Bharat Nirman programme have already been completed by the State long back through its rural connectivity programme in power, road network, providing drinking water facilities etc. Simultaneously with the rural upliftment, high priority has also been attached for bringing about structural transformation in the urban areas through Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission. Faridabad in Haryana has been chosen as one of the towns which would be taken up under this programme for which detailed planning is being carried out. Separately we have made a request to Government of India to include entire NCR of Haryana and Panchkula town under this Mission since the problems of these areas are of same nature. In case our request is acceded to, we expect substantial flow of funds in this area for augmentation of urban infrastructure facilities.

5. The national economy has been at a high growth path in the recent years. Naturally the budget announced by the UPA Government a few days back rides on the upbeat economic momentum. It increases spending on social sector, agriculture and infrastructure and at the same time lays emphasis on fiscal consolidation. Spending restraint is also a key point on which fiscal deficit projection for the new year is based. The budget sends a clear message about the Government priorities of higher investment in the farm and rural sector with a firm commitment to social equity. Haryana State is likely to benefit substantially due to sufficient higher allocations by Government of India during 2006-07 under their flagship Bharat Nirman Programme.

STATE OF ECONOMY

6. Sir now, we are the leaders of the States of the country so far as the economy is concerned. The Economic Survey of Haryana, which has already been

circulated amongst the Hon'ble Members, highlights the overall economic situation of the State. It indicates that the Gross State Domestic Product (GSDP) of Haryana at constant (1993-94) prices has recorded a growth of 8.4 per cent from Rs. 40131 crore in 2003-04 to Rs. 43502 during 2004-05. At current prices the GSDP has recorded a growth of 12.2 per cent from Rs. 73961 crore in 2003-04 to Rs. 83003 crore in 2004-05 as against 11.8 per cent at the national level. Further, it reveals that the contribution of primary sector including agriculture has declined to 28.2 per cent in 2004-05 from 42.5 per cent in 1993-94 whereas secondary and tertiary sector contribute 27.4 per cent and 44.4 per cent respectively as against 26.2 per cent and 31.3 per cent in 1993-94. The increase in secondary and tertiary sector is indicative of healthy growth of our economy.

7. The per capita income at constant prices has grown to Rs. 16872 in 2004-05 as compared to Rs. 15752 in 2003-04, indicating a growth rate of 7.1 per cent. The per capita income at current prices is estimated at Rs. 32712 in 2004-05 as against Rs. 29504 in 2003-04, with growth rate of 10.9 per cent. The per capita income of the State is highest in the country only next to Goa. In the current fiscal year also the State's economy has witnessed a steady growth coupled with stability despite complex and challenging national and international evironment. The recent economic trend indicates a strong buoyancy with rising industrial growth, a healthy expansion of service sector and improvement in agricultural performance. Rising domestic demand has proved to be a key growth driver as increasing household income has led to demand for a variety of products and services which has accelerated the economic growth and household prosperity.

TWELFTH FINANCE COMMISSION

8. The Hon'ble Members would recall that the recommendations of Twelfth Finance Commission (TFC) are likely to bring about radical change in the financing of the State economy. The recommendations have already been accepted by the Central Government and have become mandatory for the State Government to implement them in order to avail financial incentives mentioned therein. Consequently we have chalked out comprehensive fiscal correction path to achieve the targets mentioned in the TFC report. We would try to increase our revenue base and reorient our expenditure with more focus on social sector and economic infrastructure.

9. TFC has recommended consolidation of all existing loans provided to the States upto March 31, 2004 which are outstanding on March 31, 2005 and rescheduling them for a fresh repayment period of 20 years with an interest rate of 7.5 per cent on the precondition of adopting a Fiscal Responsibility legislation. In addition to providing general relief by consolidating and rescheduling of loans, TFC has framed a scheme of debt waiver based on fiscal performance.

10. As per the above recommendations of TFC, our Government has enacted the Fiscal Responsibility & Budget Management (FRBM), Act in July 2005. The State Government is now under an obligation to eliminate the revenue deficit and to contain fiscal deficit to the level of 3 per cent of GSDP by 2008-09.

[Sh. Birender Singh]
Further, the State debt including contigent liabilities of the guarantees is to be brought down to the ratio of 28 per cent of GSDP in the next four years from the present level of about 32 per cent.

11. The financial management of State Government has been acclaimed both by Government of India and the 12th Finance Commission of India particularly in the areas of revenue growth, expenditure control and reduction of deficit indicators. We are confident that fiscal indicators would further improve in future as per the FRBM targets. We feel that by adhering to the Fiscal Correction Path chalked out by our State, we shall be able to derive maximum benefit out of the fiscal consolidation, reschedulement and debt waiver facility offered by Government of India under TFC recommendations.

COMPLIANCE OF FRBM ACT

12. We have taken a number of measures in compliance of Fiscal Responsibility & Budget Management Act, 2005. It is a composite strategy of revenue augmentation, expenditure curtailment and debt management. I am briefly listing them as under:—

- **Increase in Revenue Receipts :** Due to sustained efforts by various Departments our revenue receipts are likely to increase by Rs. 600 crore over the budget estimates (2005-06).

- **Debt Swapping to reduce interest liabilities :** In the past we had resorted to debt swap under a Government of India scheme whereby debts carrying interest rates higher than 13 per cent were swapped with lower interest debts which reduced our interest burden by Rs. 200 crore per annum. Our efforts in this regard are continuing and we are in the process of debt swapping of all loans carrying interest rate above 10 per cent.

- **Reduction of Contingent Liabilities by transferring to hypothecation in lieu of State Guarantees :** We have taken up with Power Utilities, HUDA and HSIDC to discharge the State Government of our liability on account of State guarantee and secure the debt by hypothecation of their assets with lending agency.

- **A Resource Mobilization Committee** has been set up under the Chairmanship of Chief Minister. The Committee has taken a number of steps to mop up additional revenue.

- We have introduced **New Contributory Pension Scheme** w.e.f. 1-1-2006 and all employees recruited hereafter will be covered under this scheme. It will reduce our pension liability in future.

- With a view to facilitate quicker decision making, the administrative departments have been delegated vast financial powers to sanction

expenditure under approved plan schemes. This will facilitate efficient utilization of funds.

13. Financial management cannot be looked into in isolation as it is an integral part of the over all administration of the State. Any administrative reform and restructuring is bound to improve the financial management as well. In recognition of the need for fiscal restructuring, the present Government has initiated a number of reforms including updating of rules, delegation/decentralization of powers, integration of different Departments and rationalization of staffing pattern in Government and public sector undertakings. These, apart from improving administrative efficiency, are likely to bring substantial savings for the Government. Sir, when there was a news for 6th Pay Commission to be constituted by the Government of Indian, we are committed to implement the pay revision benefits as would be recommended by the 6th Pay Commission to our employees. (Thumping)

ANNUAL PLAN 2006-07

14. Speaker Sir, in the five years of the last Government, they have raised their Annual Plan from 1800 crore to 2060 crore. Now, you can see from the last year that there is an increase of more than 40%. Speaker Sir, to adhere to our Government's commitment to usher in an all round development of the State, the State Plan outlay for 2006-07 has been kept still higher at Rs. 3300 crore. It has already been approved by the Planning Commission of India in its meeting held with Chief Minister on 13th February, 2006. This indicates the capability of the State Government to generate such high level of resources for plan after meeting all our non-plan commitments. Through judicious allocation of resources to different sectors of economy, we have tried to achieve a balanced growth with equity and social justice.

15. It would be relevant to mention here that in the Annual Plan 2006-07, 35 old schemes have been dropped and in their place 41 new schemes have been taken up keeping in view the changing economic scenario and the necessity of introducing new schemes/ideas for all round development.

16. Our Government has maintained its highest priority to the development of social services and physical infrastructure. Accordingly, Rs. 1568.92 crore, which constitute 47.54 per cent of Plan outlay, have been allocated towards social sector. It includes Rs. 490 crore for social welfare with special focus on allowance for the aged, handicapped, widows and destitute towards whom we owe a special responsibility. Further, a sum of Rs. 290 crore has been allocated for education which is 27 per cent more than the last year's plan. There is a provision of Rs. 60 crore for improving technical education which is 20 per cent higher than last year's allocation. Similarly for health sector, the outlay is Rs. 114.5 crore which is 12 per cent higher than last year's allocation. A sum of Rs. 330 crore has been proposed for augmenting the drinking water supply & improvement of sanitation, which is 35 per cent greater than the last year's allocation.

17. Due attention has continued to be given to the improvement of physical infrastructure in the State with an outlay of Rs. 1250 crore which constitutes 37.88

[Sh. Birender Singh]
per cent of the total plan outlay. Adequate allocations have been made for irrigation with an outlay of Rs. 498 crore, followed by Rs. 449 crore for generation, transmission & distribution of power and Rs. 303.2 crore for the improvement of roads and transport. An allocation of Rs. 42.5 crore has been made for housing sector which also includes police housing. There is a provision if Rs. 90.89 crore for urban development.

18. The year 2006-07 is the last year of the Tenth Five Plan which was approved at Rs. 12000 crore for the State with highest priority to the expansion of social services followed by imrovement in economic infrastructure. With the finalization of our annual plan 2006-07 at Rs. 3300 crore we shall be able to achieve our targets as envisaged under the Tenth Five Year Plan.

19. Speaker Sir, the outlay for the Annual Plan 2006-07 is resource based and our Government is fully committed to optimally utilize these funds for the all round development of the State in best interest of its citizens. Our emphasis would be on performance and quality.

MAJOR INITIATIVES

20. Sir, despite our achievements we have still to find out the ways for our thrust areas. Our Government took a very bold initiative to settle the long pending issue of arrears of power bills of farmers and rural domestic consumers. This problem is more than a decade old. This issue was politically exploited from time to time to misguide the farmers by promising free supply of water and electricity. इस बारे में मुख्यमंत्री जी को एक शेर से सम्बोधित करना चाहता हूं-

मैं एक कतरा हूं मेरा एक अलग वजूद तो है
हुआ करे जो समुन्द्र मेरी तलाश में तो है।

It goes to the credit of the present Government for launching an innovative scheme to benefit all those farmers who are keen to pay the current power bills by remitting their arrears to the tune of Rs.1600 crore. The scheme has received encouraging response. The consumers who had been chronic defaulters have been brought within the mainstream and a sense of discipline was introduced in the power sector. This has brought about much needed changes in the country side and would usher in an era of prosperity in the long run. By waiving off the unpaid bills, the Government has neither paid a dole to the farmers nor set up a bad precedent of distribution of free electricity.

21. Another bold initiative, which has benefited the farmers, is fixing a floor rate for land acquisition keeping in view the economic potential of the area. It would not only give a just price to the land owners but would also reduce numerous litigations arising out of inadequate land compensation in the past. अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात इसमें कहना चाहूंगा कि मैं करीब एक महीने पहले टी०वी० देख रहा था। उस समय टी०वी० पर कह रहे थे कि हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा करोड़पति हैं और उनमें सबसे ज्यादा

किसान हैं। उसमें बता रहे थे कि दिल्ली के 100 कि०मी० के दायरे में जिस किसान के पास दो एकड़ जमीन भी है वह किसान भी करोड़पति है। अध्यक्ष महोदय, यह इस सरकार की देन है। आज चौटाला साहब की जो हालत है वह मैं एक शेर से कहना चाहूंगा कि --

कल को जो माझी भी था, पाती भी था
और आज एक-एक को कहता है बचा लो मुझे।

22. Our Government has revised the State Advised Price of Sugarcane to Rs. 135 per quintal which is highest in the country. It will give much needed relief to farmers who were shifting away from sugarcane production. This will also generate an extra income of Rs. 90 crore per year to them.

23. The norms of compensation to farmers on account of failure of crops due to natural calamities fixed by Government of India were quite low. Our Government has revised them upward to compensate substantially in the event of loss of crop under circumstances beyond their control.

24. Equitable and fair distribution of canal water to all the regions of the State is one of the priorities of our Government. A new irrigation project viz BML-Hansi-Butana Multi Purpose Link Channel at an investment of Rs. 259 crore is being taken up for this purpose. Our Government has supplied 25 per cent more canal water in the year 2005-06 to southern Haryana than what was given in the earlier years.

25. Our Government is keen on utilizing the excess water of Yamuna which goes waste in the peak season. During rainy season, huge quantity of water flows down the river causing floods in the region whereas in lean season the water availability is very meagre. To tackle this problem, there is a dire need of constructing 3 dams at Renuka, Kishau and Lakhwar-Wyasi in the upper riches of river Yamuna. Sir, this would go a long way to strengthen the economy of the entire State.These projects require huge investments for which we have taken up the matter with Government of India.

26. The new Industrial Policy 2005 announced by our Government has started yielding rich dividends and the investors have started to look at Haryana as a favourable destination. The policy primarily aims at providing time bound clearance to prospective investors for setting up of industries through a single window approach. The policy also facilitates spatial dispersal of economic activities particularly in economically and socially backward regions of the State.

27. The recently passed Haryana Industrial Promotion Act, 2005 provides the much needed mandate for expeditious grants of approvals and sanctions. The Government of India has already granted its approval in principle for establishing ten Special Economic Zones (SEZs) in the State and ten more are in the process to be approved. Some more mega SEZ proposals are likely to come up in near future. The main objective of this policy is to generate maximum employment by inviting

[Sh. Birender Singh]
investment, both domestic well as foreign and achieve balanced development by focusing on backward areas of the State.

28. We have come up with State Labour Policy announced on 12-1-2006 which is first of its kind in the country. The Labour Policy aims at evolving a mutually & increasingly beneficial partnership between employers and workers, to create conducive conditions at workplace for increasing productivity, prevention of exploitation of workers and protection of their rights, resolution of industrial disputes through social dialogue, fostering peaceful and in-house settlement of disputes etc. The endeavour is to maximize the welfare of labour without compromising industrial productivity.

29. Unemployment is a threat to our social fabric. My Government is committed for creating employment opportunities within the State and facilitate overseas job seekers. As per my announcement in the last budget, Haryana Overseas Placement Assistance Society has been set up. The Society shall provide information, guidance and assistance in respect of opportunities available for overseas studies & placements, facilities for skill improvement and obtaining passport, visa etc. All the employment exchanges of the State shall function as facilitation centres. The Society shall also obtain certificate of registration under the Emigration Act from Government of India and thereafter an Overseas Placement Bureau shall be set up under the aegis of the Society to function as recruiting agency for the purpose of overseas placements.

30. We have also come up with a forward looking Excise Policy which aims at curbing monopolistic tendencies and formation of cartels in the allotment of liquor vends. Under this policy, the system of auction of retail liquor outlets has been discontinued and instead, the same will be allotted by inviting applications and draw of lots if there are more than one applicant for a particular vend. At the same time we have reduced the excise duty rates on country and Indian made foreign liquor (IMFL) to prevent malpractices like smuggling, adulteration etc. The revenue on account of reduction of excise duty is to be recovered in the form of license fee. We anticipate excise revenue of Rs. 1200 crore during 2006-07 as against budget provision of Rs. 967 crore of 2005-06.

2006 THE YEAR OF GIRL CHILD

31. Haryana has witnessed a sharp decline in the sex ratio over the years. Our Government is very conscious of this and has taken steps to remedy the situation. A number of decisions have been taken by our Government to raise the status of girl children. A new scheme namely 'Ladli' has been launched under which an incentive of Rs. 5000 per year for five years shall be provided to the family on the birth of a second girl child. The panchayats shall be granted incentives for ensuring 100 enrolment of girls in the age group of 6-14 years in schools. Health card would be provided to all girl children upto the age of 18 years. Girl students will receive 50 per cent additional concession on their bus passes. To attract more girls to technical education, 25 per cent seats in technical institutes and engineering colleges have been reserved for them.

32. Similarly for raising the status of women , our Governmment has taken effective steps. Transfer of property in the name of a woman will invite 2 per cent lower stamp duty than man. Housing Board Haryana has reserved 33 per cent of houses for women applicants in their housing schemes. In the recruitment of school teachers, 33 per cent posts have been reserved for women. Under the "Ladli Samajik Suraksha Pension Yojana", the parents who have only girl children will receive an allowance of Rs. 300 per month from the age of 55 years instead of 60 years in other cases. The "Indira Gandhi Priyadarshini Vivah Shagun Yojana" is being implemented to provide financial assistance of Rs. 15000 to scheduled caste and denotified tribe families and Rs. 5100 to other families living below poverty line for the marriage of their daughters. Thus, the financial burden on the marriage of girl would no longer make the poor families consider girls as unwanted.

SALUTE TO THE BRAVE SOLDIERS OF HARYANA

33. In recognition of the services and the supreme sacrifices being made by our brave soldiers in safeguarding the border of the country, our Government has decided to substantially enhance the amount of cash awards and annuity being paid to gallantry award winners, both of the pre-independence and post-independence era, irrespective of the ranks held by them in the Defence Forces. A four-fold increase has been made in the annuity of gallantry prizes like Param Vir Chakra, Mahavir Chakra etc. Separate reservation for defence personnel and ex-servicemen in Group Housing Societies has been made. Besides, Defence Colonies will be developed at Rohtak, Rewari, Jhajjar and Jind. Items purchased from CSD canteens have also been made tax free for parents of deceased un-married service officers and widows of service officers. Ex-servicemen Contributory Health Scheme has been introduced under which they can avail free medical facility in Government Hospitals besides Army Hospitals. A War Museum will be constructed at Rewari.

34. We have also not forgotten the heroes of our independence movement and enhanced the amount of 'Samman Pension' to freedom fighters from Rs. 1400 to Rs. 3500 per month. We have also decided that the personnel of all ranks in the para-military forces will get ex-gratia payment at par with Army personnel.

RATIONALIZATION OF SURCHARGE ON DELAYED PAYMENTS

35. Sir, this is one of the very progressive steps, which our Government has taken. The Departments of Irrigation, Public Health and Power are presently levying heavy surcharge on the principal amount of user charges paid after the due date. For every subsequent month of delay a further surcharge is levied on the outstanding amount of the consumers. The surcharge levied at present is excessively punitive and acts as a disincentive for the consumers who want to make the delayed payments. It is felt that there is a strong case for rationalizing the rate of surcharge on such services to improve recoveries and to provide relief to the consumer in future.

36. I propose that consumers who make payment of their dues within one month from the date of the bill may be given discount on the billed amount. The existing rate of surcharge will be suitably modified for every subsequent month of delay. Comprehensive guidelines on the subject would be issued shortly.

[Sh. Birender Singh]

37. Now, I would briefly discuss the budgetary allocation made in some of the key sectors which form a part of our Government's development agenda for the year 2006-07.

POWER SECTOR

38. Sir, this is a most crucial sector. Electricity is a critical input for the development of the State. Our Government is laying highest priority to maximize power availability in the State and to improve the quality of its supply. In spite of insufficient rains during kharif season and severe shortage of power in the northern grid, 7 per cent more power was supplied upto December, 2005 during 2005-06 as compared to corresponding period of the previous year.

39. Speaker Sir, the demand for power is increasing at a rapid pace and our Government is taking all possible steps to narrow the gap between demand & supply. The Government has embarked on an ambitious plan to add over 4000 MW of generation capacity during 11th Five Year Plan both in the State sector as well as through private sector participation. The 600 MW Yamunanagar Thermal Power Project is expected to be commissioned by March 2008. In addition, arrangements are being made for facilitating generation of 1065 MW at Faridabad, 1080 MW each at Hisar and Jhajjar and 1000 MW at Panipat preferably through gas-based plants. Steps are also being taken to set up 1000 MW coal-based plants at Hisar and Faridabad.

40. Besides increasing power generation, our Government is constantly endeavouring to strengthen the transmission & distribution network not only to supply quality power to consumers but also to cut down transmission & distribution losses. Since March 2005, 17 new sub-stations have been commissioned, 83 existing sub-stations augmented and 396 KM of new transmission lines erected with a total investment of Rs. 111 crore. In the next two years, 63 new sub-stations will be constructed and 58 existing sub-stations will be augmented and 109 km of transmission lines would be constructed with an investment of Rs. 700 crore. Similarly, power utilities have prepared plans for investment of Rs. 1000 crore in transmission and distribution network in the next two years in order to provide quality power to consumers.

41. Proposals worth Rs. 252 crore have been submitted to Government of India under 'Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana' for the expansion and improvement of power infrastructure to provide electricity to all rural households.

42. While the present power shortage is being tackled through purchase of power even at high cost from all possible sources, the State Government is committed to stabilize the power situation and the financial health of the power utilities in the near future. Steps to improve transmission and distribution efficiency and for ensuring availability of power at reasonable rates have been initiated. Future availability of sufficient power is being ensured through signing of long-term Power Purchase Agreements for the projects coming up in various parts of

the country. Simultaneously, our own generation capacity is being augmented through additional coal-based generation. Efforts are also being made to have a plant based on petroleum coke being produced as a by-product at Panipat Refinery and for making sufficient gas available for gas-based generation.

43. Our Government is also attaching due importance to renewable sources of energy for sustainable growth. We have formulated a policy on power generation through non-conventional sources under which incentives would be provided for private investment in this sector. This policy aims to add at least 500 MW of power to be generated through renewable energy power projects by 2012.

A total outlay of Rs. 2104.93 crore has been kept for power sector including renewable energy in 2006-07.

IRRIGATION AND DRAINAGE

44. Our Government is committed to provide equitable distribution of water to all regions in the State and in accordance with our assurance, we have already enhanced the availability of irrigation water to southern Haryana which had received a raw deal during the previous regime. We have made available 25 per cent more canal water during Kharif 2005 and 59 per cent more in the Rabi season as compared to corresponding periods in the previous year.

45. We have undertaken two prestigious irrigation projects since coming to power. The first project is BML-Hansi-Butana multi-purpose link channel of 2000 cusecs costing Rs. 259 crore, which will augment the availability of irrigation water of southern Haryana besides improving the availability of sub-soil water level in its command area. The other project is Dadupur-Shahbad-Nalvi canal, which will help to utilize the surplus water of Yamuna river during monsoon season and also recharge ground water of Yamunanagar, Ambala & Kurukshetra Districts. In addition, a ground water recharge project for Masani Barrage in Rewari District has been commenced costing Rs. 6.7 crore.

46. The State Government is determined to realize our full share of Ravi-Beas waters through SYL canal at the earliest. We have demanded early completion of SYL and will strongly defend legitimate right of our State in the case before the Hon'ble Supreme Court of India. SYL is the life line of Haryana and our endeavour would be to see that it becomes a reality.

47. During the current year, 48 flood control schemes have been completed and 45 are in progress. Recently the Flood Control Board has sanctioned 134 new and 45 ongoing schemes involving an estimated cost of Rs. 140 crore.

There is an allocation of Rs. 1059.03 crore for irrigation & drainage works during 2006-07.

ROADS & BRIDGES

48. The State Government attaches great importance to rail, road and bridge infrastructure of the State and are taking all possible steps to strengthen as well as

[Sh. Birender Singh]
expand it. For a long time, no new rail line was laid in the State though there has been considerable talk about it. Within a year of the present Government, a new rail line from Rohtak to Rewari at a cost of Rs. 215 crore has been got sanctioned from the Ministry of Railways on 50:50 cost sharing basis. This is the first example in the country when our State is sharing with the Railways on 50:50 cost sharing basis. There is another good news that from Delhi to Rohtak railway track would be electrified.

49. With the efforts of the State Government, a few more crucial National Highway projects are being taken up. The Government of India has agreed to four lane the National Highway No. 10 from Delhi to Rohtak and Zirakpur-Panchkula-Kalka portion of NH-22. The work for construction of 10 km. long highway including 3.408 km elevated portion at Panipat has begun this year. In addtion, Ambala-Zirakpur section of National Highway No. 22 is likely to start soon.

50. The State Government has realized the importance of bridges, especially Rail Over Bridges (ROBs). The PWD has prepared a master plan of constructing 88 ROBs to be taken up in a phased manner. The construction on 9 ROBs has already commenced and the work on 9 more ROBs at a cost of Rs. 140 crore would start very soon. The construction work on 13 bridges on canals and roads has been completed during this year.

51. In order to tap resources and expertise available with the private sector, the State Government has also decided to take up five State roads on build, operate and transfer (BOT) basis.

52. For improving quality, design and introducing cost effective technologies of roads, bridges and buildings, the State Government has decided to upgrade the existing Laboratory of the PWD located at Hisar and convert it into an autonomous society. It has also been decided to revise and update age old PWD Code incorporating the latest construction technologies and management practices.

53. Village roads and municipal roads are also proposed to be strengthened/ improved with LADT funds passed on by State Government to Rural & Urban Local Bodies. We are engaging consultants for introducing new trends in design, construction and management of works.

Total outlay for Roads & Bridges has been provided at Rs. 739.76 crore in 2006-07.

MODERNIZING THE TRANSPORT NETWORK

54. Our Government has been attaching high priority for providing safe, efficient, reliable and adequate transport services. Haryana Roadways is performing a pivotal role by transporting over 11 lakh passengers every day by deploying a fleet of 3500 buses. An amount of Rs. 78 crore was allocated in the current year for acquisition of new fleet, construction of new buildings, modernization of workshops and strengthening of Drivers Training Institutes. A similar provision of

Rs. 78 crore has been made in the next year out of which Rs. 58.85 crore are proposed for acquisition of new fleet.

55. Raen Baseras (Night Shelters) have been set up at important bus stands. About 500 buses are being replaced in the current year and more than 300 buses are proposed to be replaced in the next year. It is also proposed to include CNG, AC & Deluxe buses in the fleet. For renovation & upgradation of bus stands & workshops, a special provision of Rs. 10 crore was made for the first time in the current year and the same amount has been earmarked next year also. Improved training & health check up of drivers and better maintenance of fleet has resulted in reduction of accident rate from 0.14 per lakh KM in 1999-2000 to 0.08 per lakh KM in 2004-05 which is half of the national average of all the State Transport Undertakings.

56. The spiraling price of oil in the recent past has had its effect on the sustainability of transport sector. The expenditure on diesel of Haryana Roadways which was Rs. 150 crore in 2002-03 has increased to Rs. 252 crore during 2005-06. The staff expenses have also gone up considerably. The last fare revision had taken place in August 2003. In order to partially offset the extra burden on Haryana Roadways, I propose a modest increase of 5 paise per kilometre in the fare to be charged from the passengers. This is likely to generate an additional revenue of Rs. 40 crore for the State during the next year.

A provision of Rs. 754.96 crore has been made for transport sector for the year 2006-07.

AUGMENTATION OF DRINKING WATER SUPPLY

57. Drinking water supply facilities had been extended to all the villages in the State by 31st March, 1992. However survey carried out in December 2004 revealed that there are 1971 villages in the State where the per capita availability of drinking water was less than 40 lpcd. During the current year, work on augmentation in 680 such villages has been taken up and work on 1100 villages will be initiated in next financial year.

58. In order to augment drinking water supply in 503 villages of Mewat, which is a chronic water deficit area, a Ranney wells based project sanctioned by NCR Planning Board at a total project cost of Rs. 425 crore is under implementation. The NCR Planning Board has also approved an augmentation project for rural areas falling in the districts of Faridabad, Gurgaon, Panipat, Rewari, Rohtak, Jhajjar & Sonipat at an estimated cost of Rs. 162.10 crore covering 652 villages.

59. A special campaign was launched during 2005-06 to ensure adequate drinking water supply in Scheduled Caste Bastis for which Rs. 6 crore were allocated. So far 414 Scheduled Caste Bastis have been benefitted as a result of this project. A similar provision has been made in the current year as well.

There is a total provision of Rs. 759.63 crore for improving water supply and sewerage in 2006-07.

[Sh. Birender Singh]

AGRICULTURE AND ALLIED ACTIVITIES

60. Agriculture continues to be the mainstay of 75 per cent of our population although its contribution to Gross State Domestic Projects is declining over the years. Our Government intends to tackle the problem of declining farm productivity by adopting a composite strategy of improved practices, diversification of cropping pattern and support services including insurance and market intervention.

61. To protect the interests of farmers growing sensitive crops like mustard and gram, the scope of National Agriculture Insurance Scheme has been extended to cover these crops also alongwith the crops already covered under the scheme. We have recently brought out an amendment in the State Agriculture Produce Marketing Act for providing an enabling provision to support contract farming in the State. Efficient marketing is as good as increasing production for the benefit of farmers. The use of Information Technology is being encouraged, especially with a view to harness the potential thrown up by creation of agriculture commodity markets in India. A new scheme "Support to State Extension for Extension Reforms" is being implemented in order to make extension delivery system more broad-based and holistic in content & scope.

62. For the integrated development in horticulture, Haryana State Horticulture Development Agency has been set up under the aegis of National Horticulture Mission. An end to end approach covering production, post harvest management, processing and marketing has been adopted to ensure increased returns to the growers.

63. Our Government has taken up a comprehensive programme for the control of 'Foot & Mouth Disease' amongst our livestock. An ambitious programme for preservation, multiplication & improvement of indigenous germplasm of Murrah buffalow, Haryana and Sahiwal cow is under implementation in the State. To provide veterinary services at the farmers doorsteps, 198 veterinary institutions have been opened or upgraded during last year. We have planned to open/upgrade 60 more veterinary institutions in the current financial year.

64. Keeping in view the vast potential of fish farming in the State, technical & financial assistance is being imparted to fish farmers through Fish Farmers' Development Agencies. The fish production in the State has gone upto 48000 tonnes in the current year and it is envisaged to raise it further to 55000 tonnes by the end of next year. Fish markets at Bahadurgarh & Gurgaon will be made operational during 2006-07 to benefit the fish farmers. Two new schemes of "Development of Ornamental Fisheries" and "Strengthening of Post Harvest Infrastructure" are being introduced this year.

A total provision of Rs. 480.46 crore has been made during 2006-07 for Agriculture & allied activities.

RURAL DEVELOPMENT

65. Our Government is keen to involve Panchayati Raj Institutions in our endeavour to achieve all round development in rural areas. We have abolished the post of Gram Vikas Sahayak and Village Development Committees put in place by previous Government to encroach upon the autonomy of PRIs provided under the Constitution. The finalization of activity mapping as a follow up on MOU signed between our Chief Minister and the Union Panchayati Raj Minister in August last year demonstrates our intention to strengthen the grass -root democratic institutions in Haryana.

66. A number of rural development schemes are being implemented in the State with the support of Government of India.Haryana Rural Employment Guarantee Scheme has been launched in Mahendergarh and Sirsa Districts from 2nd February, 2006. The scheme has been formulated under the National Rural Employment Act, 2005. The primary objective of the scheme is to enhance livelihood security in rural areas by providing round the year employment with minimum guarantee of 100 days of wage employment in a financial year to every household volunteering to do unskilled manual work. There is a provision of Rs. 5.50 crore as 10 per cent State share under the scheme for next year and 90 per cent funds will be provided by Government of India. Sir, this is a revolutionary step which has been taken up by the Government of India. Now, wherever this scheme is applicable, any abled man coming forward with a request that I want to do some manual work, either the Government will have to give him the work for 100 days or after 15 days if Government fails to give him the work then he would be entitled for minimum wages. We must congratulate and we are thankful to our leader Smt. Sonia Gandhi in this regard. (Thumping)

67. During current year, with the funds provided by HRDF Administration Board, rural development works especially for rural streets, drainage, sanitation and other purposes have been taken up with an allocation of Rs. 195 crore. During the current year, Common Minimun Programme was formulated under the presidentship of Smt. Sonia Gandhi who heads that Coordination Committee. Try to understand and try to appreciate what I say. On the recommendations of 2nd State Finance Commission, which was received in the current year only, a sum of Rs. 50 crore has been released to PRIs for various development works suited to the local needs. In addition Rs. 116 crore have been released by our Government to PRIs as a share in LADT for taking up creation and upgradation of rural infrastructure.

A total provision of Rs. 282.95 crore has been made for Rural Development and Panchayats Department in 2006-07.

MUNICIPAL ADMINISTRATION AND URBAN DEVELOPMENT

68. Speaker Sir, municipal institutions play a key role in providing civic amenities in urban areas and local governance. Our Government is taking significant steps for integrated development of urban areas particularly those falling in the National Capital Region.

[Sh. Birender Singh]

69. We are conscious of the fact that without adequate funds, civic bodies cannot function properly. During 2005-06, a sum of Rs. 50 crore on the recommendations of 2nd State Finance Commission, Rs. 116 crore as LADT share and Rs. 18.20 crore on the recommendations of 12th Finance Commission has been provided to Urban Local Bodies in addition to normal budget allocation of the State. This is for the first time last year we have provided this much of amount to the local municipal committees. We propose to release more funds during the next year also. A sum of Rs. 57.77 crore has been provided for development of urban infrastructure including slum areas. Sir, in addition to that HUDA and HSIDC togetherwith provide more than 425 crore rupees annually to strengthen the urban and industrial infrastructure in the State.

70. Our Government is also giving the much needed attention on expanding and strengthening the sewerage system in urban areas in the State. Out of 68 towns in the State, there are 15 towns where there are no sewerage facilities. A special project to strengthen the sewerage system covering 11 towns in the State will be taken up during 2006-07.

71. Significant steps have been taken for development of National Capital Region. A global corridor has been planned on both sides of KMP expressway which would become the focus of futuristic development activities. The proposed expressway is likely to generate huge potential for setting up of industrial model townships and new urban centres. Keeping in view the rapid trend in urbanization, we have reversed the decision of the previous Government and reconstituted eight abolished municipal bodies.

72. In the recent past distinct upward swing has become visible in the real estate and housing sector. This is primarily because of the improved infrastructure facilities provided by the Government and the strategic location of the State. However, excess liquidity in this sector is causing concern and there is likelihood of situation getting out of hand. Hence, some discipline needs to be infused in this sector. To start with I suggest that the persons dealing with land properties should be compulsorily registered with the local authority for which the State Government is examining the possibility of bringing out comprehensive guidelines. (Thumping) We also propose to periodically revise the Collector rates of land with a view to bridge the gap between the prevailing market rates and the actual rate at which the land transactions are being registered. हर 15 दिन में भाव बढ़ जाते हैं हमें कई सौ करोड़ रुपया इस मद में आएगा।

A total provision of Rs. 168.87 crore has been made during 2006-07 for Urban Development.

EDUCATION & SPORTS

73. Our Government accords high priority on expansion of educational infrastructure in the State alongwith improving its quality. We intend to achieve universalization of Primary education by the year 2007-08 through mission mode

under the Sarv Siksha Abhiyan by opening new schools, providing teachers, alternate school facilities & strengthening of school infrastructure. In order to encourage briliant students & promote girl education 'Rajiv Gandhi Scholarship for Excellence in Education' scheme has been launched by the State Government.

74. Our Government plans to raise the quality of educational input through EDUSAT. A central studio and a hub is being established at Panchkula for broadcasting EDUSAT programmes.

75. For improving quality of science education in High/Senior Secondary schools, enquipments would be provided to strengthen the laboratories. To develop reading habits among students 'Vidyalaya Nehru Pustkalyas' would be opened in all the schools. Selection of books will be made by involving eminent persons from the field of education, literature, administration etc.

76. The State Government has decided to set up a 'Rajiv Gandhi Education City' at Kundli where educational institutions of international repute will be invited to set up 'Centres of Excellence'. With a view to promoting women's higher education, a women's university is proposed to be established and a women's college has been set up in Jind. A National Law Institute at IMT Manesar is also proposed to be set up by the Central Government.

77. For upgradation of sports and youth welfare activities in the State, the Government has adopted focused approach towards creating infrastructure for games and mass participation of players in sports. Our Government proposes to set up a 'Sports Academy' at Rohtak with the help of Government of India. A multipurpose hall would be constructed in Moti Lal Nehru Sports School at Rai (Sonipat).

A total provision of Rs. 2432.89 crore has been proposed for Education and Sports in 2006-07.

HEALTH SERVICES

78. Speaker Sir, providing good and affordable health services to the people of State is one of the priorities of our Government. We are conscious of the fact that per capita expenditure on health coverage must go up alongwith education, in order to ensure better human development in this State.

79. During the year 2005-06, a provision of Rs. 102 crore was made in the Annual Plan for health sector which was 76 per cent higher than the previous year (2004-05). For the next year (2006-07), this provision has been further enhanced by 12 per cent to Rs. 114.5 crore. The emphasis is on improvement of health infrastructure which includes addition of bed capacity, purchase of modern medical equipments, provision of basic and life saving medicines and maintenance and upgradation of hospital buildings to provide more congenial environment for patients.

80. A number of innovative health schemes have been initiated to increase the coverage of health services especially in rural areas. To facilitate institutional

[Sh. Birender Singh]
delivery system to rural women, 300 delivery huts have been planned to be constructed out of which 160 of such delivery huts have already been established. This figure was at that time when this budget was being prepared. Now, it has gone up to from 160 to 230. In order to improve health coverage in Mewat, multi speciality health camps are being organized at suitable intervals. To make available the services of specialists to poor people, an innovative scheme called 'Vikalp' has been launched on pilot basis in four districts under which the services of private medical practitioners would be made available free of cost. The Government will pay suitable remuneration to such private medical specialists on the basis of services rendered by them.

17.00 बजे 81. Under the National Rural Health Mission Phase-II, a number of schemes are being implemented with a view to reduce infant and maternal mortality. 'Janani Suraksha Yojana' is one of such innovative schemes which integrates the cash assistance with ante-natal care, institutional care during delivery under the care of the field level health workers. A similar scheme called 'Janani Suvidha Yojana' has been launched recently to enable poor women living in urban slums to avail of free ante-natal, delivery and post-natal services from selected nursing homes.

A provision of Rs. 565.78 crore has been made for Health sector during 2006-07.

WELFARE OF WEAKER SECTIONS

82. Speaker Sir, our Government is in the forefront of taking welfare measures for all sections of society particularly the weaker and disadvantaged social groups. Major emphasis is given to promote education amongst scheduled caste & backward class students. A new scheme known as "Dr. Ambedkar Medhavi Chhatar Yojana" has been started under which 2000 scheduled caste and 1000 backward class (Block 'A') students scoring 60 per cent or above marks in matriculation will be given scholarship @ Rs. 1000 p.m. in 10+1 and 10+2 classes.

83. Our Government has decided to enhance the amount of grant for the construction of houses of scheduled castes and de-notified tribes from Rs. 10000 to Rs. 50000. We have also strengthened the social security net for the aged, widows and disable persons for which Rs. 479.7 crore have been earmarked during next year.

A total provision of Rs. 811.82 crore has been made for the various social welfare measures in 2006-07.

EMPLOYMENT AND VOCATIONAL EDUCATION

84. Technical manpower is an essential input for industrialization, modernization and promotion of trade and business. It has vital contribution for research and development. Our Government has planned to set up ITIs, VEIs, and Technical institutes at different places of the State where such institutions do not exist. During the next 4 years 20 more ITIs, including 5 ITIs for women will be

upgraded. Five ITIs, would be upgraded into Centres of Excellence during the year 2006-07.

85. Some private industries have agreed to have partnership with Government ITIs in technical training and management to produce highly skilled manpower. Under this industry-institution collaboration programme, ITIs at Gurgaon, Faridabad, Nagina and Karnal will be covered. I would like to make it very clear at the stage that this scheme is not going to lead in any way to privatization of ITIs in Haryana.

86. The payment of unemployment allowance has been rationalized through the new scheme known as "Unemployment Allowance for the Educated Unempolyed Scheme, 2005". Under this scheme, 10+2 pass and two year certificate diploma holders are getting allowance of Rs. 300 per month against earlier allowance of Rs. 100 while graduates and others having passed three year certificate/diploma course after 10+2 are getting allowance of @ Rs. 500 per month against earlier allowance Rs. 200, registering an increase of up to 200 per cent.

E-GOVERNANCE FOR TRANSPARENT & EFFECTIVE PUBLIC DELIVERY SYSTEM

87. Speaker Sir, our State is an aspiring leader in E-Governance as per the E-Governance readiness index of the country. Haryana not only wishes to attain leadership position but is also going ahead with E-Governance initiatives by establishing State Wide Area Network (SWAN). The SWAN is being set up connecting the State Headquarters and District Headquarters and all Block Headquarters. SWAN also envisages village connectivity through wireless. A comprehensive E-Governance road map has been prepared and submitted to Government of India for approval. This will enable transparency, efficiency and accountable Governance that shall throw up opportunities and provide access to the citizen centric services. E-Disha, a single point multi-service delivery system for providing citizen-centric services is being launched across the State. One District Level E-Disha Centre will be established by 31st March, 2006 at each District Headquarter.

TAX-REFORMS

88. Our Government is committed to provide a friendly tax structure in the State in the overall interest of consumers, manufacturers, trading community and the farmers. To integrate the economy of the State with the rest of the country, the Government has aligned rates of taxes on various commodities with the recommendations of the Empowered Committee set up by the Central Government. As a consequence thereof, rates of taxes on a large number of commodities of common use have been reduced. Tax on medicines and other articles of medical care has been further reduced from 10 per cent to 4 per cent. Even though Empowered Committee favoured taxing fertilizer at 4 per cent and diesel at 20 per cent, considering that fertilizers and diesel constitute important inputs for crop production, our Government has decided to exempt fertilizers from VAT and also to maintain the present 12 per cent rate of tax on diesel. Charging of lower tax on

[Sh. Birender Singh]
diesel shows our commitment to the farmers and encouragement that we are providing for increase of agriculture production in the State. Further, certain items of general use by common man have been exempted from the payment of VAT. For the information of the House, the State government, on the representation of traders, manufacturers and consumers has taken a decision to either exempt or reduce tax on 22 commodities i.e. dairy products, tractor tyres, animal feed, industrial chemicals, syringes, nuts & bolts, etc. which would give revenue loss to the State Government of Rs. 84 crores per annum. A case for exemption or reduction of tax on 9 other items is under consideration of the Government, which include butter, paper and plastic cups, bricks made of fly ash, toys, etc. involving a revenue loss of Rs. 4 crores.

89. In order to give boost to entertainment industry in the State, the Government has decided to reduce rate of entertainment duty from 50 per cent to 30 per cent. The State Government has constituted a State Level Consultative Committee for addressing the genuine grievances of trade and industry through a consultative mechanism between the Government and the tax-payers. Sir, it would be a continuous process whenever we feel that the demand of certain sections of the traders is genuine. This Committee would certainly consider those demands. Now, Sir, in the last I move to the budget estimates of 2006-2007.

BUDGET ESTIMATES 2006-07

90. Hon'ble Speaker, now I present before this august House the Budget Estimates for the year 2006-07.

91. The year 2005-06 opened with a deficit of Rs. 48.15 crore as per RBI books and is likely to be closed with a deficit of Rs. 53.91 crore.

92. The financial year 2006-07 is likely to open with a deficit of Rs. 53.91 crore and to close with a deficit of Rs. 65.47 crore. The transactions on year's account, thus, show a deficit of Rs. 11.56 crore.

93. The Consolidated Fund of the State shows total receipts of Rs. 17666.48 crore in Budget Estimates 2006-07 as against Rs. 16097.85 crore in Revised Estimates 2005-06. The budget proposals indicate an expenditure of Rs. 17576.56 crore as against Rs. 15922.54 crore in Revised Estimates of 2005-06. The budget estimates provide for State Plan outlay of Rs. 3300 crore in addition to an outlay of Rs. 602.33 crore for Centrally Sponsored Schemes and other development plan schemes.

94. The revenue receipts in Budget Estimates 2006-07 are likely to increase by Rs. 1100.85 crore to Rs. 13746.65 crore from Rs. 12645.80 crore in Revised Estimates of 2005-06. The revenue expenditure in Budget Estimates is estimated at Rs. 14066.66 crore, which is higher by Rs. 817.53 crore over the Revised Estimates of Rs. 13249.13 crore of 2005-06.

95. The budget deficit of Rs. 65.47 crore is within manageable limits and the measures proposed for financial discipline are likely to help containing the deficit. It is hoped that the share in central taxes and other devolutions would also

go up as a result of higher expected growth in national economy. Similarly, the State tax revenue is also expected to give substantial increase. I am confident that we will be able to implement all our programmes successfully by full utilization of plan outlay with the cooperation and assistance of Hon'ble Members of this House and the people of Haryana.

96. Before I conclude, I acknowledge the un-tiring efforts of officers and employees of Finance Department and NIC who worked hard to help me prepare the budget proposals. So Sir, before I commend I must close my speech with this one more couplet:

मस्जिद की अज़ा हो, शिवालय की गज़र हो।
अपनी तो यह हसरत है, किसी तौर शहर हो ।।

एक नया सवेरा हो हरियाणा की जनता के लिए एक अच्छी शुरूआत हो।

97. Sir, now I commend the budget estimates 2006-07 for the consideration and approval of this august House.

Jai Hind !

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 20th March, 2006.

*17.11 hrs. (The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 20th March, 2006.)

41211–H.V.S.–H.G.P., Chd.